लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 33, मंगलवार 6 अप्रैल, 1965 / 16 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
747	अनाज का समाहार .	3073—76
748	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	3076—82
749	बच्चों का भीख मांगना	3082—88
750	चावल के परक्षण के लिये प्रयोगशालायें . .	3087—89
751	पंचायती राज सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्था	3089—91
752	लगान की वसूली .	3091—93
753	पंचायती राज संस्थाओं के लिये निर्वाचन	3093—94
754	घनौरा मण्डी ग्रामोद्योग केन्द्र .	8094—95

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
755	डेरी विकास	3096
756	गोआ, दमन तथा दीव में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां . . .	3096
757	सहकारी, समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन .	3097—98
758	उत्तरी गेहूं खण्ड . .	3098
759	उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें	3098—99
760	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी निगम . .	3099
761	डेनियल बालकोट का भाग निकलना .	3099
762	दिल्ली में दूध का भाव .	3099—3100
763	दूध के कार्डों का बदला जाना . .	3100
764	मूल्य वृद्धि प्रतिरोध आन्दोलन समिति के दुग्ध स्टाल	3100
765	कृषि उत्पादन बढ़ाने में पंचायतों का योगदान	3100—01
766	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का सम्भरण	3101
767	दिल्ली परिवहन प्राधिकार	3101—02

*किसी नाम पर अंकित यह † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 33—Tuesday, April 6, 1965/Chaitra 16, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
747	Procurement of Foodgrains	3073—76
748	Amendment of Representation of the People Act	3076—82
749	Juvenile Begging	3082—87
750	Laboratories for Testing Rice	3087—89
751	Central Institute for Training and Research in Panchayati Raj	3089—91
752	Collection of Land Revenue	3091—93
753	Election to Panchayati Raj Institutions	3093-94
754	Rural Industries Centre at Dhanaura Mandi	3094-95

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
755	Diary Development	3096
756	S. C. & S.T. in Goa, Daman and Diu	3096
757	Conference of Registrars of Co-operative Secieties	3097-98
758	Northern Wheat Zone	3098
759	U.P. Roadways Buses	3098-99
760	Deep-sea Fishing Corporation	3099
761	Escape of Daniel Walcott	3099
762	Price of Milk in Delhi	3099—3100
763	Renewal of Milk Cards	3100
764	Milk Stalls run by Price Rise Resistance Movement	3100
765	Panchayats to riase Agricultural	3100-01
766	Milk Supply by D.M.S.	3101
767	Delhi Transport Authority	3101-02

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1951	बीकानेर-बीरमसार राजपथ	3102
1952	हरिजन कन्या छात्रावास	3102–03
1953	आदिम जाति विकास खण्ड	3103
1954	मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र	3103–04
1955	बस्तर की आदिम जातियां	3104
1956	रेगिस्तान नियंत्रण योजना	3104
1957	पर्यटकों के लिये होटल	3104–05
1958	सहकारी कानून	3105
1959	सहकारी ऋण	3105–06
1960	केन्द्रीय सड़क उपकर निधि	3106
1961	असैनिक उड्डयन कर्मचारी	3106
1962	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	3107
1963	बीजापुर में हवाई पट्टी	3107
1964	मीनक्षेत्रों का विकास	3107
1965	आसाम के पहाड़ी क्षेत्र	3107–08
1966	राष्ट्रीय राजपथ	3108–09
1967	केरल में चावल के मूल्य	3109
1968	थोक सहकारी स्टोर	3109
1969	दक्षिण भारत में दूध संयंत्र	3110
1970	चीनी उद्योग को क्षमता	3110
1971	कलकत्ता-आसाम स्टीमर सेवा	3110
1972	फ्लोटिला नाविकों की हड़ताल	3111
1973	ऑटो रिक्शाओं के लिये किराया-मीटर	3112
1974	चुनाव चिन्ह	3112
1975	आदर्श राजपथ विधेयक	3112–13
1976	भूख से छुटकारा आन्दोलन	3113
1977	उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें	3114
1978	गन्ने की खेती का विकास	3114
1979	उड़ीसा को सहायता	3114–15
1980	"लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर"	3115
1981	दमदम-कलकत्ता-हेली-टेक्सी सेवा	3115

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1951	Bikaner-Biramsar Highway .	3102
1952	Harijan Girls, Hostels .	3102–03
1953	Tribal Development Blocks . .	3103
1954	Backward Areas in Madhya Pradesh .	3103–04
1955	Tribals of Bastar	3104
1956	Desert Control Scheme	3104
1957	Hotel for Tourists .	3104–05
1958	Co-operative Laws	3105
1959	Co-operative Loans .	3105–06
1960	Central Road Cess Fund	3106
1961	Civil Aviation Employees	3106
1962	Employees State Insurance Hospitals	3107
1963	Airstrip at Bijapur .	3107
1964	Development of Fisheries	3107
1965	Hilly Areas of Assam .	3107–08
1966	National Highways . . .	3108–09
1967	Prices of Rice in Kerala . .	3109
1968	Whole-sale Co-operative Stores . . .	3109
1969	Milk Plant in South India	3110
1970	Capacity of Sugar Industry .	3110
1971	Calcutta Assam Steamer service .	3110
1972	Strike by Flotilla Crew	3111
1973	Fare Meters for Auto Rickshaws .	3112
1974	Election Symbol . .	3112
1975	Model Highway Bill	3112–13
1976	Freedom from Hunger Campaign .	3113
1977	Sugar Mills of U.P.	3114
1978	Development of Sugarcane cultivation	3114
1979	Assistance to Orissa . .	3114–15
1980	Landing Craft Tractor	3115
1981	Dum-Dum Calcutta Hali-Taxi Service . .	3115

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1982	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजना	3116
1983	त्रिपुरा में खाद्य स्थिति	3116
1984	अगरतला-कलकत्ता विमान सेवा	3116–17
1985	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत मामले	3117
1986	सिंचाई का आयोजन	3117–18
1987	उड़ीसा विधान-सभा के लिये आम चुनाव	3118
1988	दिल्ली-कलकत्ता विमान सेवा	3118–19
1989	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	3119
1990	सहकारी कृषि संस्थायें	3119–20
1991	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	3120
1992	भाटक कार्यों के लिये विमान	3120
1993	पश्चिमी बंगाल में सुन्दर बन का विकास	3121
1994	हिन्दी में हवाई यात्रा टिकट	3121
1995	कोचीन-बम्बई उड़ान	3121
1996	आर्य नगर सहकारी स्टोर, दिल्ली	3122
1997	दिल्ली राज्य उपभोक्ता सहकारी स्टोर संघ	3122–23
1998	दिल्ली की सड़कें	3123

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--

(एक) नेपाल सरकार द्वारा चीन के विदेश मंत्री के सम्मान में दिये गये भोज में भारतीय राजदूत का सम्मिलित होना 3123--28

श्री कपूर सिंह 3123

श्री स्वर्ण सिंह 3124--28

(दो) भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा का बन्द किया जाना 3164--69

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी 3164--66

श्री स्वर्ण सिंह 3166--69

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) 3128

सभा पटल पर रखे गये पत्र 3128--29

आक्कलन समिति--

इकहत्तरवां प्रतिवेदन 3129

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1982	Plan for Rural Areas . . .	3116
1983	Food situation in Tripura .	3116
1984	Agartala-Calcutta Air Service . .	3116—17
1985	Cases of Untouchability (Offences) Act .	3117
1986	Irrigation Planning .	3117—18
1987	General election to Orissa Legislative Assembly .	3118
1988	Delhi Calcutta Air Service .	3118—19
1989	Development of Hill Areas	3119
1990	Co-operative Farming Societies . .	3119—20
1991	Welfare of S. C. & S.T. in U.P.	3120
1992	Planes for Charter Purposes .	3120
1993	Development of Sundarban, West Bengal	3121
1994	Air Tickets in Hindi	3121
1995	Cochin Bombay Flight . . .	3121
1996	Arya Nagar Cooperative Store, Delhi . .	3122
1997	Delhi State Consumers' Co-operative Stores Federation	3122—23
1998	Delhi Roads .	3123

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

(i)	Presence of Indian Ambassador at Nepalese banquet to Chinese Foreign Minister . . .	3123—28
(ii)	Sealing of Indo-East Pakistan border . .	3164—69
	Re. Calling Attention Notice (Query)	3128
	Papers laid on the Table	3128—29
	Estimates Committee—	
	Seventy-first Report . .	3129

विषय	पृष्ठ
समितियों लिकेये निर्वाचन	3129–31
(एक) राष्ट्रीय नौपरिवहन बोर्ड .	3129–30
(दो) प्राक्कलन समिति	3130
(तीन) लोक-लेखा समिति .	3130–31
कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	3131
अनुदानों की मांगें—(जारी)	3131–64
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	3131–64
श्री कृष्णपाल सिंह	3132–34
श्री इकबाल सिंह	3134–35
श्री कर्णी सिंहजी . .	3135–36
श्री ईश्वर रेड्डी . .	3136–39
श्रीमती लक्ष्मीबाई .	3139–40
श्री यमुना प्रसाद मंडल .	3144–45
श्री करुथिरमण . .	3145–46
श्री युद्धवीर सिंह .	3147–48
श्री श्यामधर मिश्र . . .	3148–50
श्री सं० ब० पाटिल .	3150–51
श्री भजहरि महतो .	3151–52
श्री राम सहाय पाण्डेय . .	3152–53
श्री श० ना० चतुर्वेदी . .	3153–54
श्री कृ० ल० मोरे .	3154
श्री राम सेवक यादव	3154–55
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह . .	3155
श्री प० ला० बारुपाल . . .	3155
श्री प्र० के० देव . . .	3155–56
श्री गजराज सिंह राव .	3156
श्री ओंकार लाल बेरवा . .	3156–57
श्री वारियर . . .	3157
श्री च० का० भट्टाचार्य .	3157–58
श्री नि० रं० लास्कर	3158
डा० कु० ल० राव .	3158–64

Elections to Committees 3129—30
(i) National Shipping Board 3129—30
(ii) Estimates Committee 3130
(iii) Public Accounts Committee 3130—31

Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes (Amendment) Bill—*introduced* . . . 3131

Demands for Grants 3131—64

Ministry of Irrigation and Power . . 3131—64

Shri Krishnapal Singh 3132—34
Shri Iqbal Singh 3134—35
Shri Karni Singhji 3135—36
Shri Eswara Reddy . 3136—39
Shrimati Laxmi Bai . 3139—40
Shri Yamuna Prasad Mandal . 3144—45
Shri Karuthiruman 3145—46
Shri Yudhvir Singh 3147—48
Shri Shyam Dhar Misra 3148—50
Shri S. B. Patil 3150—51
Shri Bhajahari Mahato 3151—52
Shri R. S. Pandey . 3152—53
Shri S. N. Chaturvedi . 3153—54
Shri K.L. More . . 3154
Shri Ram Sewak Yadav . . . 3154—55
Shri Ram Sekhar Prasad Singh . . . 3155
Shri P. L. Barupal 3155
Shri P. K. Deo . . . 3155—56
Shri Gajraj Singh Rao 3156
Shri Onkar Lal Berwa . . . . 3156—57
Shri Warior 3157
Shri C. K. Bhattacharyya . . . . 3157—58
Shri N. R. Laskar 3158
Dr. K. L. Rao . . . . . 3158—64

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 6 मार्च, 1965/16 चैत्र 1887 (शक)

Tuesday, April 6, 1965/Chaitra 16, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Procurement of Foodgrains

+

*747. **Shri Yashpal Singh:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S.M. Banerjee:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri D.N. Tiwary:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ramchandra Ulaka:
Shri Dhule shwar Meena:
Shri Chandak:
Shri P.C. Borooah:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce procurement scheme in the next Rabi Crop;

(b) if so, the prices fixed for these foodgrains ; and

(c) whether the State Governments have been consulted in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan): (a) Yes, Sir, in respect of wheat. It is not proposed to procure gram or other rabi grains.

(b) The matter is under consideration.

(c) : Yes, Sir.

Shri Yashpal Singh : The farmer has been buying wheat at the rate of Rs. 40·00 per maund and whether it is reasonable for the Government to have started procurement when the wheat crop is with him ? May I also know whether the Government, while fixing wheat prices, has taken into considera- the fact that he may not have to purchase wheat at a rate of Rs.40·00 per maund throughout the year and that only surplus wheat is procured ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने अतिरेक राज्यों में गेहूं का समाहार करने का निश्चय कर लिया है ? क्या प्रश्न यह ही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह ध्यान रखा जायेगा कि किसान के पास उसकी आवश्यकतानुसार गेहूं छोड़ा जाये ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : समाहार राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है और ऐसा समझा जाता है कि वे फालतू अनाज ही खरीदगी । वास्तव में वे ऐसे स्थानों से ही अनाज खरीदेगी जहां वह फालतू होगा ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have considered the fact that before implementing the procurement scheme, the farmer will be given an assurance that the rate on which he will be given wheat during the year will be only two rupees more than the rate prevailing at the time of procurement ? What steps are being contemplated to stop blackmarketing ?

Mr. Speaker : The Government will pay attention to it.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि दो प्रकार के अभिकरण हैं जो खाद्यान्न खरीद रहे हैं और इस से कृषकों को बड़ी चिन्ता हो रही है क्योंकि ऐसे व्यापारी हैं जो ऊंचे मूल्य पर खरीद रहे हैं और कृषकों को डर है कि बाद में ये लोग मुनाफाखोरी करेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का सम्बन्ध गेहूं से है । सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि पंजाब तथा दूसरे राज्यों में गेहूं खरीदने के लिये दो प्रकार के अभिकरण हैं । इन क्षेत्रों में खाद्य निगम कार्य नहीं कर रहा है और समाहार का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि मामला विचाराधीन है । क्या इसका यह मतलब है कि अभी तक राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं और समाहार सम्बन्धी आदेश जारी नहीं हुये हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि समाहार के लिये सरकार का कृषकों को कितना मूल्य देने का विचार है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अभी तक कानूनी तौर पर अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । जहां तक उत्पादकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई थी कि वे 1964–65 के लिये गेहूं के उत्पादक-मूल्य अक्तूबर, 1964 में घोषित करें जो इस प्रकार हैं : लाल गेहूं 44.50 रुपये प्रति क्विंटल; आम श्वेत गेहूं 49.50 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़िया गेहूं 53.50 रुपये प्रति क्विंटल ।

श्री द्वा० ना० तिवारी: श्रीमान्, माननीय मंत्री ने कहा है कि समाहार राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। ऐसा देखा गया है कि जब समाहार आदेश भेजा गया था और चावल का समाहार किया जाने लगा और क्योंकि चावल के लिये तुरन्त भुगतान नहीं किया गया इसलिये इसका अभाव हो गया तथा बाजार में इसका मूल्य बढ़ गया । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कोई हिदायत दी जायेगी कि खरीदे गये चावल की कीमत तुरन्त नकद दी जाये ताकि कृषक तथा व्यापारी खाद्यान्न रख सकें और उन्हें कोई भय न रहे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न का सम्बन्ध केवल गेहूं से है परन्तु चावल के बारे में भी मुझे इस वर्ष यह जानकर बड़ा दुःख हुआ है कि लोगों को मूल्य तुरन्त नहीं दिये गये । मैंने राज्य सरकारों को सीधे अथवा राज्य बैंक द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार धन-राशियां उपलब्ध करने का प्रयत्न किया है । इस बारे में माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर मैं ध्यान दूंगा ।

Shri Kishen Pattnayak: As the procurement scheme has been implemented, I want to know whether there will not be any fluctuation in prices during the period between the harvest season and the lean period ?

श्री ति० त० कृष्णामाचारी : इस समय तो यही कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री रंगा : अभी-अभी माननीय मंत्री ने बताया कि केवल न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य ही निर्धारित किये जाते हैं और ऐसा मूल्य जिस पर इसे खरीदा जाता है, निर्धारित नहीं किये जाते । क्या हम यह समझें कि यह समाहार स्वेच्छापूर्वक होगा अथवा अनिवार्य तौर पर और क्या हम यह समझें कि कृषकों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे स्वेच्छापूर्वक सरकार को, सरकार द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों पर, इतना अनाज बेचें जितना कि वे बेच सकें और इसके बाद यदि उनके पास फालतू अनाज बच जाये तो वे इसे बाजार में बेच सकते हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : तीन सम्बन्धित राज्य सरकारें समाहार कार्य भिन्न भिन्न रूप से कर रही हैं । यदि राज्य सरकारें अनाज खरीदें तो जो मूल्य मैंने बताये हैं वे कृषकों को दिये जाने वाले न्यूनतम मूल्य हैं । जैसा कि मैं ने पहले बताया बड़े-बड़े उत्पादकों के पास ही फालतू अनाज रहता है और छोटे उत्पादकों के पास बिलकुल भी नहीं । फालतू क्षेत्रों से अनाज लेने के जो आंकड़े हम ने दिये हैं वे काफी उचित हैं । परन्तु हम उन से सारा फालतू अनाज नहीं ले रहे हैं ताकि वह सामान्यतया स्थानीय उपभोग के लिये उपलब्ध सके

श्री राननाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि तांजोर में धान की भरमार है, यदि हां, तो सरकार धान का समाहार करने के लिये कौन से उपाय करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध तांजोर से नहीं है । अगला प्रश्न ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : एक व्यवस्था का प्रश्न है । हालांकि इस प्रश्न का सम्बन्ध गेहूं से है परन्तु फिर भी माननीय मंत्री ने चावल के बारे में उत्तर दिया है और इसी कारण मैं ने यह प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में चावल की ओर निर्देश करें तो इसका यह मतलब नहीं कि सब सदस्य इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : वहां धान की भरमार है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । हम इस समय इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते । अगला प्रश्न ।

Amendment of Representation of the People Act

*748 **Shri M.L. Dwivedy :**
Shri S.C. Samanta :
Shri R.S. Tiwary :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce any amending Bill with a view to remove the defects and shortcomings which have come to light in the working of the Representation of the People Act during the last General Elections and bye-elections ;

(b) whether any report in respect of the last General Elections has been submitted by the Election Commission ;

(c) if so, whether a copy thereof will be laid on the Table ;

(d) whether any suggestions for amending the Election Law have also been received from the political parties and State Governments ; and

(e) if so, the nature thereof ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार का विचार है कि निर्वाचन विधि को संशोधित करने के प्रश्न की जांच इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद की जाए । इस बात की संभाव्यता है कि ये सिफारिशें 1962 में हुए तीसरे साधारण निर्वाचन की रिपोर्ट के वर्णनात्मक भाग (खण्ड 1) में की जायेगी ।

(ख) और (ग) भारत में 1962 में तीसरे साधारण निर्वाचन की रिपोर्ट (खण्ड-2) (सांख्यिकी) की एक प्रति, 20 दिसम्बर, 1963 को सदन के पटल पर रख दी गई है। रिपोर्ट के वर्णनात्मक भाग (खण्ड–1) को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है और उसे निर्वाचन आयोग से प्राप्त होने के पश्चात् सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सितम्बर, 1964 में संसद के विभिन्न दलों और समूहों के प्रतिनिधियों के साथ किये गये सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, उन में से कुछ से निर्वाचन विधि के संशोधन के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। दूसरों से उत्तर की प्रतीक्षा है। ये सुझाव आयोग के विचाराधीन हैं। राज्य सरकारों से कोई ठोस सुझाव नहीं मिले। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों का उल्लेख ऊपर वर्णित तीसरे साधारण निर्वाचन की रिपोर्ट के खण्ड–1 में किये जाने की सम्भावना है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the reason why the Election Commission has not submitted the Report so far though three years have elapsed since the General Election took place. May I also know why the State Governments have not sent their comments in this connection ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि कुछ समय बीत चुका है परन्तु यह भी सच है कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 में पारित हुआ है और निर्वाचन आयोग व्यस्त रहा है। मंत्रालय ने उन्हें प्रतिवेदन के प्रथम भाग के कार्य को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने के लिये कहा है। हमें आशा है कि तीन, चार महीने में यह प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the Government wrote to state Governments to send their suggestions but they have not complied with and when will this report be presented ?

श्री जगन्नाथ राव : ऐसी ही स्थिति मालूम होती है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि भिन्न-भिन्न दलों द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिकाओं में दिये गये कारणों की छानबीन कर ली गई है और कोई निर्णय किये गये हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : निर्वाचन याचिकाओं में कोई कारण बताये जाते हैं। हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम उन सब पर विचार करें।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government is aware that in case of blind voters the election officer alone votes on their behalf and agents of both the parties do not accompany him ? This leads to corruption. Have the Government, therefore, considered that in case of blind voters, the agents of both the parties should also be called ?

Mr. Speaker : The Government will consider this suggestion also.

Shri R.S. Tiwary : The polling booths are set up at the distance of 5 to 6 miles and the voters do not recah there. May I know whether this aspect will also be considered ?

Mr. Speaker: Definitely.

Shri A. K. Sen: There will be definitely an improvement in this regard ?

श्री हरि विष्णुकामत : क्या यह सच है कि संसद में भिन्न भिन्न दलों के प्रतिनिधियों की सितम्बर, 1964 में जो बैठक निर्वाचन आयोग ने बुलाई थी, उसमें कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया हालांकि उन्हें निमन्त्रण दिया गया था, यदि हां तो क्या इस प्रयोजन के लिये निर्वाचन आयोग ने उनसे पृथक तौर पर भेंट की ?

श्री जगन्नाथ राव : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है ; मेरे विचार में वे उन्हें पृथक तौर पर नहीं मिले ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : न्यायाधिकरणों द्वारा अनर्हित सदस्यों की अनर्हतायें दूर करने के लिये सरकार का ध्यान ऐसे ज्वलन्त उदाहरणों की ओर दिलाया गया है जहां कांग्रेस दल के सदस्यों की भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनर्हताओं को रातों रात हटा दिया गया है और दूसरे दलों की अनर्हताओं को इस प्रकार नहीं हटाया गया है हालांकि इस सम्बन्ध में तीन या चार अभ्यावेदन दिये गये हैं । क्या सरकार इस तथ्य की दृष्टि में एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । जो अनर्हतायें हटाये जाने अथवा न हटाये जाने के इस प्रश्न पर विचार करे ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अनर्हतायें हटाने की शक्ति कानून द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई है । निर्वाचन आयोग सरकार से भी परामर्श नहीं करता । इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है। न ही तो ऐसे परामर्श किये जाने चाहियें । निर्वाचन आयोग को गुण-दोष के आधार पर ही प्रत्येक मामले का निर्णय करना चाहिये ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यही तो हमारी शिकायत है। क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि निर्वाचन आयोग के पास यह शक्ति नहीं रहनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरा सुझाव है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार निर्वाचन याचिकाओं को अन्तिम रूप देने की अवधि निर्धारित करने के बारे में विधान बनाने का विचार कर रही है, और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री जगन्नाथ राव : धारा 90(6) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि छः महीने के अन्दर-अन्दर यथासम्भव शीघ्र निर्वाचन याचिकायें निबटाई जायेंगी । यह सुझाव दिय गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीस को निर्वाचन न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिये । इस प्रश्न की जांच की जा रही है क्योंकि अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियाओं का अधीक्षण, यिन्त्रण तथा निदेश सम्बन्धी कार्य निर्वाचन आयोग करता है । न्यायाधिकरण निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित होता है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

श्री अ० कु० सेन : निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय करने के लिये समय-सीमा निर्धारण करने के सुझाव बार बार दिये गये हैं । सभी निर्वाचन याचिकायें लगभग छः महीनों में निबटाई गई हैं . . .

श्री रंगा : नहीं ।

श्री अ० कु० सेन : . . . उन्हें छोड़ कर जिनके बारे में उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में मामले चल रहे हैं अथवा कार्यवाही रोके जाने के आदेश लिये गये हैं । मुझे ऐसे कई मामलों का पता है जहां उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही रोक दी गई है।

श्री कपूर सिंह : स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों की निर्वाचन याचिका पर अभी भी कार्यवाही चल रही है । यह मामला उच्च न्यायालय में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि यह सच है । चाहे कैरों की याचिका का मामला हो या किसी अन्य का, यदि दावाकालीन याचिकायें निलम्बित हों तो निर्णय कैसे किया जा सकता है ?

श्री रंगा : इन मामलों में बहस पूरी होने से पहले ही पांच वर्षों की पूरी अवधि समाप्त हो जायेगी और यह इस सरकार का बहुत अच्छा काम होगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Keeping in view the last three elections, are the Government thinking to reduce to the minimum possible extent the cost of elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies so as to enable the poor to contest the same ?

Shri A. K. Sen : The question of cost has been sufficiently considered but no decision has so far been taken.

Shri Bibhuti Mishra : The Minister of Law is a rich man. He can afford to contest the elections. How can a poor man contest the elections if it is so expensive ?

Mr. Speaker : You should get this question settled by putting pressure on your party. Why are you putting pressure here?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार निर्वाचन विधि में इस प्रकार संशोधन करने का विचार कर रही है कि चुनाव सामान्यत: दल का काम हो न कि उम्मीदवार का जो कि दल का सदस्य होता है ।

श्री जगन्नाथ राव : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दल को तथा दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में अपना काम करना होता है ।

Shri Rameshwaranand : Everyone knows that heavy expenditure is incurred on elections and there is heavy bungling as a result thereof. Are the Government considering to prevent the candidates from propagating in their constituencies. The Government may publish their photograph etc. for the information of the public.

श्री अ० कु० सेन : यह एक सुझाव है ।

Shri Rameshwaranand : Whether the Government are considering this proposal ?

Mr. Speaker : The Minister has stated that it has not been considered so far but it will be considered.

Shri A. K. Sen : It will definitely be considered.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले सामान्य चुनाव से लेकर हाल ही तक सरकार का निर्णय यह था कि जो दल अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे उन में से किसी को भी ऐसा चुनाव चिन्ह नहीं दिया जायेगा जो उस दल के झंडे के चिन्ह के बिलकुल समान हो । केरल में मध्यावधि चुनावों के दौरान वामपक्षी साम्यवादी दल को उनके दल के झंडे के समरूप चुनाव चिन्ह देकर इस निर्णय को बदल देने का क्या कारण है ?

श्री अ० कु० सेन : ऐसा निर्णय पूर्णतया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया है और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जायेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह विशेष निर्णय क्यों किया है । उन्होंने चिन्ह चुनने के लिए निर्धारित सिद्धान्तो के अनुसार ही किया होगा । हमें उनके स्वविवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या निर्वाचन आयोग को विभिन्न सुझाव देने वाले दलों में से किसी ने यह सिफारिश भी की है कि साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले या साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व वाले सभी राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ? यदि ऐसा है तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री अ० कु० सेन : निर्वाचन के समय साम्प्रदायिक नारे लगाने तथा साम्प्रदायिक प्रचार करने के लिए दंड देने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध हैं ।

Shri Madhu Limaye : Are the Government considering the suggestion of Samyukta Socialist Party to ban the use of Motor vehicles during the elections.

श्री जगन्नाथ राव : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Shri Lohia referred to this during the discussion on the budget. A letter has also been written in this regard.

श्री रंगा : क्या इस सभा के सामने लाया जाने वाला विधेयक बनाते समय इन तीन वर्षों में विभिन्न निर्वाचन न्यायाधिकरणों के मतों पर सरकार ने विचार किया है और क्या विधेयक को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार ने केवल इस सभा के राजनैतिक दलों के नेताओं के विचार बल्कि देश में उन दलों के नेताओं के विचारों का पता लगाने का भी प्रयत्न करेगी ताकि यह विधेयक संतोषजनक बन सके ।

श्री अ० कु० सेन : हम सदा ही ऐसा करते रहे हैं । निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद यदि हम संशोधन संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय करें तो हम विधेयक प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न दलों तथा गुटों के प्रतिनिधियों से परामर्श करते हैं ।

श्री रंगा : देश के विभिन्न भागों में निर्वाचन न्यायाधिकरणों की आलोचनाओं के सम्बन्ध में क्या किया गया है ।

श्री अ० कु० सेन : निस्सन्देह उन पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे माननीय मित्र, श्री मधु लिमये के एक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री ने कहा था कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । उससे पहले उन्होंने कहा था कि सभा के विभिन्न दलों तथा वर्गों से प्राप्त सुझाव तथा प्रस्ताव विचाराधीन हैं और मेरे दल तथा उनके दल द्वारा निर्वाचन आयोग के सामने दिये गये प्रस्तावों में से एक है । इसलिए उत्तर यह होना चाहिये था कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है और विधेयक में यह प्रस्ताव सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं हो सकते ।

श्री जगन्नाथ राव : जहां तक मैं समझा हूं, माननीय सदस्य श्री मधु लिमये का प्रश्न मोटर गाड़ियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में था और मेरा उत्तर अब भी वही है । मोटर गाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है । केवल उनकी संख्या सीमित करने का प्रस्ताव है ।

श्री रंगा : उनका प्रश्न इससे भिन्न है । प्रश्न मोटर गाड़ियों के प्रयोग के सम्बन्ध में था और मंत्री महोदय साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री मोटर गाड़यों की बात कर रहे हैं । साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की नहीं ।

श्री रंगा : उन्होंने ठीक उत्तर नहीं दिया है ।

श्री जगन्नाथ राव : मैंने ठीक उत्तर दिया है । प्रश्न मोटर गाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में था और मैं ने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाये गये एक सम्मेलन में मोटर गाड़ियों की संख्या सीमित करने का प्रस्ताव किया गया था । इन दोनों में यही अन्तर है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या निर्वाचित आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिशें अथवा प्रस्ताव अन्तिम रूप से भेजे हैं ? सिफारिशें प्राप्त होने पर ही सरकार मामले पर विचार कर सकती है ।

श्री अ०कु० सेन : जसा कि मेरे सहयोगी ने पहले ही कहा है कि जैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशें प्राप्त होंगी उन्हें यथासमय संसद के सामने रखा जायेगा। यह कहना अभी समय से बहुत पहले है कि सरकार को कौन से प्रस्ताव भेजे जायेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह उत्तर ठीक है ।

श्री रंगा : परन्तु यह उत्तर देने में बहुत समय लग गया है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, you called me but other hon. Members interrupted. That is wrong. In this way others get a chance but I am deprived of my chance. Shri Ranga asked four questions.

Shri Bagri : I also tried to catch your eye.

Mr. Speaker : You interrupted I did not allow you.

Shri Bagri: I am also the leader of a group.

Mr. Speaker: That is right. Some times I fail to take notice.

बच्चों का भीख मांगना

+

*749. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम राज :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) योजना कहां कहां लागू की जायेंगी ;

(ग) उन को अच्छे नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार का व्यावसायिक अथवा अन्य प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(घ) यह कब आरम्भ होगा ?

सामाजिक सुरक्षा उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ). सूचना सभा पटल पर रखी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 4146/65]** 165)

महाराजकुमार विजय आनन्द : कुछ बच्चों में सुधार करने के लिए क्या सरकार नगरपालिकाओं के सहयोग सम्बन्धी विचार करेगी ।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : निश्चय ही एसा किया जायेगा ।

महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या सरकार इन बच्चों के लिए अनाथाश्रम भी बनायेगी ।

श्री अ० कु० सेन : संस्थायें बनाने का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है और जब योजना आयोग अन्तिम निर्णय कर लेगा तो इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जायेगा। प्रस्तावों को लागू करने से पहले संसद को यथासमय सूचित किया जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि बहुत से स्थानों पर यह अद्भुत योजना अभी तक योजना ही है और इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है ।

श्री अ० कु० सेन : यह ठीक है।

श्रीमती सावित्री निगम : यदि उत्तर हां में हो तो क्या सरकार इस बात के लिए कोई उपाय कर रही है कि इस महान गलती को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये ?

श्री अ० कु० सेन : हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

Shri Naval Prabhakar : May I know whether any programme has been made with regard to Delhi ? If so, what ?

Shri A. K. Sen : Some programme has been made but it has not been completed. It is hoped that on finalisation of the programme we will be able to implement it successfully.

Shri Naval Prabhakar : Delhi is also a centrally administered area.

Shri M.L. Dwivedi : In the statement laid by the hon. Minister on the Table of the Houe, it has been stated.

"संकटकाल के दौरान संस्थात्मक कार्यक्रमों का लागू किया जाना स्थगित कर दिया गया है ....."Several programmes have now begun. May I know what is the hinderance in starting this programme for the children ?

Shri A.K. Sen : I have already stated that the work regarding institutional programmes is about to begin and the programme will be placed before the House when it is received.

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस दोष को दूर करने के लिये रामकृष्ण मिशन जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सरकार ने प्राथना की थी ।

श्री अ० कु० सेन : सरकार का विचार समूचे देश पर लागू होने वाली एकीकृत योजना लागू करने का है । निस्संदेह, गैर-सरकारी सहयोग का स्वागत किया जायेगा । परन्तु किसी कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत स्वरूप को बनाना चाहिये ।

Shri Yashpal Singh : What right do Government hive to make a legislation for those children for whose maintenance they Cannot provide and who are unemployed ? The Government should first provide for their maintenance and then bringforth a ligislation of this type.

Shri A. K. Sen : Hon. Member may suggest if the maintenance can be provided by any law, I will bring forth a law of that type.

Shri D. N. Tiwary : I do not know whether the hon. Minister has observed it or not but some boys are found on the stations and in the bazars who are even eager to eat the left overs. Whether any special action is being taken with regard to them or they will be provided for along with others.

श्री अ० कु० सेन : उन लोगों का वर्गीकरण करना बहुत कठिन है । जब संसद के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा तो सभी सुझावो पर विचार किया जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा: उन बच्चों की देख भाल के लिए संस्थायें केवल उन नगरों में ही स्थापित की गई हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है । क्या ऐसी संस्थायें सभी जिलों में बनायी बनाने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री जगन्नाथ राव : आरम्भ में इस कार्यक्रम को दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीमित करने का विचार है । दूसरे प्रक्रम में इसे 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों पर लाग किया जायेगा और तीसरे प्रक्रम में 5 लाख तथा कम जन संख्या वाले नगरो में इसे लागू किया जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कह रहा हूं ।

श्री जगन्नाथ राव : ग्रामीण क्षेत्र विचाराधीन हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Have the Government conducted any survey regarding the number of children begging in Delhi at present ?

Shri A. K. Sen : No. The number is not known so far.

श्री हेम राज : क्या यह ठीक है कि यह समस्या धार्मिक स्थानों पर बहुत अधिक है । यदि हां, तो सरकार विभिन्न धार्मिक स्थानों पर इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या विचार कर रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह ठीक है कि धार्मिक स्थानों पर यह समस्या बहुत अधिक है । इस पर एकीकृत रूप से काबू पाना होगा ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या भीख मांगने की समस्या, भीख की किस्मों तथा इस घृणित वृत्ति में लगे हुये बच्चों तथा वयस्कों की ठीक संख्या आदि के बारे में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : जी नहीं ।

श्रीमती विमला देवी : क्या सरकार को उन संगठित दलों के बारे में जानकारी है जो छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें भीख मांगापर बाध्य करते हैं और भिक्षा के बाद सारा धन वे ले लेते हैं और उन बच्चों को हुत कम देते हैं ? यांद हां, तो इस पर दिल्ली तथा अन्य स्थानों में भी रोक लगाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : बच्चों को अपहरण करना अपराध है और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है । सरकार को इस बुराई का ज्ञान है ।

श्रीमती विमला देवी : और दिल्ली के बारे में ?

Shri Bagri : It is an all-India issue and should be discussed. When the question of facing China is raised, it is said that India has lesser population, but on the other hand lakhs of Indians people live on begging.

Mr. Speaker : Whenever one lives, Stands up and Starts Speaking. This can not go on. The proceedings of the House Should not be obstructed like this. But certain hon. members are habituated to act like this daily. The proceedings should not be obstructed like this.

Shri Prakash Vir Shastri : This originates from the front row. You give a chance to them, that is why others also act like wise.

Mr. Speaker : The hon. Member had complained about one case and he mentioned about the front row. I also understand this. Front row Comprises of leaders of your group and they have to be given some concession. What can I do in this regard ?

श्री रंगा : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न है । मुझे खेद है कि जो कुछ श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है मैं समझ नहीं पाया हूं :...

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना है कि अगली पंक्ति में बठे माननीय सदस्य कार्यवाही में सब से अधिक बाधाएं डालते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो आप के अधिकार तथा स्वविवेक का प्रश्न है । इसका निर्णय तो आपको ही करना है ।

श्री रंगा : इस सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों की गलतियों तथा त्रुटियों की ओर आपका ध्यान दिलाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है और कोई कारण नहीं है कि मेरे माननीय मित्र को इस पर आपत्ति हो । मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह 20 अथवा 30 सदस्यों को अपने साथ मिला कर हमारा स्थान ग्रहण कर लें । हमें इस पर कोई अपत्ति नहीं होगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : That day will be coming soon.

Shri Vishran Prasad : This statement is about begging by children. I want to know what scheme is under preparation to stop this.

Shri A. K. Sen : All Schemes will be prepared.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether non-Governmental Institutions and pollitical parties are being Consulted or will be consulted in connection with the Scheme under preparation. The hon. Minister visits many foreign countries. Does he find children begging there also.

Shri A. K. Sen : Everyone will be consulted.

Shri Sarjoo Pandey : The Statement given by the hon. Minister has a Special mention about the provision regarding children begging in big cities. Is the hon. Minister aware that in our country communities as a whole indulge in begging

One Hon. Member : Brahmin.

Shri Sarjoo Pandey : . . . . and children are also included in them. Is the Government adopting some strict measure to eradicate this evil so that the practice of begging is ended.

श्री जगन्नाथ राव : बड़े नगरों में यह कठिनाई बहुत ही विकट रूप में है और हमें इसे सब से पहले हल करना है । निस्संदेह लोग व्यवसाय रूप से भीख मांगते हैं और मेरे विचार से इन के मामले में कुछ नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ ब्राह्मण भी मांगते फिरते हैं परन्तु उनका कृत्य भीख मांगने तुल्य नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : Though Brahimins also beg but this is not their profession alone, others also have the same profession. The hon. Minister has mentioned only the Brahmins.

Shri Bagri : Low caste people also indulge in it very much.

Shri Rameshwaranand : Begging is not a good thing. It is very bad but it is resorted to because of some reasons. The Government is contemplating to ban petty begging, but at the time of elections those people who beg for lakhs of rupees, will they also be prohibited.

Mr. Speaker : Shri Siddhanti.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whether Government is aware that in the name of institutions and in the guise of Sadhus, people kidnap children (interruptions) and they are taught methods of begging ? Whether Government will check them in any way ?

श्री दो० च० शर्मा : यह तो ब्राह्मणों का अपमान है ।

Mr. Speaker : In my opinion, it would be better if Shri Siddhanti and Swamiji sit side by side. Shri Ram Sewak Yadav.

Shri Ram Sewak Yadav : Whereas begging has become a tradition, it is also true that people have to beg because of poverty and hunger. Will government make Some provision by law to provide food and employment for those who beg because of hunger. ?

Mr. Speaker : That question has been asked.

Shri Tulshidas Jadhaw : Is the Government arranging to provide employment to child beggars ?

Mr. Speaker : All these matters come will under consideration.

श्री दे० जी० नायक : चलती रेल गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर भी बच्चों के गुट भीख मांगते रहते हैं

अध्यक्ष महोदय : यह सभी प्रश्न भीख मांगने से संबंधित हैं चाहे भिकमंगे प्लेट-फार्मों पर हों अथवा धार्मिक स्थानों पर--जहां भी वे हों । प्रश्न क्या है ?

श्री दे० जी० नायक : क्या सरकार का विचार चलती रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर बच्चों द्वारा भीख मांगने को समाप्त करने के लिए कुछ प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवत: इस पर भी विचार किया जाएगा ।

श्री पु० र० पटेल : क्या सरकार जानती है कि कुछ व्यक्ति सुकुमार बच्चों द्वारा भीख मंगा कर धन इकट्ठा करने का धंधा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : इस मनोरथ के लिये बच्चों के अपहरण, अपंग बना देने तथा नेत्रहीन तक बना देने के तथ्य की दृष्टि से क्या सरकार भीख मांगने को रोकने के लिये विधान बनाने का विचार रखती है ?

श्री अ० कु० सेन : ऐसे अपराधियों को दंड देने के लिये विद्यमान विधान पर्याप्त है और कई व्यक्तियों को दण्ड दिया जा चुका है ।

Laboratories for Testing Rice

*750. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India has taken steps to ensure quality control of rice to be procured or allowed to be sold in the market ;

(b) whether testing laboratories are to be set up for the testing of rice in all the States ; and

(c) if so, the number of laboratories to be set up State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food &Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir. A beginning has been made by the Corporation. The recruitment of qualified quality control personnel and their training has been taken up.

(b) and (c). To start with, laboratories are proposed to be set up in States of Andhra Pradesh, Madras, Mysore and Kerala. Their number has not yet been finalized.

Shri D. N. Tiwary : The rice that will be tested will be of how many kinds and whether each kind will have its own separate price ?

श्री दा० रा० चव्हाण : सब से पहले तो चावल की किस्म नियंत्रण में उचित वर्गीकरण की आवश्यकता है जैसे सर्वोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा मोटे किस्म का चावल और विविध प्रकार की उपश्रेणियों का निर्धारण जैसे टूटा हुआ चावल, मिश्रित चावल, खराब चावल, खराब रंग वाला चावल, रोगन की मात्रा तथा नमी का अंश । यह देखने के लिये होगा कि जो मात्रा खरीदनी है क्या वह अच्छी औसत किस्म की भी है अथवा नहीं ।

Shri D. N. Tiwary : Whether Government is centemplating to take steps to see that Good quality rice which costs more and inferior quality rice which costs less is not mixed and sold as good quality rice ?

श्री दा० रा० चव्हाण : किस्म नियंत्रण का प्रयोजन यही है कि अच्छी औसत किस्म का निर्धारण हो सके ।

Shri Siddheshwar Prasad : I want to know whether quality control of rice will be applied before keeping it in the Government Godowns and at the time of releasing it into the market or only once for if it is applied before keeping it in the Godowns and not afterwards, then what the Government proposes to do in the event of damage ?

श्री दा० रा० चव्हाण : किस्म नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू किया जाएगा--क्रय करते समय, केन्द्रीय गोदाम में भेजते समय और वितरण करते समय और यह कार्य खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम के अधीन होता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या किस्म नियंत्रण के उपबन्धों के उल्लंघन पर विधान द्वारा दण्ड दिया जा सकता है । यदि हां, तो किस विधान के अधीन ? अथवा क्या सरकार ऐसा करने के लिये विधान बनाएगी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी नहीं । विधान बनाने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं ने अभी अभी माननीय सदस्यों को बताया है कि किस्म नियंत्रण तीन स्तरों पर किया जाता है । खरीदते समय, गोदाम में रखते समय और वितरण के समय । यह खाद्य अपमिश्रण रोक थाम अधिनियम के अधीन होता है । जैसे यह व्यापारियों पर लागू होता है उसी प्रकार यह सरकार द्वारा बेचे गये अन्न पर भी लागू होता है ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : इस किस्म नियंत्रण की मुख्य-मुख्य बात क्या हैं ? रोगनी चावल का रंग अथवा पौष्टिक तत्व ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस संबंध में मैं अभी बता चुका हूं ।

Shri Bibhuti Mishra : Whether Govrnment wants to give some sort of help to the farmers before procuring rice so that they might be able to produce that quality rice which Government intends to procure ?

श्री दा० रा० चव्हाण : उपलब्धि केन्द्रों में चावल मिलों से क्रय किया जाता है और किस्म नियंत्रण उसी स्तर पर लागू होता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार किसानों को विशेष किस्म का चावल उगाने के बारे में कुछ सुझाव देगी ताकि वह उसी किस्म का उत्पादन करें।

Shri Vishram Prasad : It has been stated just now that technical personnel is being appointed. I would therefore like to know the basic qualifications of rice specialists who would be appointed ?

श्री दा० रा० चव्हाण : सभी व्यक्ति जिन्हें भर्ती किया जा रहा है वे विज्ञान तथा कृषि के स्नातक ।

Shri Sarjoo Pandey : It is generally seen that rice bought from Cheap Foodgrains Shops is sold in the black market and police lets such persons off for it cannot be established that rice was purchased from such shops or in the open merket. Therefore will Government bring ligislation or take some other steps to differentiate this rice ?

Mr. Speaker : This Supplementary does not arise out of this question.

पंचायती राज सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्था

+

*751. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की केन्द्रीय संस्था में स्थापित होने के बाद से कैसा काम चल रहा है ;

(ख) इसमें किस प्रकार का अनुसन्धान किया जाता है ;

(ग) संस्था में कितने तथा किन-किन राज्यों के व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ; और

(घ) क्या इसमें प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति राज्य पंचायती राज प्रशिक्षण सस्थाओं में शिक्षक का कार्य करेंगें ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पंचायती राज प्रशिक्षण और अनुसंधान का केन्द्रीय संस्थान, जब स्थापित हुआ था तभी से अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के तत्वाधान में मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले शत-प्रतिशत सहायक अनुदान से चल रहा है।

(ख) केन्द्रीय संस्थान ने अभी तक कोई शोध कार्य शुरू नहीं किया है ।

(ग) अभी तक आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा दिल्ली राज्यों के 283 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किए गए हैं।

(घ) जी, हां, राज्यों के पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षकों के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों को केन्द्रीय संस्थान द्वारा लगाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में भेजा जाता है ।

श्री स० चं० सामन्त : विभिन्न राज्यों में कितने पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं और कब तक उनमें आवश्यक कर्मचारी पूरी सख्या में लगाये जा सकगे ?

श्री ब० सू० मूर्ति : विभिन्न राज्यों में इस समय 107 पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन संस्थाओं में कुप्रबन्ध तथा आर्थिक अनियमितताओं की कुछ शिकायत मंत्रालय में आयी हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कुछ समय हुआ इस संस्था के निदेशक के विरुद्ध एक शिकायत आयी थी । उसकी जांच करायी गयी, परन्तु आरोप सिद्ध नहीं हुए । उस निदेशक ने संस्था को छोड़ दिया है और अब एक अन्य व्यक्ति इसके निदेशक हैं।

Shri M. L. Dwvedi: How much amount was spent on shifting the Central Institute of Panchayati Raj to Hyderabad ? Is it working successfully there, if so, what is the extra expenditure ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह प्रश्न केन्द्रीय पंचायती प्रशिक्षण संस्था के बारे में है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जी हां, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री ब० सू० मूर्ति: यह संस्था तो दिल्ली में है ।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने कहा है कि अनुसंधान कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार "पंचायत प्रणाली पर राजनीति के प्रभाव" को अनुसंधान-कार्य में शामिल करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस संस्था को आल इंडिया पंचायत परिषद् चलाती है । इस संस्था का कोई अनुसंधान अथवा अध्ययन अनुभाग नहीं है । परन्तु आल इंडिया पंचायत परिषद् का एक अनुसंधान तथा अध्ययन एकक है जो इस के अधीन कार्य कर रहा है ।

श्री ब० कु० दास : इस संस्था में अध्ययन के लिये कौन से विषय निर्धारित किये गये हैं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : पंचायती राज, सामुदायिक विकास, सहकारिता, तथा सामाजिक कल्याण आदि विषय हैं ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether Central Government or State Governments will bear the expenditure on the training centres which have been opened in states? If it is to be borne by the central Government the extent upto which it is being done.

श्री ब० सू० मूर्ति : राज्य सरकारों द्वारा पंचों तथा सरपंचों के प्रशिक्षण के लिये चलाई जा रही प्रशिक्षण संस्थाओं की केन्द्रीय सरकार सहायता करती है ।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पंचायती राज को कुशलता की वस्तु समझती है अथवा परम्परागत संस्था ? यदि परम्परागत संस्था, तो इसका उपयोग तथा अनुसंधान कार्यक्रम क्या है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रश्न का तात्पर्य समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : जैसे वह चाहें । क्या वह इसे दोहरायेंगे ?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार है कि व्यक्ति को पंचायती राज में काम करने के लिए वृति पैदा करनी होगी अथवा यह परम्परागत वृति है जिसका प्रयोग होना चाहिये ? यदि यह परम्परागत बात है तो इन संस्थाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों की क्या संगति है क्योंकि उनका संबंध मशीन संबंधी कुशलता से है, परम्परागत चित्तवृत्तियों से नहीं ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : इस में दोनों बातें हैं ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार का विचार और संसद् सदस्यों को ऐसी संस्थाओं में प्रशिक्षण जहां पर वे प्राप्त करने और कार्यक्रमों को अच्छी तरह समझने के लिए भजने का है ?

श्री ब्र० सू० मूर्ति : इन संस्थाओं के साथ संसद् सदस्य सम्बद्ध नहीं हैं।

श्री तिरुमल राव : माननीय मंत्री ने उन राज्यों की सूची दी है जहां से प्रशिक्षार्थी गये हैं। क्या सभी राज्यों के पंचायत अधिनियम एक जैसे हैं ? अथवा उन्हें इस प्रशिक्षण योजना के अधीन सभी राज्यों के अधिनियमों के बारे में सीखना है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : लगभग सभी राज्यों में पंचायतें हैं और वहां पंचों और सरपचों संबंधी प्रशिक्षण मिलता है, और सरपंचों को नहीं ।

Collection of Land Revenue

*752. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various State Governments have been directed by the Central Government to entrust the collection of land revenue to the village panchayats ; and

(b) if so, the reaction of various State Governments in this regard?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख). जी नहीं । इस प्रकार का कोई निदेश नहीं दिया गया था। लेकिन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, में गांव पंचायतें लगान वसूल कर रही हैं ।

Shri Bibhuti Mishra Is it a fact that Central Government has directed various State Governments that the collection of land revenue should be entrusted to village Panchayats and beside this, Central Government wants to utilize Panchayat for making arrangements for manure and other essential things so that agricultural production can be increased. Will this land-revenue collection not hinder the above mentioned work ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मेरे विचार में ऐसी कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि जहां भी वे लगान एकत्र करती हैं वहां उन को इस का भाग मिलता है ।

Shri Vibhuti Mishra : Many State Governments have entrusted this work to village Panchayats.The Panchayats are entitled for a commission but it has not been paid to them and on account of this their work is suffering.

श्री ब० सू० मूर्ति : हमें इसकी सूचना नहीं मिली है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार पंचायतों द्वारा एकत्र किये जाने वाले लगान के भाग को कानून द्वारा निर्धारित करेगी और ग्राम अधिकारियों को पूर्ण रूप से यह कार्य सौंप देगी ताकि स्थानीय झगड़े तथा राजनीति इसमें न हो ।

श्री ब० सू० मूर्ति : जिन राज्यों का मैं ने अभी उल्लेख किया है उन में पंचायतों को यह काम सौपा गया है । मध्य प्रदेश में विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को यह काम सौंपा गया है और अन्य पंचायतों को नहीं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे कानून द्वारा निर्धारित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस से उन्हें अब सन्तुष्ट हो जाना चाहिये ।

Shri Sarjoo Pandey : The work of village Panchayats suffers for want of funds at many places. Will the Government give a share of land rever ue to them so that they can work efficiently ?

अध्यक्ष महोदय : लगान का कुछ भाग पंचायतों को दिया जाये ताकि वे अपना कार्य चला सकें ।

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पंचायतों द्वारा लगान एकत्र करने का ढंग पुराने ढंग से बहुत अच्छा है । यदि उत्तर हां में है तो क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य नहीं कि वे पंचायतों द्वारा ही लगान एकत्र करायें ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सभी राज्य सरकारें लगान का कुछ भाग पंचायतों को दे रही हैं और सरकारें यदि इस योग्य होती हैं तो वे इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि कर देती हैं ।

Shri Vishram Prasad : The hon. Deputy Minister has said that Bihar, Gujarat etc. are some states which have entrusted the land revenue collection work to Panchayats. I want to know whether it will be introduced in other States like U.P., if so, the percentage of revenue to be given to Panchayat there ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं कुछ राज्यों के आंकड़े पढ़ता हूं : आंध्र प्रदेश, 25 पैसे; असम, 15 पैसे

Mr. Speaker: He is asking about Uttar Pradesh. If it is to be introduced there, what percentage will be given to Panchayat ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह राज्य सरकारों के निर्णयों पर निर्भर है ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि खन्ना अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से कहा है कि पंचायतों को सार्वजनिक धन दिया जाये, यदि हां, तो क्या सरकार लगान एकत्र करने के विषय पर इस संदर्भ में निर्णय करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : क्या वह इस प्रश्न को दोहरायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या खन्ना समिति —

श्री कपूर सिंह : यह लेखापरीक्षकों का एक अध्ययन दल था। केवल तीन या चार दिन हुए हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस समिति ने सिफारिश की है कि बहुत सा धन पंचायतों को दिया जाये। और क्या इस बारे में निर्णय किया जायेगा ?

श्री सु० कु० डे० रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुई है और उस पर विचार हो रहा है।

श्री कपूर सिंह : क्या इस विषय पर अन्तिम निर्णय करते समय इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्रीमती जमना देवी।

Shrimati Jamunadevi : A great responsibility is being placed on Panchayat, where land revenue is to be collected by them. Is it not a fact that the Secretary will not be able to do this responsible work; if so, is it proposed to increase the slaary of officers during Panchayat work, so that revenue collection is done properly ?

श्री सु० कु० डे : यही एक कारण है कि केन्द्रीय सरकार इस समय ज़ोर नहीं डाल रही है। जहां जहां भी पंचायतें पूरे समय के लिये कार्यकर्ता उपलब्ध कराने योग्य हैं उनको लगान एकत्र करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिये निर्वाचन

\+

*753. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री समनानी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज निकायों के लिये निर्वाचन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए श्री के० सन्थानम् के सभापतित्व में नियक्त की गयी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या निश्चय किये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पंचायतीराज चुनाव समिति, 1965 की रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1965 को सभा-पटल पर रख दी गई है। इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये एल० टी० संख्या** 4147/65 ।]

(ग) यह रिपोर्ट 27 मार्च, 1965 को मिली थी और इसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has said that its recommendations are under consideration. I want to know how many recommendations are going to be accepted by the Government in near future?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : मैंने पहले कहा है कि रिपोर्ट अभी अभी मिली है और इस पर सरकार विचार कर रही है ।

Shri Sarjoo Pandey : The report which has been given to us and the statement show that Santhanam Committee have recommended the retention of indirect election like Zila Parishads. It is generally seen that powerful people get others arrested, lock them up in the houses and some times kidnap them. This is a defect in this system. I want to know if Government proposes to introduce direct election to Panchayats ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : संथानम समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी जा रही हैं । यह इसलिये कि पंचायतें राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत आती हैं । राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने के पश्चात केन्द्रीय सरकार सोचेगी कि क्या कार्यवाही की जाये । इसके पश्चात यह भी प्रस्ताव है कि इन प्रस्तावों को मंत्रियों के सम्मेलन, जो शीघ्र होने वाला है, में रखा जाये ।

Shri P. L. Barupal : When a voter went for voting, a special mark was put, but in recent elections this has not been done and as a result, people have cast fictitious votes. Can I hope that reforms will be introduced in these arrangements and marking will be introduced ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जैसा कि मैंने पहले कहा है केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों को राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने के लिये भेज रही है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि पंचायत समितियों के गठन के बारे में नियुक्त की गई समितियों ने यह कहा है कि पंचायतों में 70 से 80 प्रतिशत तक लोग उन समुदायों के हैं कि जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और अधिक जनसंख्या वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व पंचायतों में बहुत कम है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : इसीलिये समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधि शामिल किये जायें ।

Rural Industries Centre at Dhanaura Mandi

*754. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether the Rural Industries Centre (Saghan Kshetra) at Dhanaura Mandi (Moradabad) has been closed and its equipment is being auctioned;

(b) if so, the reasons therefor and the estimated loss thereby ; and

(c) whether any other such centres have been or are being closed in U. P. ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Mismanagement and continuous losses; estimated loss is Rs. 4 lakhs.

(c) No, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri : By and large all these centres are meant to provide money for few people but in this center where you have said that these is loss of Four lakhs may I know the investment of the Government ?

श्री जगन्नाथ राव : लगभग तेरह लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में तथा लगभग 10.65 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई थी ।

Shri Prakash Vir Shashtri : May I know whether Government have tried to know that who were responsible for this and whether Government have also tried to punish those persons ?

श्री जगन्नाथ राव : अनुदान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिया गया था । जब लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में इसके बारे में बताया गया तथा आयोग ने केन्द्र की आस्तियों को अपने हाथ में ले लिया था । अब कथित कदाचारों की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

श्री दे० जी० नायक: ग्राम्य औद्योगीकरण योजना लगभग 45 क्षेत्रों में लागू है । मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना का ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

श्री जगन्नाथ राव : यह योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में आरम्भ की गयी थी । 45 परियोजनायें 1964 में आरम्भ की गयी थीं । उन क्षेत्रों में योजना के प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaya : May I know whether it is a fact that in this centre blankets worth of Rs. 80,000 were manufactured but all were eatan up by white ant ? Ambar charkhas were manufactured, which were not found there ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether minister is in the position to tell us those things which were destroyed when Ambar charkhas were not there ?

श्री जगन्नाथ राव : यहां पर अम्बर चर्खे नहीं बनाये जाते हैं ।

डा० पं० शा० देशमुख : देश में ऐसे कितने केन्द्र हैं तथा क्या इन्हीं कारणों से कोई और केन्द्र भी बन्द किया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डेरी विकास

*755. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक डेरी स्थापित करने की योजना सरकार ने कितनी पूरी कर ली है;

(ख) जहां ये डेरी स्थापित की गई है वहां इनसे कितने प्रतिशत मांग की पूर्ति होती है; **और**

(ग) यदि कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) पूछी हुई जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेंगी ।

गोआ, दमन तथा दीव में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

*756. **श्री कजरोलकर :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन तथा दीव में रहने वाली अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में जातियों तथा आदिम जातियों के अनुसूचित न होने के कारण इन वर्गों के योग्य व्यक्तियों को भारत में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये चलाई गई योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है ?

सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) गोआ, दमन तथा दीव में रहने वाली कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उल्लिखित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) देरी का मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में अभी तक जनगणना नहीं हुई है और इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि क्या उल्लिखित की जाने वाली जातियां अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां घोषित होने की कसौटी को पूरा करती हैं ।

(ग) गोआ, दमन तथा दीव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये 1965-66 के दौरान 6.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और तुरन्त ही अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां उल्लिखित करने के बाद योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया जाएगा ।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

*757. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री तन सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या सिफारिशें तथा निर्णय किये गये ;

(ग) क्या सम्मेलन ने फसल ऋण प्रणाली चालू करने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू०मूर्ति) (क) से (घ) : छः राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के सहकारी समितियों के निबन्धकों का एक सम्मेलन 15 मार्च, 1965 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें इन राज्यों के कुछ सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि भी थे। इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऋण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने, जिसमें फसल ऋण योजना लागू करना तथा अन्य सम्बद्ध मामले शामिल हैं, में हुई प्रगति का अंदाजा लिया जाए और अड़चनों पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपाय तैयार किए जाएं। इसकी मुख्य सिफारिशें या निर्णय इस प्रकार थे :—

(क) पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया, जिसमें निष्क्रिय अथवा मृतप्रायः समितियों का परिसमापन और चल सकने योग्य यूनिट बनाने के लिए कमज़ोर समितियों को आपस में मिलना भी शामिल है, को तेज़ किया जाना चाहिए और जून, 1966 के अन्त तक इस कार्य को पूरा कर दिया जाए।

(ख) एक्शन प्रोग्राम में दी गई फसल ऋण पद्धति बिना किसी और देरी के सभी राज्यों में अपनाई जानी चाहिए।

(ग) निबन्धकों द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिएं ताकि बैंक समितियां और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता फसल ऋण पद्धति के आशयों को पूरी तरह समझ सकें।

(घ) सहकारी समितियों के माध्यम से क्रमिक रूप से तकावी ऋण देने की नीति सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिए। चूंकि करने वालों को किसी भी दशा में सरकारी तकावी नहीं दी जानी चाहिए। जहां सरकार द्वारा तकावी सीधे दी जाती है वहां ब्याज की दर वही होनी चाहिए जो सहकारी ऋण पर ली जाती है।

(ङ) चौथी योजना का मसौदा तैयार करने में कृषि विभाग तथा सहकारी वित्त एजेन्सियों को पूरी तरह सम्मिलित करना चाहिए। ऋण की जो राशि वितरित की जानी है उसका अनुमान लगाने में कृषि उपज बढ़ाने के लिए अपेक्षित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को बराबर ध्यान में रखना चाहिए।

उत्तरी गेहूं खंड

*758. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि वह दिल्ली को छोड़कर उत्तरी गेंहू खण्ड को बना रहने दे ताकि वह प्रस्तावित समीकरण भण्डार बनाने के अपने वायदे पूरे कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पंजाब सरकार ने सुझाव दिया था कि उत्तरी गेंहू क्षेत्र को बना रहने दिया जाए और दिल्ली का अलग क्षेत्र बनाया जाए लेकिन वे गेंहू के बारे में किसी भी अखिल भारतीय नीति को मानने के लिये तैयार थे।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि गेहूं के वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धों को जारी रहने दिया जाए जिससे कि दिल्ली उत्तरी गेहूं क्षेत्र का अंग बना रहेगा।

उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें

759 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री यशपालसिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्यायुक्त का विचार दिल्ली संघप्रशासित राज्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बसों के आने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वादपद को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मोटर वेहिकल्स एक्ट 1939 की धारा 63 के अन्तर्गत दिल्ली से उत्तर प्रदेश को चलने वाली बसों के लिये दिल्ली क्षेत्र में चालन के लिये राज्य परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है किन्तु उत्तर प्रदेश प्राधिकारी उसे पिछले कुछ समय से प्राप्त नहीं कर रहे थे। दिल्ली प्रशासन इस तरीके को 15-3-65 के आगे नहीं ले जाना चाहता था और उसने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को सूचित किया कि दिल्ली के मोटर गाड़ी प्रवर्तन कर्मचारी उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की उन सब बसों की पड़ताल करेंगे जो उस तारीख से बगैर वैध प्रतिहस्ताक्षर के दिल्ली में दाखिल होंगी। चूंकि उत्तर प्रदेश प्राधिकारी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन गाड़ियों के चालन सम्बन्धी समस्त प्रमुख प्रश्नों पर

विचारविमर्श और दिल्ली गाजियाबाद मार्ग पर चलने वाली डी० टी० यू० बसों के परमिटों पर प्रति-हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हैं, इसलिये दिल्ली प्रशासन ने अपना निश्चय लागू नहीं किया। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ऐसा समझौता कराने का प्रयास कर रहा है जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो।

Deep-sea Fishing Corporation

*760. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government intend setting up a Deep-sea Fishing Corporation in collaboration with foreign countries ; and

(b) if so, the names of countries approached and the names of those which have agreed to help ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) The scope of undertaking deep-sea fishing in collaboration is being considered with U.S.A., Japan, Russia and Iceland. Generally these countries have agreed to help.

डेनियल वालकाट का भाग निकलना

*761. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 सितम्बर, 1963 को डेनियल वालकाट के भारत से भाग निकलने के बारे में जैन समिति के प्रतिवेदन की उपपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री एल० सी० जैन, जिन्होंने श्री डेनियल एच० वालकाट के 26 सितम्बर, 1963 को सफरदजंग हवाई अड्डे से बच निकलने के बारे में जांच की है, की रिपोर्ट में नोटिस में आये हुए अधिकारियों के जवाबों की जांच की जा रही है।

ऐसे मामलों से संव्यवहार करने के लिये कानून की शर्तों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 और भारतीय एयरक्राफ्ट नियम, 1937 को संशोधित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

दिल्ली में दूध का भाव

*762. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध के भाव में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार के सम्मुख ऐसा प्रस्ताव है ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को मूल्यों में संशोधन करने के लिये बाध्य होना पड़ा है क्योंकि इसे काफी ऊंचे भाव पर दूध खरीदना पड़ रहा है । एक बड़े प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में दुग्ध इकट्ठा करने के खर्च बढ़ गए हैं ।

Renewal of Milk Cards

*763. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Consumers' milk cards which were issued after September, 1964 are not being renewed by the Delhi Milk Scheme, and

(b) if so, the reason therefor ?

Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) All valid milk cards issued under the authority of the Chairman, Delhi Milk Scheme, are being renewed.

(b) Does not arise.

मूल्य वृद्धि प्रतिरोध आन्दोलन समिति के दुग्ध स्टाल

*764. श्री हेमराज :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने मूल्य वृद्धि प्रतिरोध आन्दोलन समिति के दुग्ध स्टालों को दूध न देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). ऐसे पांच संगठनों को दूध सप्लाई किया गया था । मूल्य वृद्धि कार्य-समिति, राजौरी गार्डन को सप्लाई जारी है । अन्य समस्त मामलों में स्थिति सुधरने पर सप्लाई बन्द कर दी गई थी । आन्दोलन के सदस्यों को स्थायी रूप से दूध सप्लाई करने का इरादा कभी नहीं था ।

कृषि उत्पादन बढ़ान में पंचायतों का योगदान

*765. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द्र कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० न० तिवारी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति ने सुझाव दिया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पंचायती राज्य कार्यक्रम की पुनः रचना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या उपाय अपनाने का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) उन्हें कार्य-रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति ने पहली जनवरी, 1965 को हुई अपनी बैठक में सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य को वे सभी उपाय–वैधानिक संगठनात्मक तथा प्रशासनिक––उठाने चाहियें जो पंचायती राज संस्थाओं का कृषि उपज में अधिकतम सम्भव योगदान सुलभ कराने के लिये अपेक्षित हो ।

(ग) योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उपसमिति के सुझाव के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके, समीक्षा करें और समीक्षा के परिणाम केन्द्रीय सरकार को अगस्त 1965 के मध्य तक सूचित करें ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का सम्भरण

*766. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने नकद-बिक्री कार्डों पर दूध देना कम कर दिया है ; यदि हां, तो कितना ; और

(ख) क्या अनेक अनियमित कार्ड (घोस्ट कार्ड) बन गए हैं जिनके कारण दूध के सामान्य सम्भरण से कार्डधारियों की मांग पूरी करना कठिन हो गया है; यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : जी नहीं ।

(ख) कई मामलों में ग्राहकों ने स्वयं ही बिना किसी अधिकार के जितना दूध उनके कार्डों पर लिखा है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया है । कुछ अप्राधिकृत कार्डों का भी पता लगा लिया गया है । इसी लिए यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना डिपो का कोटा सप्लाई कर रही है, तथापि असली ग्राहकों को दूध का अपना कोटा पाने में कठिनाई होती थी ।

समस्त अप्राधिकृत कार्डों को और ऐसे मामलों को जिनमें ग्राहकों ने जितना दूध उनके कार्डों पर लिखा है उसकी मात्रा बढ़ा दिया है अलग अलग करने के लिये कदम उठाये गये हैं । ग्राहकों की सूची तथा उनके सितम्बर-अक्तूबर, 1964 के कोटे और अध्यक्ष, दल्ली दुग्ध योजना की आज्ञानुसार जारी किये दूध-कार्डों के आधार पर दूध के नए कार्ड दिए जा रहे हैं ।

दिल्ली परिवहन प्राधिकार

*767. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेडा :
श्री रामपुरे :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली परिवहन प्राधिकार से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बड़ी संख्या में निजी बसें चलाने पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पिछले वर्ष अप्रैल, में यू० पी० रोडवेज़, मेरठ, के डिप्टी जनरल मैनेजर ने दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग की रिपोर्ट की थी कि ठेके पर चलने वाली दिल्ली की गाड़ियां (बसें) जिन्हें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच गाड़ी चलाने के अस्थायी परमिट दिये गये थे वे यू० पी० रोडवेज़ के विभिन्न स्टेशनों से सवारियां बैठा लेती थीं। यह भी रिपोर्ट की गई थी कि ये गाड़ियां परमिट द्वारा अधिकार दी हुई संख्या से अधिक फेरे लगाती हैं और वापिसी यात्रा के लिये निश्चित तारीखों में अदल बदल भी कर रही है । राज्य परिवहन प्राधिकार दिल्ली ने इस मामले पर २०-७-६४ को अपनी एक बैठक में विचार किया और निश्चित किया कि उन ठेके की गाड़ियों के परमिट रद्द कर दिए जायें जिन परमिट होल्डरों के मामलों में उत्तर प्रदेश अधिकारी अदालत से दोष सिद्धि प्राप्त कर लें। राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली, ने इन गाड़ियों के मालिकों को भी चेतावनी दी कि यदि अन्तर्राज्यीय चालन के लिये उनकी गाड़ियों के मामलों में अस्थायी परमिटों की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उन मामलों में सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

बीकानेर बीरमसार राजपथ

1951. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर और बीरमसार (राजस्थान) के बीच राष्ट्रीय राजपथ बनाने के काम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). बीकानेर-डूंगरगढ़ सेक्शन का निर्माण अनुसूची के अनुसार हो रहा है। निर्माण कार्य की पहली अवस्था पूरी होने को है और लगभग एक वर्ष के समय में सड़क सब तरह से पूरी हो जायेगी ।

डूंगरगढ़-बीकानेर सेक्शन के बारे में, चालू योजना के अनुमोदित कार्यक्रम में भूमि प्राप्त करने ही की व्यवस्था है। भूमि प्राप्त करने के काम का सूत्रपात किया जा चुका है और भूमि का आधिकार प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं आ रही है।

हरिजन कन्या छात्रावास

1952. श्री रामचन्द्र मलिक: क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में समूचे देश में हरिजन कन्या छात्रावास बनाने के लिये कुछ धनराशि मंजूर की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1964 तक ऐसे कितने छात्रावास बनाये गये ; और

(ग) उपर्युक्त तारीख तक इस प्रयोजन के लिये वास्तव में कुल कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, श्रीमान् । इस कार्य के लिये 20,00 लाख रुपये की रकम निश्चित की गयी है । केवल अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये नया छात्रावास बनाने के बजाय वर्तमान छात्रावास में नए ब्लाक जोड़ने के लिये केन्द्रीय सहायता दी गयी है ।

(ख) एक ।

(ग) महाराष्ट्र में एक छात्रावास के लिये केवल 20,000 रुपये आवंटित किये गये हैं । शेष 19.80 लाख रुपया चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों के लिये आवंटित किया जायेगा ।

आदिम जाति विकास खण्ड

1953. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में आदिम जातियों की जन संख्या का ध्यान न रख कर आदिम जाति विकास खण्डों को मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने खण्ड हैं जो इस प्रयोजन के लिये निर्धारित जनसंख्या के सामान्य सिद्धांत के अनुसार नहीं हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). जी नहीं। केवल दो नए आदिम जाति विकास खण्डों अर्थात् डिंडोरी तथा चारमा को छोड़ कर । मूल्यांकन के बाद इन दोनों खण्डों में 66 2/3 प्रतिशत अर्थात् 63 प्रतिशत और 64.74 प्रतिशत क्रमशः से कम आदिम जाति के लोग पाए गये हैं। इस कारण से तथा खण्डों को खोले जाने के कारण विचार है कि मामले को पुनः आरम्भ न किया जाए ।

मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र

1954. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश आदिम जाति क्षेत्रों में लोग निर्धनता के कारण विकास-कार्य के लिये नकदी में योगदान नहीं दे सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का विकास करने के लिये कोई दूसरा तरीका निकाला है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जो नक़द धन नहीं दे सकते हैं वह श्रम तथा / अथवा अन्य सामग्री से योगदान दे सकते हैं । इसके अतिरिक्त आदिम जाति क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियां होने के कारण पर्याप्त छूट दे दी गयी है जिससे जनता इसमें भाग ले सके । उदाहरणतः आदिम जाति क्षेत्रों (स्थानीय

विकास कार्यक्रम के अधीन) पीने के पानी के संभरण की योजना के मामले में कोई भागीदारी नहीं मांगी गयी है। योजनायें शत प्रति शत अनुदान के आधार पर स्वीकार की गयी हैं। इसमें श्रम तथा /अथवा सामग्री की भागीदारी अथवा नकद धन लगाने की कोई शर्त नहीं है। आदिम जाति क्षेत्रों में अन्य विकास योजनाओं के लिये इस शर्त को काफी उदार बना दिया गया है यद्यपि आशा है कि जनता 25 प्रतिशत तक इसमें भाग लेगी।

आदिम जाति क्षेत्रों में जनता के योगदान को हटाने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है।

बस्तर की आदिम जातियां

1955. **श्री लखमू भवानी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की आदिम जातियों के उत्थान के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं जैसे उन्हें उचित शिक्षा देना ; और

(ख) यदि हां, तो उन की शिक्षा तथा अच्छे रहन-सहन के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमतीचन्द्र शेखर) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी मंगाई गयी है तथा राज्य सरकार से मिल जाने के बाद यथाशक्ति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेगिस्तान नियंत्रण योजना

1956. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रेगिस्तान नियंत्रण योजनायें तैयार करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने के लिये संघ सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये जायेंगे ; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

पर्यटकों के लिए होटल

1957. **श्री राम हरख यादव** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तुशास्त्रियों की अमरीकी संस्था का एक सदस्य इस लिये भारत आया हुआ है कि वह भारत में पर्यटकों के लिये एक मध्यम दर्जे का आधुनिक होटल बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाये ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) होटल बनाने के ठेके की शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वास्तुशास्त्रियों ने कोई योजना पेश नहीं की है, किन्तु एक प्रमुख भारतीय होटल मालिक ने दिल्ली में मध्यम दर्जे के एक होटल की स्थापना की संक्षिप्त योजना पेश की है । इस में लगभग 1.25 करोड़ रुपये की लागत लगेगी । अमरीकी वास्तुशास्त्रियों मि० मार्टिन घुटमैन इस की डिज़ाइन तैयार करेंगे और प्रत्याशित निवेश के 80 प्रतिशत तक की विदेशी मुद्रा के ऋण का भी प्रबन्ध करा देंगे ।

योजना अभी हाल ही में मिली है और उस का परीक्षण किया जा रहा है ।

सहकारी कानून

1958. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के सहकारी कानूनों में सहकारी समितियों की विभिन्न करों, अर्थात्, मुद्रांक शुल्क, न्यायालय शुल्क, आयकर, कृषि आयकर और बिक्री कर आदि से ली जाने वाली छूट अथवा रियायत सम्बन्धी क्या उपबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों को ऐसी सुविधायें किस सीमा तक दी गयी हैं ?

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियों के अधिनियमों में जो उपबन्ध किये गये हैं, उनका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4148/65]**।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सहकारी ऋण

1959. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कैसे तथा कितनी राशि के सहकारी ऋण दिये गये ;

(ख) प्रत्येक संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र ने कितने ऋण की मांग की थी तथा सहकारी क्षेत्र उस आवश्यकता का कितना भाग पूरा कर सका ; और

(ग) क्या सहकारी क्षेत्र किसी विशिष्ट अग्रणी क्षेत्र के लिये कोई पूर्ण वित्तीय योजना चालू की गयी है अथवा तैयार की जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1964–65 का सहकारी वर्ष 30 जून, 1965 को समाप्त होगा, इसलिये संघीय क्षेत्रों के वर्ष के दौरान में दिये गए सहकारी ऋणों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) संघीय क्षेत्रों में ऋणों की सामान्य आवश्यकता और सहकारी क्षेत्र द्वारा उसकी कहां तक पूर्ति की गई, का पता लगाने के लिये कोई अलग से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 1961–62 में भारत के रिजर्व बैंक ने जो अखिल भारतीय ग्राम तथा निवेश सर्वेक्षण किया था, से पता चलता है कि सारे देश में किसान परिवारों ने जो ऋण छिपा लिया उसका लगभग 25 प्रतिशत भाग सहकारी क्षेत्र ने सुलभ किया ।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का 'पूर्ण वित्तीय योजना' से क्या अभिप्राय है। मद्रास राज्य में एक योजना लागू है जिसे 'पूर्ण वित्तीय योजना' कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को वे सभी ऋण सहकारी समितियों द्वारा सुलभ किये जाते हैं जो कि कृषि उपज के लिये अपेक्षित होते हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्विति के लिये सुझायी गई 'फसल ऋण पद्धति', जो कि देश के कुछ भागों में अपनाई जा चुकी है, के अन्तर्गत कृषकों की कृषि उपज सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। इस बात के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि इस योजना को सभी क्षेत्रों में अपनाया जाए ।

केन्द्रीय सड़क उपकर निधि

1960. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 तथा 1964–65 में मद्रास राज्य के लिये केन्द्रीय सड़क उपकार निधि से कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) यह राशि किन-किन निर्माण कार्यों पर उपयोग की गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1963–64 में 14.79 लाख रुपया और 1964–65 में 13.00 लाख रुपया। अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सड़क निधि से है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

असैनिक उड्डयन कर्मचारी

1961. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की कुछ मांगों पर जिन पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही थी, अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन मांगों के अन्तर्गत विद्यमान वेतनमानों, विभिन्न पदों पर नियुक्ति की नीति में बड़ी तब्दीलियों का होना, आदि मामले सन्निहित हैं ; दूसरे सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जिनकी विस्तृत जांच करना आवश्यक है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

1962. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल काम कर रहे हैं ;

(ख) 1965–66 में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने अस्पताल खोलने का विचार है ; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

सामुदायिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दस ।

(ख) एक ।

(ग) 22,34,800 रुपये ।

बीजापुर में हवाई पट्टी

1963. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर में हवाई पट्टी के निर्माण सम्बन्धी कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इसके नक्शे तथा प्राक्कलन मंजूर किये गये हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) : (क) और (ख) : हवाई पट्टी के निर्माण के लिए स्थान चुन लिया गया है । इस निर्माणकार्य का प्राक्कलन तैयार करने के लिये आवश्यक आगे के आंकड़े इक्ट्ठे किये जा रहे हैं ।

मीनक्षेत्रों का विकास

1964. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच आइसलैंड की आर्थिक तथा तकनीकी सहायता से भारत में मीन क्षेत्रों के विकास में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में समझौते पर कब हस्ताक्षर किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख). आईसलैण्ड की सरकार से अर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये अभी कोई प्रायोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है ।

Hilly Areas of Assam

1965. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the scheme formulated in respect of the development of hilly areas of Assam has been considered ; and

(b) if so, the decision of Government thereon and the estimated expenditure involved ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). In 1963, a three year integrated development programme including agriculture, communication, water supply and education was approved by the Planning Commission for implementation in Mizo District of Assam at a total cost of Rs. 5 crores.

राष्ट्रीय राजपथ

1966. **श्री विभूति मिश्र**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री० म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को राज्य के नगर पालिका क्षेत्रों से राष्ट्रीय राज्यपथ मिलाने के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). संभवत: सदस्य महोदय का तात्पर्य नगर पालिका क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्य भागों से मिलाने वाली सड़कों की आर्थिक सहायता देने से है। 20,000 या अधिक जन संख्या वाले नगर पालिका के शहरों के राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की मरम्मत करने और या सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मुख्य मार्ग एक्ट 1956 की 8वीं धारा के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। इस के अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य सरकार के साथ नगर पालिका क्षेत्रों में पड़ने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के किसी भाग का विकास करने और उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में करार कर सकती है। इस तरह के करार के अधीन सम्बन्धित पार्टियों द्वारा खर्चे के भुगतान में हिस्सा लेने की व्यवस्था है।

2. करार की शर्तों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रों में जहां कम से कम 100 फुट चौड़ी सड़क के लिए जमीन उपलब्ध हो वहां राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार खर्च देगी और इस तरह के लिंक स्थायी राष्ट्रीय मुख्य मार्ग लिंक माने जायेंगे।

3. जहां सड़क के लिए 100 फुट चौड़ी जमीन उपलब्ध नहीं है वहां नगर पालिका से गुजरने वाला हिस्सा राष्ट्रीय राज मार्ग का अस्थायी लिंक माना जावेगा और ऐसे शहरों के आस पास बाहरी रास्तों का निर्माण बाद में किया जावेगा।

4. स्थायी और अस्थायी लिंकों की मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार 5,000 रुपये प्रति मील प्रति वर्ष की दर से या वास्तविक खर्चा, जो भी कम हो, देगी। अगर राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की सड़कों की मरम्मत पर प्रति मील 5,000 रुपये से अधिक जितना खर्च आ हो उस अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार देगी।

5. अब तक ऐसे करारों पर सिर्फ उड़ीसा और राजस्थान की राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं, जो कि उक्त शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं।

राजस्थान और उड़ीसा में इस प्रकार के लिंकों की लम्बाई क्रमशः 18.77 मील और 3.25 मील है।

केरल में चावल का मूल्य

1967. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चावल पैदा करने वालों ने चावल के अधिक मुल्यों की मांग की है ;

(ख) क्या इस मांग की पूर्ति के लिए केरल प्रशासन ने विशेष वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इस पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). जी हां, उत्पादकों ने चावल के अधिक भावों की मांग की थी। तथापि, केरल सरकार ने भावों में वृद्धि करना नहीं माना लेकिन कुट्टानाड क्षेत्र के धान के खेतिहरों को चूना और चूने के पदार्थों को बिक्री में अनुपूर्ति देने का प्रस्ताव किया। उनके प्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है।

थोक सहकारी स्टोर

1968. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता सहकारी समिति योजना के अन्तर्गत देश में अब तक 50,000 से अधिक जन संख्या वाले कितने नगरों तथा कस्बों में थोक स्टोर खोले गये हैं ; और

(ख) पहिले से विद्यमान थोक स्टोरों का पूंजी-ढांचा कहां तक सुदृढ़ बनाया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 224।

(ख) सरकार प्रति थोक भण्डार यूनिट की अंशपूंजी में एक लाख रुपए तक योगदान देती रही है।

दक्षिण भारत में दूध संयंत्र

1969. **महाराज कुमार विजय आनन्द :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में दिल्ली दुग्ध योजना तथा बम्बई में आरे दुग्ध योजना की तरह का एक दूध संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नगरों में दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मदुराई (मद्रास राज्य), बंगलौर (मैसूर राज्य), हैदराबाद तथा विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में दिल्ली दुग्ध योजना की तरह की बृहत्त दुग्ध योजनाएं स्थापित की जा रही हैं। संयंत्रों की क्षमता ऐसी रखी जा रही हैं जिस से कि नगरों/कसबों की जनसंख्या की दूध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है आरे दुग्ध बस्ती के आधार पर एक ऐसी योजना स्थापित की गई ह जिसके साथ एक पशु बस्ती भी होगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

चीनी उद्योग की क्षमता

1970. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1965 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देने के बारे में मंत्रालयों में परस्पर मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). ऐसे कोई मतभेद नहीं थे ।

कलकत्ता-आसाम स्टीमर सेवा

1971. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कलकत्ता तथा आसाम के बीच चलने वाले स्टीमरों में सेवा करने वाले 5,000 पाकिस्तानी श्रमिकों से सम्बन्धित वित्तीय प्रश्न के निपटारे के लिये भारत तथा पाकिस्तान सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी आक्रमण के तुरन्त पश्चात् और सामान का लाना ले जाना ठप्प करने के उद्देश्य से की गई पाकिस्तानी नाविकों की हड़ताल के बाद जो निर्णय किया गया उसकी शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). ज्वाइंट स्टीमर कंपनियों (अब रिवर्स स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड) के पाकिस्तानी कर्मीदल ने 9 अक्तूबर, 1962 को पूर्वी पाकिस्तान में हड़ताल की। बहुत लम्बी बातचीत के बाद हड़ताल 4 दिसम्बर 1962 को समाप्त की गई थी। कम्पनी और हड़ताल करने वाले उसके कर्मीदल के बीच हुए समझौते के ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4149/65]** समझौते के ज्ञापन के अनुसार ये दो विषय एक समिति के सुपुर्द किये जाएंगे। यह समिति प्रबन्ध और कर्मीदल के प्रतिनिधियों से बनी होगी और भारत और पाकिस्तान सरकारों के प्रतिनिधि भी भाग लेने वालों या सलाहकारों की हैसियत से उस में उपस्थित रहेंगे। समिति के हवाले करने के प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने सहमति देदी है।

इन विषयों पर विचार विमर्ष करने के लिए कलकत्ता में 8 और 9 अप्रैल, 1965 को एक बैठक होगी।

फ्लोटिला नाविकों की हड़ताल

1972. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार समयोपरि भत्ते के लिए अपनी मांग पर जोर देने के लिये जनवरी, 1965 में बम्बई पत्तन न्यास के फ्लोटिला नाविकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने पत्तन न्यास प्राधिकारियों को ऐसा कदम उठाने से पहले कोई सूचना दी थी ; और

(ग) न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार समयोपरि भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) हड़ताल 15 जनवरी, 1965, को कुछ घंटों के लिये ही हुई थी।

(ख) जी हां, हड़ताल उस समय की गई थी जबकि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बम्बई द्वारा समझौते की कार्यवाही की जा रही थी।

(ग) हड़ताल के लिये जिम्मेदार, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट जनरल वर्कस यूनियन ने मांग की थी कि 1 मार्च, 1951 से पूर्व व्यक्ति सहित :——

1. 12 घंटों की पारी का डाक फ्लोटिला कर्मीदल जिसमें 8 घंटे सामान्य काम के और 4 घंटे ओवरटाइस के शामिल हैं, जिस पारी की साप्ताहिक बदली के समय लगातार 24 घंटों तक काम करना पड़ता है ; उन्हें 12 घंटे से आगे के लिये मजदूरी की सामान्य दर से दूना ओवर टाइम दिया जाना चाहिये।
2. पोर्ट ट्रस्ट की बारह छुट्टियों में पोर्ट ट्रस्ट के पोर्ट विभागों के कुछ कर्मचारियों को काम करने पर दिये गये विशेष प्रतिकर भत्ते को मिनिमम वैजेज एक्ट, 1948 के अन्तर्गत ओवर टाइस की संगणना के लिये मजदूरी की सामान्य दर को भाग समझा जाना चाहिये ;

आटो रिक्शाओं के लिए किराया-मीटर

1973. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या परिवहन मंत्री दिल्ली में आटो रिक्शाओं के किराया-मीटरों के बारे में 8 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली से परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बंधित फर्म (मेसर्स इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, बंगलौर) को किराये के मीटरों में कुछ संशोधन करने के लिये कहा गया है । फर्म से संशोधित मीटरों के फिर जांच के लिए मिलने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

Election Symbol

1974. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that both the Samyukta Socialist and the Praja Socialist Parties have approached the Election Commission to allot the election symbol "hut"; and

(b) if so, the decision arrived at in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) & (b). The Samyukta Socialist Party formed by the merger of Praja Socialist and Socialist Parties was allotted the symbol "Hut" in September, 1964. On the 5th February, 1965, the Praja Socialist Party informed the Election Commission that it had annulled its merger with the Socialist Party under the name of the Samyukta Socialist Party and demanded restoration of the allotment of the symbol "Hut". The Samyukta Socialist Party has objected to part with the symbol "Hut" already allotted to it. The matter is under consider. ation of the Election Commission and no decision has been arrived at so far.

आदर्श राजपथ विधेयक

1975. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन ने परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाये गये आदर्श राजपथ विधेयक में यह उपबन्ध करने के लिए सुझाव दिया है कि दोनों केन्द्र तथा राज्यों में राजपथ प्राधिकार बनाये जायें ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत उस विचार विमर्श की ओर है जो फरवरी 1965 में नगर तथा ग्राम आयोजन के राज्य मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में उक्त विषय पर बंबई में हुआ था। उक्त सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपियां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संबंधित विभिन्न राज्य और केन्द्रीय प्राधिकारियों को अभी हाल ही में भेजी गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रस्ताव सूचित करते हैं कि सम्मेलन ने स्टेट हाईवे एक्ट की वर्तमान हैसियत और नेशनल हाईवे एक्ट के क्षेत्र पर विचार करने के बाद तथा सड़कों, यातायात नियंत्रण चिह्न, चौड़ाई, दृश्यता दूरी इत्यादि के मानक स्थिर करने और लागू करने के लिये एक उपयुक्त एजेंसी स्थापित करने की तथा राष्ट्रीय और राज्यों के मुख्य मार्गों पर रिबन विकास रोकने की आवश्यकता समझते हुए यह निश्चय किया कि :—

1. राज्य सरकारों को शीघ्रातिशीघ्र आदर्श विधेयक के समान जिस परिवहन के संघीय मंत्रालय ने परिचालित किया है, स्टेट हाईवे एक्ट अधिनियमित करना चाहिए और राज्य मुख्य मार्ग प्राधिकरणों की स्थापना करनी चाहिये जिन्हें यातायात नियंत्रण युक्तियों, यातायात चिह्नों सड़कों के मानकों तथा रिबन विकास पर नियंत्रण में एकरूपता सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार वर्तमान नेशनल हाईवे एक्ट के क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार करे जिससे उसके क्षेत्र में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के समस्त विकासों पर नियंत्रण रह सके जिससे राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के प्रकार्य स्थिर और सुरक्षित रख सकें और राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के यातायात चिह्नों, सड़क मानकों, इत्यादि, का लागू किया जाना सुनिश्चित हो सके।

जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है वे इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जहां तक राष्ट्रीय मुख्य मार्गों का संबंध है, भारत सरकार एक पुस्तक तैयार कर रही है जो राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के अतिसर्पण दूर करने के लिये और इन मार्गों पर रिबन विकास नियंत्रित करने के लिये तथा विकास को नियमित करने के लिए अलग कानून होगा।

भूख से छुटकारा आन्दोलन

1976. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाट्टिन्घम की भूख से छुटकारा आन्दोलन समिति ने ग्रामीणों को स्थानीय खादों के पकाने व तैयार करने के सर्वोत्तम तरीकों की शिक्षा देने के लिए भारत में प्रयोग करने के लिये एक मोटरगाड़ी खरीदने के प्रयोजनार्थ भारत को लगभग 4,000 पौंड की राशि दान में दी थी ; और

(ख) यदि हां तो क्या मोटरगाड़ी खरीद ली गई है और इसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). नाट्टिन्घम की भूख से छुटकारा आन्दोलन समिति ने भारत में एक चलती फिरती खाद्य तथा पौष्टिक आहार विस्तार सेवा की स्थापना के सम्बन्ध में एक मोटरगाड़ी जिसकी लागत लगभग 2,500 पौंड है सप्लाई करने की पेशकश की है। यह पेशकश स्वीकार कर ली गई है। आशा है मोटरगाड़ी कुछ महीनों में मिल जायेगी।

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें

1977. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने ऐसे गन्ना उत्पादकों को, जिन्होंने 28 फरवरी, 1965 तक गन्ना दे दिया था, गन्ने के मूल्य की कुल कितनी राशि का भुगतान नहीं किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : 28 फरवरी, 1965 तक उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों द्वारा खरीदे गए गन्ने के 49.73 करोड़ रुपए के कुल मूल्य में से उस तारीख तक 4.45 करोड़ रुपये नहीं दिये गए थे ।

गन्ने की खेती का विकास

1978. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गन्ने की खेती के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को 1964-65 में कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस अवधि में उस राज्य में कुल कितनी एकड़ भूमि में गन्ने की खेती आरम्भ की गई ; और

(घ) इस अवधि में उड़ीसा में गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) योजनावार अलग अनुदान स्वीकार नहीं किया गया है । परन्तु 1964-65 में गन्ना विकास योजनाओं समेत कृषि उत्पादन योजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 68.84 लाख रुपया स्वीकार किया गया है ।

(ग) और (घ). उत्पादन तथा क्षेत्र के अनुमानों के बारे में जानकारी गन्ने के 1964-65 के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलनों में उपलब्ध होंगे । परन्तु 1964-65 में दूसरे अनुमान के अनुसार उड़ीसा में 39,600 हैक्टेयर भूमि में गन्ना बोया गया है ।

उड़ीसा को सहायता

1979. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को राज्य में (1) पशुपालन (2) डेरी तथा दूध के सम्भरण और (3) मीन क्षेत्रों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि प्रदान की ; और

(ख) इस अवधि में उड़ीसा में इन योजनाओं पर वास्तव में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर

1980. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 406 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर" को अन्डमान द्वीप समूह में लकड़ी के भारी लट्ठे ले जाने के उपयुक्त बनाने के लिए अपेक्षित समझ गए संरचना परिवर्तनों का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : "लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर" को अंडमान द्वीप समूह में लकड़ी के भारी लट्ठे लेजाने को उपयुक्त बनाने के लिए अपेक्षित समझे गए संरचना परिवर्तनों का स्वरूप तथा ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) पुल का निर्माण ।

(2) नाविकों के लिए स्थान की व्यवस्था ।

(3) आवश्यकतानुसार फ्रेम को सुदृढ़ करना ।

(4) लकड़ी के तख़्तों से ढक्कन को सजाना ।

(5) लट्ठों की लदाई के लिए वाष्प क्रेन की व्यवस्था करना ।

दमदम-कलकत्ता हेली-टैक्सी सेवा

1981. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम हवाई अड्डे से कलकत्ता तक हेली-टैक्सी सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब चालू की जायेगी ;

(ग) क्या उसके लिए किराया लिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

नागर विमानन मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो): (क) से (घ). विमानक्षेत्रों और नगर स्थित एयरलाइन्स कार्यालयों के बीचहेलीकोप्टर सेवा चलाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने एयरलाइन के यात्रियों की अभिरुचि मालूम करने के उद्देश्य से एक राय सर्वेक्षण करना शुरू किया है। इस तरह की सेवा की आवश्यकता और लोकप्रियता सिद्ध हो जाने के बाद, किराया आदि से सम्बद्ध ब्यौरे पर विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना

1982. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने योजना आयोग को सुझाव दिया है कि गावों में रहने वाले लोगों की दशा में सुधार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत योजना बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की समाज सेवा सम्बन्धी समिति इन सुझावों पर विचार कर रही है ।

त्रिपुरा में खाद्य स्थिति

1983. **श्री दशरथ देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा के कैलाशहर, धर्मनगर और अनारपुर सब-डिवीज़नों के उत्तरी भागों की आदिम जातियों को भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है और त्रिपुरा प्रशासन उन पीड़ित झुमियां आदिम जातियों को संरक्षण देने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पहाड़ी क्षत्रों में झम की फसल अच्छी न होने के कारण कैलाशहर, धर्मनगर और अनारपुर सब डिवीज़नों के आदिम जातियों के क्षेत्रों में चावल की कमी हुई बतायी गयी है। तथापि, यह ठीक नहीं हैं कि इन क्षेत्रों की आदिम जातियां भारी खाद्य संकट का सामना कर रही हैं और त्रिपुरा की सरकार पीड़ित झुमियों के संरक्षण के लिये कोई प्रभावी उपाय नहीं कर रही है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा इन क्षेत्रों में चावल की सप्लाई की जा रही है। झुमियां आदिम जातियों के बसने के लिये साप्ताहिक वेतन आधार पर एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने के कार्य भी किये जाते हैं।

अगरतला-कलकत्ता विमान सेवा

1984 **श्री दशरथ देब :** क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले उत्तरायण संक्रान्ति उत्सव के समय त्रिपुरा के गंगा शनगत्री के लिए सुविधा देने के लिए इस वर्ष अगरतला और कलकत्ता के बीच हवाई जहाजों की विशेष उड़ानों का प्रबन्ध किया गया था ;

(ख) क्या इस पुनीत पर्व पर त्रिपुरा के तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष विमान चलाने के सम्बन्ध में त्रिपुरा के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) : (क) जी, हां। 13 जनवरी, 1965 को एक अतिरिक्त उड़ान की गयी थी।

(ख) जी, हां ।

(ग) कारपोरेशन को 11, 12 और 13 जनवरी, 1965 को प्रतिदिन दो उड़ानों के हिसाब से कलकत्ता/अगरतला/कलकत्ता की विशेष उड़ान करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था । चूंकि एक तरफ़ा यात्रा के आधार पर अतिरिक्त उड़ान करना लाभप्रद नहीं था, इसलिये आने जाने की चार्टर सेवा के आधार पर 3,000 रुपये प्रति उड़ान की लागत से उड़ान करना प्रस्तावित किया गया था । यात्रियों की मार्ग-यात्रा का प्रबन्धकर्ता उपयुक्त दर पर राजी नहीं हुआ । उन्होंने 13 जनवरी, 1965 की एक उड़ान ली । फिर भी, यात्रियों के लाभ के लिए, अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लगभग सभी सामान्य उड़ानें 28 सीटों वाले विमान से की गयीं ।

नियमित उड़ानों को डीसी—4 विमानों से चलाने की संभावना पर विचार किया गया था लेकिन रनवे के डीसी—4 विमानों के योग्य न रहने के कारण यह विचार छोड़ देना पड़ा ।

Cases of Untouchability (Offences) Act, 1955

1985. **Shri Ramanand Shastri :**
Shri Kajrolkar :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the number of cases regarding which reports have been lodged in Delhi under Untouchability (Offences) Act, 1955 during the last three years ;

(b) the number of such cases in which either the culprits have been punished by the Courts or the Courts have ordered for compromise between the parties concerned;

(c) whether some Central Government employees are also included in the persons accused for the violation of this Act; and

(d) if so, the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Social Security (Shrimati Chandrasekhar : (a) Eight.

(b) Convicted one : Compounded two ; Cancelled one ; and pending trial four.

(c) & (d). Yes, One. Police have submitted a challan in the court.

Irrigation Planning

1986. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Shree Niranjan Das :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a team of three U.S. experts toured India last year ;

(b) if so, whether any suggestions on irrigation projects were made by them; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes.

(b) & (c). The Team's main recommendations deal with :

(i) Proper agricultural plans, covering construction and maintenance of water courses, drains, preparation of fields, using of improved implements, establishment of demonstration farms, etc., in areas served by old as well as new irrigation projects, for maximising agricultural production through efficient water management ;

(ii) Construction of tubewells and wells for providing supplemental irrigation in the command of existing canal systems ; and

(iii) Intensification of ground water survey programme.

The Central and State Governments have been aware of the need for action on most of these lines and, are engaged in pursuing programmes in these directions.

उड़ीसा विधान-सभा के लिए आम चुनाव

1987. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा के मुख्य मंत्री के 12 मर्च, 1965 को उत्कल विश्व विद्यालय के वार्षिक समारोह में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह नहीं चाहते कि वर्तमान विधान सभा की अवधि 1967 में होने वाले आम चुनावों तक बढ़ाई जाये अपितु यह चाहते हैं कि विधान सभा के चुनाव मई, 1966 में किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी, नहीं। जो वक्तव्य उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा 12 मार्च, 1965 को दिया गया बताया गया है, उस के बारे में न तो भारत सरकार को और न निर्वाचन आयोग को ही, कोई जानकारी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली कलकत्ता विमान सेवा

1988. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से कानपुर-बनारस तथा पटना होती दमदम (कलकत्ता) तक विमान सेवा के 1 अप्रैल, 1965 से बन्द किये जाने की संभावना है

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके विरोध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) कानपुर/बनारस, कानपुर/पटना और कानपुर/कलकत्ता के बीच बहुत कम वहन पात (लोड फैक्टर) होने के कारण इसके बदले में दिल्ली/कानपुर/लखनऊ/बनारस/गोरखपुर सेवा पहली अप्रैल, 1965 से चल रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

1989. श्री चुनीलाल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों में से प्रत्येक को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) इन राशियों के आवंटन में यदि कोई असमानता है तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1964–65 में पहाड़ी क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना में क्रमशः 4.92 करोड़ रुपये और 8.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें से क्रमशः 1.07 करोड़ रुपये और 2.35 करोड़ रुपये इन राज्यों में कृषि विकास के लिए हैं ।

(ख) हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के व्यय की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का समस्त क्षेत्र पहाड़ी है जब कि पंजाब का कुछ भाग पहाड़ी है ।

सहकारी कृषि संस्थायें

1990. श्री गोपालदत्त मैंगी :
श्री समनानी :
श्री अब्दुल ग़नी गोनी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1964 के अन्त में देश में कुल कितनी सहकारी कृषि संस्थायें काम कर रही थीं ;

(ख) ऐसे फार्मों से कितने किसान सम्बद्ध थे ;

(ग) 1963–64 में इन फार्मों में चावल और गेहूं की औसत उपज और एक अकेली इकाई में अनाज की अधिकतम पैदावार कितनी थी; और

(घ) इसी अवधि में व्यक्तिगत किसानों की औसत पैदावार की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक ?

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मार्च, 1964 के अन्त में 3.762 सहकारी खेती समितियां कार्य कर रही थीं।

(ख) इन फार्मों की कुल सदस्य संख्या 74,558 थी।

(ग) व (घ). इन फार्मों में चावल और गेहूं की औसत उपज और एक अकेली इकाई में अनाज की अधिकतम पैदावार के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ; तथापि, इस कार्यक्रम का आंकन तथा मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त की गई निदेशन समिति द्वारा एकत्रित किये जा रहे आंकड़ों से चुनी हुई सहकारी खेती समितियों के उत्पादन सम्बन्धी कार्य का पता चलने की आशा है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1991. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण-योजना के अन्तर्गत कितनी राशि मंजूर की; और

(ख) योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का आवंटन 1014·17 लाख रुपये था। इसमें 'पोस्ट मैट्रिक' छात्रवृत्तियों की योजनाओं का अनुदान भी शामिल है।

(ख) आशा है कि 31 मार्च, 1965 तक उत्तर प्रदेश सरकार अनुमानतः 575·97 लाख रुपया व्यय कर देगी।

भाटक कार्यों के लिए विमान

1992. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाटक कार्यों के लिए एक इंजन तथा दो इंजन वाले बनान्जा, सेस्ना अथवा पाइपर किस्म के चार-पांच सीटों वाले छोटे विमान खरीदने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री कानूनगो) : चार्टर प्रयोजनों, खासकर पर्यटकों के छोटे दलों को वहन करने के लिए अधिक छोटे विमानों को खरीदने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Development of Sundarban, West Bengal

1993. Shri Raghunath Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a proposal to secure the assistance of Dutch experts for the development of Sundarban (West Bengal) is under consideration ; and

(b) if so, the broad details thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No such proposal is under consideration of the Central Government.

(b) Does not arise.

Air Tickets in Hindi

1994. { Shri P.L. Barupal : / Shri Samnani :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state whether Government propose to print in Hindi the Tickets issued by the two Air Corporations with a view to promote Hindi, the official language ?

Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) : There is no proposal at present to print the tickets in Hindi.

Cochin-Bombay Flight

1995. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any report or representation about the inadequacy of the present Cochin-Bombay flight from the Kerala Air Passengers' Association or the Cochin Office of the Indian Airlines Corporation: and

(b) if so, the steps Government propose to take to relieve the pressure on this route ?

Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) : (a) and (b). The Corporation have received such representations and have been aware of the fact that the capacity available withone Friendship flight per day on the Bombay/ Cochin route is inadequate. Due to the unsuitability of the airfield at Cochin, for Viscount operations it has not been possible to introduce bigger type of aircraft on the sector. There is no spare capacity available to operate an additional Friendship service. The Corporation will try to provide additional services as soon as additional equipment for regional routes becomes available.

आर्य नगर सहकारी स्टोर, दिल्ली

1996. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़गंज, दिल्ली के आर्य नगर सहकारी स्टोर ने किस तारीख को संकल्प द्वारा स्टोर बन्द करने का फैसला किया ;

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इसे किस तारीख को बन्द करने का फैसला किया ;

(ग) मध्यवर्ती देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) परिसमापन कार्य वाही को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 9–12–1961 ।

(ख) 14–1–1964 ।

(ग) भण्डार का तारीख 9–12–1961 का संकल्प सहकारी विभाग में प्राप्त नहीं हुआ था । सहकारी समितियों के निरीक्षक की 27–12–1963 की रिपोर्ट मिलने पर कि भण्डार ने काम करना बंद कर दिया है, इस मामले की जांच की गई और परिसमापन सम्बन्धी आदेश जारी किये गये ।

(घ) परिसमापन की कार्यवाही प्रगति पर है । परिसम्पत्ति के संग्रह और देयता के निपटान के लिए कार्यवाही की जा रही है । यह बताना सम्भव नहीं है कि कब इस प्रक्रम को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

दिल्ली राज्य उपभोक्ता सहकारी स्टोर संघ

1997. श्री प० ला बारूपाल : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य उपभोक्ता सहकारी स्टोर संघ के समापन का आदेश किस तारीख को दिया गया ;

(ख) संघ को समाप्त करने के बारे में अब तक कितनी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है ;

(ग) इसके समापन को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिए विकास आयुक्त ने क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) इस मामले में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सहकारी समितियों का एक निरीक्षक इस संघ के प्रशासन अथवा प्रबन्ध से सम्बन्धित था ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) 19-6-1962

(ख) (1) परिसमापक द्वारा लेखे की जांच ।

(2) फुटकर देनदारों से 45,973 रु० की वसूली ।

(3) पांच सदस्य सहकारी समितियों को हिस्से के धन की अनुपातिक वापसी

(ग) विकास आयुक्त कार्यवाही की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और परिसंमापक को आवश्यक सलाह देता रहता था ।

(घ) बिलम्ब परिसम्पत्ति की वसूली में आने वाली कठिनाइयों के कारण हुआ है ।

(ङ) जी हां, 26-5-1960 से 15-1-1961 तक ।

दिल्ली की सड़कें

1998. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री करनो सिंहजी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1965 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रोड्स दैट कन्टीन्यू टू दी ए नाइट मेयर (वे सड़कें जो अब भी डरावनी हैं) नामक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) राजधानी की सड़कें मुख्यत : दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन है । मूलत: ये सड़क वर्तमान विस्तृत यातायात की पूर्ति के लिए नहीं बनायी गयी थीं और साधारणत: इनको मजबूत और चौड़ा करने की आवश्यकता है । सरकार इस समस्या के बारे में जागरूक है । जून 1962 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली में यातायात पर समिति नाम की एक समिति की स्थापना की थी । इस समिति ने इस बारे में छान-बीन की है और सिफारिशें की हैं जिन्हें लागू किया जा रहा है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नैपाल सरकार द्वारा चीन के विदेश मंत्री के सामने दिये गये भोज में भारतीय राजदूत का सम्मिलित होना

श्री कपूर सिंह (लधियाना) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अबिलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

नेपाल सरकार द्वारा चीन के विदेश मंत्री के सम्मान में दिये गये भोज में काठमांडू स्थित भारत के राजदूत का शामिल होना ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : चीन के विदेश मंत्री, मार्शल चेन यी के नेपाल में पहुंचने से कुछ समय पूर्व, नेपाल स्थित भारत के राजदूत ने हम से इसकी हिदायत मांगी थी कि वह महामहिम की सरकार द्वारा चीन के विदेश मंत्री के सम्मान में आयोजित भोज आदि के अवसर पर उपस्थित हो या नहीं। हमने राजदूत को हिदायत दी कि वह महामहिम की सरकार द्वारा आयोजित समारोहों के निमंत्रण स्वीकार कर लें लेकिन किन्हीं अन्य उत्सवों के निमंत्रण नहीं, जिनमें काठमांडू स्थित चीनी राजदूतावास द्वारा आयोजित उत्सव भी सम्मिलित हैं।

विगत समय में इस प्रकार के मामलों में हमारा यही सामान्य रुख रहा है। जब चीन के प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1963 से फरवरी, 1964 तक एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों की यात्रा की थी, तब भी उन देशों में हमारे मिशन प्रमुखों ने निदेश मांगे थे और उन्हें वैसे ही निदेश उस समय भेज दिए गए थे।

चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है और वह हमारे प्रदेश के बड़े भू-भाग पर गैर-कानूनी और अनुचित कब्जा किए हुए हैं। चीन सरकार ने हमारी सरकार, हमारे देश और लोगों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इसलिए, नीति के अनुसार विदेश-स्थित हमारे प्रतिनिधि पीकिंग को छोड़कर, चीनियों द्वारा आयोजित अन्य किन्हीं उत्सवों के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते; पीकिंग में चीन सरकार के यहां विश्वस्त रूप से नियुक्त हमारा प्रतिनिधि बना हुआ है।

लेकिन जब किसी मित्र देश की सरकार अपने देश में विश्वस्त रूप से नियुक्त हमारे प्रतिनिधि को किसी आने वाले विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान में आयोजित किसी समारोह में निमंत्रित करती है तो हमारे मिशनों को यह निदेश है कि उस देश की सरकार के प्रति सौजन्य के रूप में, जहां कि वे नियुक्त किए गए हैं, निमंत्रण स्वीकार कर लें। इस प्रकार के निमंत्रणों को अस्वीकार करने का मतलब यह होगा कि आतिथेय देश के प्रति सौजन्यहीन कार्य किया गया है, जिसे न करना चाहिए।

हमारे पड़ौसी नेपाल के साथ, हमारे सम्बन्ध खासतौर से निकट, सौहार्द और मित्रता-पूर्ण हैं। सरकार इसे नितांत उचित समझती है कि नेपाल स्थित हमारा राजदूत महामहिम की सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करता जैसा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने ऐसा सरकार के निदेश के अनुसार किया है।

श्री कपूर सिंह : काहिरा में इसी प्रकार की घटना के बारे में 30 मार्च, 1964 को, श्री हेम बरूआ तथा अन्य सदस्यों ने सभा में एक प्रश्न पूछा था। उस समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने सभा को बताया था कि विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों को स्थायी आदेश दिये गये हैं कि वे न तो चीनी दूतावास के कर्मचारियों को आमंत्रित करें और न ही उनके किन्हीं निमंत्रण को स्वीकार करें। किन्तु वैदेशिक-कार्य मंत्री महोदय ने उन आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की है जिसे अपवाद नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या विदेशों में हमारे प्रतिनिधि चीन के प्रतिनिधियों के सम्मान में किसी देश की सरकार द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने की बात को टाल नहीं सकते ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने अपनी समूची नीति स्पष्ट कर दी है । माननीय सदस्य और अधिक क्या चाहते हैं ?

श्री कपूर सिंह : मोटे तौर पर यह ठीक है । किन्तु क्या वे कूटनीतिक तरीके से इसे टाल नहीं सकते ?

श्री स्वर्ण सिंह : निस्संदेह, हम विदेशों में अपने राजदूतावासों के प्रतिनिधियों से इस नीति के अन्तर्गत कूटनीतिक तरीके से कार्य करने की आशा रखते हैं।

श्री कपूर सिंह : कदाचित मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का अर्थ नहीं समझे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : इन सब बातों को देखते हुए क्या अभी वह समय नहीं आया जबकि स्थिति पर पुनर्विचार किया जाये तथा हिदायतों में फेरबदल किए जाएं ताकि हमारे प्रतिनिधि मेजबान देश को अप्रसन्न किये बिना ऐसे समारोहों में शामिल होने की बात टाल सकें ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने यही नीति अपनाई है और माननीय सदस्य भी इस से सहमत होंगे कि यह सही नीति है ; वर्तमान नीति में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह चीन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं अपितु उन देशों के प्रति है जहां हमारे दूतावास हैं ।

Shri Bagri (Hissar) : It is shameful for us that we are attending the banquet given to China which killed 10 thousand Indians.

श्री सोलंकी (कैरा) : जब मार्शल चेन यी काठमांडू पहुंचे, तब भारतीय पत्रकारों को, उनके पास प्रवेशपत्र होने पर भी, हवाई अड्डे के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी गई इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल पृथक प्रश्न है। इस समय केवल यह प्रश्न है कि हमारे प्रतिनिधि को समारोह में शामिल होना चाहिए था या नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार 14 नवम्बर, 1962 को इस सभा द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भूल गई है अथवा वह इतनी दुर्बल हो गई है कि चीनियों से डरती है ? क्या इस समारोह में चीन के विदेश मंत्री ने अपने भाषण में गुटों से अलग रहने वाली नीति की प्रशंसा की थी किन्तु भारत के लिए यह कहा कि यद्यपि भारत अपने को गुटों से अलग रहने वाला देश कहता है फिर भी वास्तव में वह गुट में शामिल है ; क्या काहिरा में राष्ट्रपति नासिर द्वारा जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य के अध्यक्ष के सम्मान में दिये गये भोज में हमारे राजदूत शामिल नहीं हुए थे जबकि जर्मनी हमारा मित्र देश है, यदि हां, तो इस प्रकार की विषमताओं के क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। हमारी शिथिलता का कोई प्रश्न ही नहीं है । हम सही नीति पर चल रहे हैं। यदि समारोह में कोई हमारे विरुद्ध बातें करें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम समारोह में शामिल ही न हों । अपने भाषणों में हम भी जो चाहें कह सकते हैं । यदि हम ऐसे समारोहों में इसलिए न जायें कि वहां हमारे विरुद्ध बातें की जाती हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यूरोप, अमरीका में कई स्थानों पर जब जब श्री ख्रुश्चेव के भाषणों पर ब्रिटेन और अमरीका को आपत्ति थी, तब तब उन देशों के राजदूत वहां से उठ कर चले गये। यहां पर हमारी सरकार निकम्मी हो गई है । उसमें साहस नहीं है । यह हमारे लिए अपमान और लज्जा की बात है । सरकार बेशरम हो गई है ।

Shri Bagri : On the one hand the whole country is raising its voice against Chin....

Mr Speaker : Hon. Members go on speaking on their own whim. It has become daily routine I cannot tolerate it. Some Members do not allow me to speak and obstruct the proceedings of the House. I have repeatedly requested the Members not to speak when I am on my legs. Shri Kamath has put a question which is being replied to by me.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Is it a rule that Shri Kamath is putting a question and it is not being replied to by the hon. Minister ? Why you always protect them ?

Shri Bagri : There is a rule that when a Member is not allowed by the Chair to speak, he should obey the Chair. But I did not violate the rule. On the one hand the whole country is against China which has illegally occupied our territory and on the other hand, we are attending those banquets which are being given in honour of China which is creating a misunderstanding and what I want is that the whole position be made clear.

Mr. Speaker : I have derived much satisfaction from his statement that he always obey the Chair and never interrupts the proceedings of the House. I am grateful to him for the decorum he maintains in the House. However, I shall request the House to take note of such interruptions if it wants that the proceedings of the House should be allowed to go smoothly.

श्री स्वर्ण सिंह : काहिरा में आयोजित समारोह के बारे में भेदभाव स्पष्ट है । यह एक ऐसे देश के प्रतिनिधि के सम्मान में आयोजित किया गया था जिसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : I would like to submit that every Member of this House has a regard for you. I am of opinion that you may call a meeting of the Business Advisory Committee which may be consulted in this connection. The House will abide by its decision.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I shall also submit that Government should give satisfactory replies to the question and efforts should not be made to avoid answering question. This tendency is mainly responsible for such a situation in the House.

Mr. Speaker : Swamiji also wants to speak on the issue raised by Shri Tyagi.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : This is a very important point. We do not want, in any case, to hurt your feelings. We rise to speak only when we are not given proper answers by Government to our satisfaction.

Shri Gulshan (Bhatinda) : Sir, in accordance with the rules framed by you, only those Members can raise supplementaries whose names appear in the main question. But it is often observed that Members other than those also speak because the question is not satisfactorily replied to. It is, therefore, necessary that we should follow the rules and the Government should also co-operate.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे ? जहां तक मुझे जानकारी है कि संसार के प्रमुख देशों की राजधानियों में योग्य कूटनीतिज्ञों ने ऐसा कदम उठाया था . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत अपने पहले प्रश्न पर ही जोर दे रहे हैं जब कि मैं श्री त्यागी द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में सोच रहा हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझा कि वह मामला समाप्त हो चुका है । इसीलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया क्योंकि माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की ।

जहां पर किसी समारोह में किसी देश के विरुद्ध बात कही गई वहां उन देशों के प्रतिनिधियों को समारोह से उठकर जाने में लेशमात्र भी संकोच नहीं हुआ । इस प्रकार की घटनाएं मास्को, वाशिंगटन तथा अन्य स्थानों पर हुई थीं । कि-तु हमारी सरकार शिथिल नीति अपना रही है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह गलत है कि हमने ऐसे अवसरों पर शिथिलता का परिचय दिया, भारत के विरुद्ध कोई बात कही जाने पर हमने विरोधपत्र भेजे। इस प्रकार के विरोध पत्र कई देशों को भेजे गये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विरोध केवल कागज तक ही सीमित रहा । क्यों न हम समारोह से उठकर चले जाएं ।

श्री स्वर्ण सिंह : उस अवसर पर भी यदि विशेष रूप से उल्लेख किया गया होता तो हमारा राजदूत अपनी इच्छानुसार उचित कार्यवाही करता । ऐसे मामलों में निर्णय समारोह में शामिल होने वाले राजदूत पर छोड़ दिया जाता है ।

मैं श्री कामत की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे मामलों में राजदूत को उचित कदम उठाकर विरोध प्रकट करना चाहिए । यह बात अवसर पर निर्भर करती है कि वह वक्तव्य दे कर विरोध प्रकट करे अथवा समारोह का त्याग कर के । मैं माननीय सदस्य से सिद्धांत रूप में सहमत हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : वे दुर्बलता तथा साहस के अभाव के कारण समारोह छोड़ कर नहीं जाते ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : भारत को साधारण नागरिक चीनियों से मेलजोल करने से इनकार कर के अपना नैतिक स्तर बनाये हुए है जब कि सरकार के प्रतिनिधि चीनी

[श्री हेम बेरुआ]

आक्रमण के बाद भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं । इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस दोहरी नीति के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें दोहरी नीति का प्रश्न नहीं है। न तो हम चीन के साथ समझौता ही कर रहे हैं और न ही यह सच है कि हम चीन को किसी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। हमारे राजदूत का इस प्रकार के समारोहों में शामिल होना न तो चीन से मेल जोल बढ़ाना है और न ही उसे सहयोग देना है । अतः यह सुझाव निरर्थक है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether it is a fact that several sino-Nepalese Friendship Associations are in existence in various places in China where Indian Ambassador in China is also invited on many occasions and these associations make efforts to strengthen the relations between China and Nepal ? In view of this, is it proper on the part of our Ambassador to participate in such functions ?

Shri Swaran Singh : I am not aware of it. I do not think that they participate in such functions.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Quary)

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा अन्य सदस्यों ने एक और ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है । इसमें गृह-कार्य मंत्री का ध्यान भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाया गया है । माननीय सदस्य इसका उत्तर तत्काल चाहते हैं क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है । मैंने मंत्री महोदय से आज साढ़े पांच बजे वक्तव्य देने के लिए कहा है । मैं समझता हूं कि यह समय ठीक रहेगा ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इसका उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्री देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : साढ़े पांच बजे वैदेशिक-कार्य मंत्री इसका उत्तर देंगे ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : पुनर्वास मंत्री महोदय भी उस समय उपस्थित रहें ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में सरकारी संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : मैं भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–12 (1)/64 दिनांक 3 अप्रैल, 1965 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 4143/65]** ।

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 19(9)/64–पी आर (टी), जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1964 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कुछ संशोधन किये गये थे, की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 4144/65]।**

बेलन चक्कियां गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा. रा. चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत बेलन चक्कियां गेंहू उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 24 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 492 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4145/65]।**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

इकहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अ चं. गुह (बारसाट): मैं पुनर्वास मंत्रालय––1 जनवरी, 1964 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत पहुंचने वाले नये आव्रजकों का स्वागत, उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजना तथा उनका पुनर्वास-सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का इकहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

(1) राष्ट्रीय नौपरिवन बोर्ड

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, 8 जून, 1965 से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौपरिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप-धारा (2) (क) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, 8

[अध्यक्ष महोदय]

जून, 1965 से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौपरिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

(2) प्राक्कलन समिति

श्री अ. चं. गुह (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से तीन सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

(3) लोक लेखा समिति

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री मुरारका : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य-सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1965 से आरम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य-सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

———

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें (संशोधन) विधेयक

COAL MINES PROVIDENT FUND AND BONUS SCHEMES (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

अनुदानों की मांगें —जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय: अब सभा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांग संख्या 72 से 74, 135 और 136 पर विचार करेगी । इसके लिए 5 घंटे नियत किए गये हैं ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे 15 मिनट के अन्दर मेरे पास चिट भेज दें कि वे किन किन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

वर्ष 1965-66 के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
72	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	25,47,000
73	बहुप्रयोजनी नदी योजनायें . .	1,75,31,000
74	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	7,84,79,000
135	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	21,27,53,000
136	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	8,56,77,000

अध्यक्ष महोदय : ये मांगें सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

श्री कृष्ण पाल सिंह (जालेसर): यद्यपि हाल के वर्षों में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने बहुत सराहनीय कार्य किया किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रगति आशा के अनुकूल नहीं हुई ।

देश में सिंचाई की स्थिति निराशाजनक है । 1960-61 में देश में खेती योग्य कुल 32.8 करोड़ एकड़ भूमि में से केवल 6 02 करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी । यह कुल खेती की जाने वाली भूमि का केवल लगभग 20 प्रतिशत है । इस भूमि में से सरकारी नहरों द्वारा केवल 2.2 करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती है । केवल 87 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें एक बार से अधिक सिंचाई होती है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 2.447 करोड़ एकड़ भूमि में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं से सिंचाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु अभी तक 1 64 करोड़ एकड़ भूमि में ही सिंचाई कार्य पूरा हो पाया है । आशा है कि योजना के अन्त तक और 20 से 30 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी । इस प्रकार हम सिंचाई लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे । यह स्पष्ट है कि बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें हमारी सिंचाई समस्या को नहीं सुलझा सकती हैं । अतः हमें छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर ध्यान देना होगा ।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में सिंचाई के लिए पक्के कुए बनाये गये हैं इनसे हमारे सामने यह समस्या खड़ी हो गई है कि इन कुओं से पानी निकालने के लिए बिजली कैसे पैदा की जाये । इस सम्बन्ध में हमारी वर्तमान स्थिति निराशाजनक है । यह दुख की बात है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बिजली का उत्पादन बहुत कम होता है । मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से ऐसा लगता है कि आवश्यक सामान तथा विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हम इस दिशा में आशाजनक प्रगति नहीं कर पाये । अतः बिजली पैदा करने में जो बाधायें हैं, उन्हें यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिये ।

भारत में बिजली पैदा करने की लागत संसार के सभी देशों से अधिक बताई जाती है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों को दी जाने वाली बिजली बहुत मंहगी होगी। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें।

दूसरी कठिनाई हमारे सामने यह है कि किसानों को कभी भी समय पर बिजली नहीं दी जाती जबकि उनसे न्यूनतम निर्धारित प्रतिभार लिया जाता है। प्राय: देखा गया है कि उन्हें बिजली वर्षा ऋतु आरम्भ होने पर दी जाती है जोकि उनके लिए व्यर्थ होती है। बिजली की लाइन देने में भी बड़ी धांधलेबाजी चलती है। इस सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन दिए गये हैं किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार को इन की ओर ध्यान देना चाहिए।

हमारे देश में कई परियोजनाओं की उपेक्षा की गई है। भारत जैसे विशाल देश में नदियों के पानी से पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। अत: सरकार को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

भारत में गांव प्राय: उपेक्षित हैं। 5.5 लाख गांवों में से 40,000 से कम गांवों में बिजली की व्यवस्था है। अत: समय की मांग को देखते हुए हमें यह कार्य तीव्र गति से करना चाहिए।

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या अभी गंभीर बनी हुई है। प्रति वर्ष बाढ़ से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि होती है और सैंकड़ों पशुओं तथा मनुष्यों की जानें जाती हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जलानुवेधन से स्वास्थ्य पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। बाढ़ नदियों में गाद इक्ट्ठा हो जाने से आती हैं। इसके अतरिक्त जब नहरें, सड़कें और रेलवे लाइनें बनाई जाती हैं तो जल निस्सारण के लिये उचित प्रबन्ध नहीं किये जाते जिसके फलस्वरूप वर्षा में देश के विस्तृत क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। हमें इस मामले की सही रूप से जांच करनी चाहिये और जलनिस्सारण की व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। कुछ नये नाले बनाये गये हैं परन्तु वह पर्याप्त नहीं हैं। वर्षा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बड़ी बुरी हालत हो जाती है। लगभग 6 से 7 मील लम्बी चौड़ी झीलें बन जाती हैं। सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि वे किसान जो बहुत धनी थे, अब रेलवे में मजूरी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये नये नाले बनाये जायेंगे और सड़कों, रेलवे लाइनों तथा नहरों पर जलनिकासी की व्यवस्था में शीघ्रता से सुधार किया जायेगा।

रिपोर्ट में मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि इस कार्य के लिये 300 करोड़ रुपये चाहियें जबकि केवल 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जो पर्याप्त नहीं है। देश और जनता को जो हानि उठानी पड़ती है उससे बचने के लिये मैं सम्बद्ध मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्य के लिये अधिक राशि नियत करें। यह भी एक प्रकार का नियोजन ही होगा क्योंकि इससे काफी लाभ होगा। भूराजस्व भी मिलेगा और बाढ़ आने से हमें जो किसानों को कुछ न कुछ सहायता देनी पड़ती है उसकी भी बचत होगी।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को जो सहायता दी जाती है वह बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में यह सहायता एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। एक किसान एक रुपये से क्या करेगा? न वह मकान बना सकता है और न ही आगामी फसल के लिये बीज ही खरीद सकता है। ऐसी सहायता का क्या लाभ है। यदि सहायता देनी है तो वह पर्याप्त होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जितनी

[श्री कृष्ण पाल सिंह]

सहायता निर्धारित की जाती है उतनी वास्तव में सम्बंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देगा।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हुं वह यह है कि पंजाब के कुछ भागों में दिल्ली के आसपास, दिल्ली में, दक्षिण भारत में तथा देश के अन्य कई भागों में भूमिगत पानी तथा जलानुवेधन की जो समस्या है इसको जब तक हम हल नहीं करेंगे तब तक योजनाओं को पूरा करना हमारे लिये कठिन हो जायेगा। यह समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। हमारी बहुत अच्छी भूमि जलमग्न हो जाती है और इसके फलस्वरूप हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस समस्या की ओर अपना ध्यान देगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मंत्रालय ने कुछ अच्छा कार्य किया है परन्तु बहुत कुछ करना अभी बाकी है। सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये सरकार को छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय ने पिछले वर्ष काफी अच्छा कार्य किया है, कई योजनायें चालू की गईं जो पूरी होने वाली हैं। कुछ नये बिजलीघर स्थापित किये गये जहां पर विद्युत् का उत्पादन हो रहा है। यह सब कार्य जो मंत्रालय ने किया है सराहनीय है। फिर भी कुछ रुकावटें पेश आ रही हैं, चाहे इनका सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय झगड़ों से है अथवा विदेशी मुद्रा से। अन्तर्राज्यीय झगड़ों को निपटाने के लिये हमें अखिल भारतीय स्तर पर नदी बोर्ड स्थापित करने चाहियें जो भारत सरकार के अधीन कार्य करें। इस बारे में हमारे पुराने अधिनियम हमारी सहायता नहीं कर सकते अतः हमें उनमें संशोधन करना चाहिये। भारत सरकार को अन्तर्राज्यीय जल संसाधनों तथा इन झगड़ों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और राष्ट्रीय नीति के आधार पर योजनायें बनानी चाहियें।

सिंचाई क्षमता की प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है। सरकार को जो इस बारे में कठिनाइयां पेश आ रही हैं उन्हें बताना चाहिये और उन्हें दूर कर के कार्य को तेजी से पूरा करना चाहिये जिससे ग्रामीण भारत में तरक्की हो सके। किसान की समृद्धि सिंचाई पर निर्भर है और उसे पानी नहीं मिलेगा तो वह समृद्ध नहीं हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सिन्धु जल करार के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में त्रिमु-इस्लाम लिंक पूरा हो गया है, परन्तु पानी बन्द करने के पहले चरण को अभी तक पूरा नहीं किया गया। पाकिस्तान का यह एक झूठा बहाना है कि नहर तो तैयार हो गई है परन्तु ठेकेदार ने अभी उनको नहीं सौंपी है। हमारे क्षेत्रों को इस से बहुत हानि उठानी पड़ रही है। जब फसलें पकने लगती हैं तो पानी की कमी हो जाने के कारण उत्पादन कम होता है और इसके फलस्वरूप पंजाब और राजस्थान के लोगों को काफी हानि उठानी पड़ती है। इस लिये उक्त करार के अन्तर्गत पानी रोकने के पहले चरण को पूरा करना चाहिये और 1970 में इस करार के समाप्त होने के पश्चात् सारा पानी रोक लिया जाना चाहिये।

व्यास बांध कार्य में अनुसूची के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है। मुझे सन्देह है कि हम व्यास तथा थेन बांध को नियत समय में पूरा कर सकेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय करार के उत्तरदायित्व तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव को महसूस किया जाना चाहिये। यह दोनों बांध अत्याधिक आवश्यक हैं और इनको अनुसूची

के अनुसार 1970 अथवा कम से कम 1973 तक पूरा कर लिया जाना चाहिये। हमें इस पानी का पूर्ण लाभ उठाना चाहिये और पाकिस्तान को इसके पश्चात् पानी नहीं दिया जाना चाहिये। इनको सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

पंजाब की सब से बड़ी समस्या जलानुवेधन है। पंजाब सरकार ने इसके लिये जल निकासी का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्र द्वारा दिये गये 16 करोड़ रुपये खर्च किये गये और अब वे अपने संसाधनों में से 20 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि खर्च कर रहे हैं। भारत सरकार को उनकी इस कार्य में सहायता करनी चाहिये। जलानुवधन की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है न कि किसी एक राज्य की। पंजाब सरकार ने जल निकासी पर 20 करोड़ रुपये अपने संसाधनों में से खर्च किये हैं ताकि लोगों की कठिनाइयां दूर हों और देश को इनसे हानि न हो। परन्तु पंजाब सरकार को इस कार्य के लिये 20 करोड़ रुपये और चाहियें जोकि भारत सरकार को देने चाहियें जिससे जल निकासी के कार्यक्रम को वे पूरा कर सकें। वर्तमान नालों तथा पुलों के संधारण तथा मरम्मत के लिये भी धन की आवश्यकता है जिसको पंजाब सरकार नहीं जुटा सकती। अतः भारत सरकार इसके लिये भी उस राज्य को सहायता दे। यदि हम बाढ़ के पानी को नालों द्वारा उन नहरों में डाल दें जो उन क्षेत्रों में जाती हैं जहां कम वर्षा होती है तो यह बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। उदाहरणार्थ यदि हम चन्दभान नाले के बाढ़ के पानी को सरहिंद नहर, गंग नहर और राजस्थान नहर में डाल दें तो इस से गोविंद सागर तथा व्यास बांध पर अधिक पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। हमें नालों का सम्पर्क इस प्रकार जोड़ना चाहिये जिससे बाढ़ के पानी को खतरनाक स्थानों से दूसरे स्थानों पर ले जा सकें और उसका लाभकारी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा सके।

मेरे विचार में विद्युत् बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इनके कार्यकरण में पूर्ण रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह तो हमारी प्रगति में अड़चन बन गए हैं। विद्युत् उत्पादन तथा वितरण का कार्य उन्हें दिया जाना चाहिये, परन्तु जहां तक विकास कार्य और ग्रामों को विद्युत् ले जाने का सम्बन्ध है, यह ज़िम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी चाहिये। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम बहुत व्यापक है। महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी तक हम एक लाख ग्रामों में विद्युत् पहुंचाना चाहते हैं और इस कार्य के लिये हमें 200 से 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दे। जीवन बीमा निगम निधि को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगाना चाहिये। अन्य समवायों को ऋण देने के बजाय राज्य सरकारों को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये ऋण देने चाहियें जो उन्हें आगे विद्युत् बोर्ड को दें। तभी हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे।

राजस्थान नहर जाती तो फीरोज़ पुर से है परन्तु इस योजना से फीरोज़ पुर तथा कांगड़ा को कोई लाभ नहीं हुआ है। उल्टा उन लोगों को, जिनकी भूमि ले ली गई है हानि उठानी पड़ी है और सरकार ने उनको कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया है। उदाहरणार्थ हरिके पांड तथा गंग नहर के लिये निकाली गई फीरोज़ पुर की नहर के लिये ली गई भूमि के स्थान पर अभी तक लोगों को कोई वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई है। चूंकि राजस्थान नहर का लाभ राजस्थान राज्य को हुआ होगा इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह इन लोगों को बसाये जिससे वह अपनी रोज़ी कमा सकें और अपना पेट पाल सकें।

श्री कर्णीसिंहजी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचाई सुविधाएं देना आवश्यक है। परन्तु मानवता के नाते राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था करना

[श्री कर्णीसिंह जी]

एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिये अत्यावश्यक है जिसके लिये मैं पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं। राजस्थान में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। उनको पानी के लिये बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कभी कभी तो उन्हें 10 से 20 मील की दूरी पर पानी मिलता है, क्योंकि राजस्थान में भूमिगत पानी जो निकलता है वह बहुत ही खारी है और पीने के योग्य नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि सिंचाई तथा पानी सम्बन्धी इस कठिनाई को दूर करने के लिये राजस्थान नहर से एक लिफ्ट चेनल द्वारा पानी लिया जा सकता है। माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहिये कि इस योजना को पूरा किया जायेगा। इसी सभा में जब मैंने एक बार पहले इस विषय के बारे में उल्लेख किया था, तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि मुझे बड़ा दुःख होता है कि लोगों को पीने का पानी नहीं है और लोगों को इस के लिये दूर दूर जाना पड़ता है। योजनाओं में इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि लोगों की मानव जीवन की मूल आवश्यकताओं को दूरा किया जाये। इसी सम्बन्ध में मैं अपने वर्तमान प्रधान मंत्री से मिलना चाहता था परन्तु उनको मिलना बहुत ही कठिन है। आश्चर्य होता है कि एक संसद् सदस्य को प्रधान मंत्री से मिलने के लिये इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी हालत में हम उनके समक्ष अपनी समस्याओं को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्वतन्त्र देश में लोगों के प्रतिनिधियों को मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलना चाहिये ताकि वह उनका ध्यान देश की समस्याओं की ओर दिला सकें। हां तो मैं कह रहा था कि प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जब इस समस्या को मान्यता दी तो मेरे कहने पर सम्बद्ध मंत्री ने राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें यह निर्णय किया गया कि राजस्थान नहर से एक लिफ्ट चेनल निकालने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। जब मैंने इस बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री को लिखा तो उन्होंने भी इस समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन को पूरा करने के लिये एक सब डिवीज़न बनाया गया है जिसने एक योजना तैयार की है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या योजना में इस क्षेत्र में सिंचाई के लिये लिफ्ट चेनल को सम्मिलित किया जायेगा और क्या इससे वहां पर लोगों को पीने का पानी भी मिल सकेगा? इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले वर्ष इस क्षेत्र का भ्रमण करने के पश्चात् एक परियोजना बनाई जिस पर अनुमानित व्यय 10 करोड़ रुपये है। स्वास्थ्य मंत्रालय की धारणा यह है कि यदि राजस्थान को पानी देना है तो वह शुद्ध और छना हुआ होना चाहिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं यदि सरकार ऐसा कर सकती है। परन्तु वहां पर यह समस्या इतनी उग्र है, कि हम छने हुए पानी के लिये वर्षों प्रतीक्षा करने की बजाय हम पीने वाले पानी की किसी किस्म को ही तरजीह देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विद्युत् और सिंचाई मंत्रालय को इस समस्या को जल्दी हल करना चाहिये।

राजस्थान नहर परियोजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है, इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस परियोजना को जल्दी पूरा किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ पौंग बांध के निर्माण कार्य को तेज़ी से किया जाना चाहिये ताकि राजस्थान नहर निरन्तर चलने वाली नहर बन सके।

दक्षिणी राजस्थान में बाढ़ से बड़ी हानि होती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस समस्या को जल्दी हल करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

देश में खाद्य समस्या की दृष्टि से इसका कोई कारण नहीं है कि हम पाकिस्तान को पानी देते रहें। सिन्धु पानी करार के अन्तर्गत पानी बन्द कर देना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेगी और सिंचाई, बाढ़ और पीने के पानी की समस्याओं को जल्दी हल करेगी।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़पा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, सिंचाई और विद्युत् के महत्व को संसार में सभी देशों ने, विशेषतया उन देशों ने जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे देश की तरह अविकसित है, मान्यता दी है, क्योंकि आर्थिक विकास इन दोनों पर निर्भर है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. SPEAKER *in the chair*]

कई परियोजनायें बनाई गई हैं, परन्तु मुझे शंका है कि क्या वर्तमान मंत्री, चाहे वह कितनी गम्भीरता तथा ईमानदारी से कार्य करें, सरकार के इस वर्तमान ढांचे की सहायता से इस कार्य को पूरा कर सकेंगे ? इस में कोई सन्देह नहीं है कि बहुत कुछ कार्य किया गया है परन्तु जो कार्य अभी करना बाकी है वह बहुत अधिक है। यदि ठीक प्रकार से आयोजन किया जाता, गम्भीरता से इस कार्य को क्रियान्वित किया जाता, मूल सामग्री की अग्रिम व्यवस्था की जाती तो निःसन्देह हमने इससे कहीं अधिक कार्य कर लिया होता। तीसरी योजना में 300 लाख एकड़ के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने के लक्ष्य को पूरा करने की बजाय केवल 200 लाख एकड़ के लिये सिंचाई की व्यवस्था होने की सम्भावना है। यह निराशाजनक बात है कि तीनों योजनाओं में 440 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई व्यवस्था करने के लक्ष्य को पूरा करने की बजाय हम केवल 200 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेंगे। विद्युत् के बारे में भी यही स्थिति है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 130 लाख किलोवाट विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य में से केवल 110 लाख किलोवाट विद्युत् का उत्पादन किया जा सकेगा। 20,000 ग्रामों में से केवल 13,000 ग्रामों में ही विद्युत पहुंचाई जा सकेगी। लक्ष्यों को पूरा न कर सकने का कारण यह है कि सीमेंट और इस्पात जैसी मूल सामग्री ही उपलब्ध नहीं की जा रही है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग राज्यों की सीमेंट की आधी मांग को भी पूरा कर सकने में असमर्थ है। सिंचाई की छोटी परियोजनाओं की भी यही स्थिति है। कहने को तो कहा जाता है कि कृषि उत्पादन को उच्चतम प्राथमिकता दे रहे हैं परन्तु सीमेंट के आवंटन के बारे में निकाले गये प्रपत्र में कृषि को चौथे स्थान पर रखा गया है। सरकारी भवनों का निर्माण तो बिना किसी रुकावट के हो रहा है परन्तु कुंएं खोदने के लिये सीमेंट का अभाव है।

इंजीनियरों द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन अधिकांशतः गलत सिद्ध हो रहे हैं सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी अधिकांश परियोजनाओं की वास्तविक लागत मूल प्राक्कलनों से कहीं अधिक आ रही है। उदाहरणार्थ नागार्जुन सागर परियोजना के 90 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन की बजाय पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार अब 140 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार फरक्का बांध परियोजना पर 56 करोड़ रुपयों की बजाये अब 66 करोड़ रुपये लागत आयेगी। मुझे शंका है कि जब तक यह परियोजनायें पूरी होंगी लागत दुगनी हो जायेगी। दूसरी ओर राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति खराब है और वे इन के लिये वित्त नहीं जुटा सकेंगे। अतः राष्ट्र के हित की दृष्टि से राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये ताकि कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। यदि हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, बाहर से अनाज मंगाने से बचना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार को मेरे इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और प्रत्येक राज्य की एक एक बड़ी परियोजना को अपने हाथ में ले कर तीसरी योजना के अन्त तक पूरी कर देनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने भाखड़ा में कुछ राशि

[श्री ईश्वर रेडडी]

विनियोजित की है। दामोदर घाटी परियोजना और फरक्का बांध के सम्बन्ध में लागत का कुछ भाग देना स्वीकार किया है और सुना है कि वह राजस्थान नहर परियोजना को भी अब अपने हाथ में ले रही है।

श्रीमती विमला देवी (एलुरू) : नागार्जुन सागर परियोजना को वह इस लिये अपने हाथ में नहीं लेना चाहते कि कहीं लोग यह न कहें कि वह आन्ध्र प्रदेश से पक्षपात कर रहा है।

श्री ईश्वर रेड्डी : मुझे इसके लिये कोई दुःख नहीं। मैं तो इसका स्वागत करता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि केन्द्र को इसी प्रकार सभी राज्यों की एक एक परियोजना को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

विद्युत् के बारे में मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उपक्रम स्थापित करने के लिये एक सुझाव दिया है। ऐसा करने से काफी लाभ होगा। परन्तु यह बात आश्चर्यजनक है कि राज्य सरकारें इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मुझे आशा है सरकार योजना आयोग द्वारा दिये गये इस लाभकारी सुझाव की उपयोगिता के बारे में राज्य सरकारों को अवगत करायेगी और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिये मनायेगी।

ग्रामों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिये केवल 6 प्रतिशत विद्युत् का उपयोग किया जा रहा है और पूर्वी राज्यों में तो इसका इससे भी कम उपयोग किया जा रहा है।

योजना के पहले तीन वर्षों में केलव 13 गांवों में बिजली पहुंचाई जावेगी। पश्चिमी बंगाल में तीनों योजनाओं में केवल 44,000 ग्रामों में बिजली पहुंचाई जावेगी जबकि हमारे देश में कुल ग्रामों की संख्या 5.6 लाख है। यदि कृषि को बढ़ाना है तो मंत्रालय को इस ओर गम्भीरता से सोचना होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली के कुंओं से पानी देने के दाम इतने हैं कि 50 % भूमि जहां यह पानी देना था बेकार पड़ी है। इस लिये बिजली के दाम कम होने चाहियें।

जैसे गांवों में बाढ़ से तबाही होती है, वैसे ही अकाल से होती है। बाढ़ को रोकने के लिये तो बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना है, परन्तु अकाल की समस्या वैसी ही बनी हुई है। आजकल जबकि मूल्यों के दाम बढ़ गये हैं, यह समस्या और भी अधिक दुःखदायक है।

मेरा सम्बन्ध रायल सीमा क्षेत्र से है जोकि अकाल का क्षेत्र है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में वहां तुंगभद्रा ऊंचे स्तर की नहर बनाने की योजना थी। परन्तु जब 1945 में इस पर कार्य आरम्भ हुआ तो ऊंचे स्तर की नहर समाप्त कर दी गई और केवल नीचे स्तर की नहर पर कार्य हुआ। 1959 में जब जनता ने आन्दोलन किया तो ऊंचे स्तर की नहर को फिर मान लिया परन्तु इसे दो भागों में बांट दिया गया और अभी तक पहले भाग पर ही लटके हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि चौथी योजना के प्रथम वर्ष में ही दूसरे भाग पर कार्य आरम्भ किया जावे।

दामोदर घाटी योजना के बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि इसका पुनर्गठन होना चाहिये। इसके विरुद्ध कुछ आरोप हैं। जैसे कि उच्च स्तर के प्रशासन में भ्रष्टाचार, नियुक्तियो, तरक्की आदि के काम में स्वायतता का अनुचित लाभ उठाना। ऐसे ही बिजली सम्बन्धी चीफ इंजीनियर तथा अपर इंजीनियरों के भ्रष्ट कार्य तथा वहां की गाड़ी आदियों को अपने निजी काम में लेना। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन कामों की देख भाल के लिये एक जांच समिति नियुक्त की जावे जिसमें वे व्यक्ति शामिल हों जिन्हें टेक्नीकल तथा प्रशासनिक ज्ञान हो और जो इसके कार्यों को ठीक कर दें।

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : Mr. Deputy Speaker, agriculture is our mother industry. Water and electricity are very essential for agriculture.

Dr. Rao, after assumption of this department is doing a very good work in it.

Although Andhra Pradesh is third biggest state in India from the point of view of population but so far as power supply is concerned, I think it is the most backward state. Uttar Pradesh is also backward like us and special attention should be paid to such states.

Andhra Pradesh is divided into three parts *viz.* Rayalseema, Telangana and Uttar Sarkar. In Uttar Sarkar although production is much yet floods too occur in abundance which causes great havoc. A Committee was formed to consider this matter which submitted its report in December after ten months. It is not known what decisions have been taken on that report. A quick decision should be taken as all the prosperity which is brought about as a result of planning is wasted in the floods.

In Rayalseema and Telangana there is almost always a condition of famine. Although a few rivers also pass these areas, yet there are no dams and reservoirs. The kisan there is hardworking but he is helpless. The targets of irrigation could be fulfilled only upto 52 per cent. Sometimes the question of foreign exchange is also mentioned to import material for these works and inability is expressed in not fulfilling those targets. But I want to know how you overcome this difficulty when the big bungalows which are visible in cities were constructed.

Some of the big projects being constructed here are like white elephants for us. To my state has also been given one such white elephant in the name of Nagarjun Sagar. Its cost has gone up from Rs. 92 crores to Rs. 140 crores. The Central should give more financial help to that state. We spend Rs. 300 crores annually on importing food from abroad. I suggest if you give Rs. 50 crores for five years to my State, we shall give you one-fourth of your need of grain. Our state is poorest in water supply if compared to Madras and Mysore.

Irrigation is done by ponds in our area. In Rayalseema and Telangana There is lift irrigation. But there is no power as we do not get any subsidy. We request you to give us Rs. 2 to 3 crores. But your behaviour is like that of a trader. If lift irrigation is improved in our area, you will get more grain from our side.

There are electric motor wells in our side but the people are not trained enough to work them. The government should give subsidy for training purposes. The primary workers should be given training and money should be set apart for this purpose.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
73	7	श्री सरजू पांडे	नदी योजनाएं तैयार करते समय जनमत को ध्यान में न रखना	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
73	8	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	नर्मदा घाटी परियोजना को यथाशीघ्र तिथि तक कार्यान्वित करने की आवश्यकता	100 रु०
73	9	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं को कार्यान्वित न करना	100 रु०
74	10	श्री सरजू पांडे	सारे देश में बिजली की एक सी दरें न होना	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
74	11	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	मझली सिंचाई के निर्माण कार्यों में प्रगति न करना ।	100 रु०
74	12	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	बिजली की कमी विशेषत: गुजरात राज्य में भारी कमी	100 रु०
74	13	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	जल विद्युत् शक्ति तैयार करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता क्योंकि तापीय शक्ति जल-विद्युत् शक्ति से अधिक महंगी है ।	100 रू०
74	14	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	केन्द्रीय और राज्य बिजली बोर्डों में समन्वय करने की आवश्यकता ।	100 रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
136	15	श्री सरजू पांडे	बाढ़ नियंत्रण में असफलता .	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
136	16	श्री सरजू पांडे	बाढ़ नियंत्रण क उपायों में असफलता । .	100 रु०
136	17	श्री सरजू पांडे	गांवों में बिजली लगाने में धीमी प्रगति । .	100 रु०
136	18	श्री सरजू पांडे	देश में सिंचाई के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	100 रु०
136	19	श्री सरजू पांडे	सिंचाई विभाग में कुप्रथाएं रोकने की आवश्यकता ।	100 रु०
136	20	श्री सरजू पांडे	देश में जल निकासी का अभाव ।	100 रु०
72	38	श्री वारियर	सबरीगिरी पनबिजली परियोजना के निर्माण में शीघ्रता करने की आवश्यकता . .	100 रु०
72	39	श्री वारियर	पनबिजली और सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जारी रखने के लिए समय पर ही सीमेंट, लोहा तथा अन्य सामान मुहैया करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	40	श्री वारियर	केरल राज्य में इडिक्कि पनबिजली परियोजना में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	41	श्री वारियर	केरल राज्य में तापीय संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता	100 रु०
72	42	श्री वारियर	केरल के समुद्र-तट को समुद्र कटाव से बचाने के कार्यों का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जाने की आवश्यकता	100 रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
72	43	श्री वारियर	बिना किसी बिलम्ब के दक्षिणी बिजली घर (पावर ग्रिड) स्थापित करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	44	श्री वारियर	नेवेली बिजली घर में केरल राज्य को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	45	श्री वारियर	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटाव के नियंत्रण की बृहत् योजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	46	श्री वारियर	खेती के लिए इस्तेमाल की गई बिजली की दरें कम करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	47	श्री वारियर	छोटे उद्योगों द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली की दरें कम करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	48	श्री वारियर	गांवों में बिजली लगाने की संभावनाएं बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	49	श्री वारियर	केरल राज्य में भूमि-संरक्षण के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	50	श्री वारियर	पीछी अनुसंधानशाला, केरल के काम काज बढ़ाने और उन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	51	श्री वारियर	केरल राज्य में पनबिजली परियोजनाओं के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा देने की आवश्यकता ।	100 रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
72	52	श्री वारियर	विदेश भेजे गये शिष्टमंडलों के कार्यों की छानबीन करने की आवश्यकता	100 रु०
72	61	श्री प्र० के० देब	ऊपरी इन्द्रावती परियोजना को चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
72	62	श्री प्र० के० देव	किसानों के लिये बिजली की दरें कम करने की की आवश्यकता ।	100 रु०
72	63	श्री प्र० के० देव	महानदी पर मणिभद्र बांध-परियोजना को आगे बढ़ाने की अवांछनीयता ।	100 रु०
72	64	श्री प्र० के० देब	तेल और उदन्ती नदियों पर बाढ़ संरक्षण बांध बनाने की भी आवश्यकता	100 रु०
72	65	श्री प्र० के० देब	अखिल भारतीय विद्युत् जाल (इलेक्ट्रिक ग्रिड) बनाने की बांछनीयता ।	100 रु०
72	66	श्री प्र० के० देब	गांवों में बिजली लगाने के कार्य-क्रम में विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रु०
74	67	श्री कर्णी सिंहजी	उत्तरी राजस्थान के खारे पानी वाले इलाकों में पीने का पानी मुहैया करने और वहां उत्थापक (लिफ्ट) द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रु०
74	68	श्री कर्णी सिंहजी	केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान नहर को अपने हाथ में लेनेकी आवश्यकता ।	100 रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
74	69	श्री कर्णी सिंहजी	राजस्थान नहर को कांदला बन्दरगाह के साथ जोड़ने की आवश्यकता ।	100 रु०
74	70	श्री कर्णीसिंहजी	राजस्थान नहर में शीघ्र ही पानी की निरन्तर सप्लाई करने के लिये पोंग बांध का काम तेजी से करने की आवश्यकता ।	100 रु०
136	71	श्री कर्णी सिंहजी	राजस्थान नहर के काम में तेजी करने की आवश्यकता ।	100 रु०

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainagar) : Mr. Deputy-Speaker, our late Prime Minister, Shri Nehru had said about this Ministry and which are mentioned in the Report also as follows : —

> "I wonder if one could find better two words (than Irrigation and Power) to express what we want in India."

So we should fulfill his legacy. The work which he entrusted to this ministry was to remove poverty of the country. The list of projects contains 28 items which I cannot follow. I suggest to give the names of projects in alphabetical order.

The hon. Minister, Shri Rao, visited our State *i.e.* Bihar and when he saw the poverty there, tears fell from his eyes Land is fertile and yet the people are starving.

There are projects such as Gandak and Souraj and Kosi Barrage. But there is delay on the completion of these works and people are worried about it. It is also reported that the King of Nepal will inaugurate towards the end of this month one of these projects. I want to congratulate the King of Nepal for this as this project will be beneficial to both Nepal as well as India.

I went to Darbhanga district and found that the land is fertile and yet people are poor. We are told that water will be given through lift irrigation to Nepal. I suggest that this small area may also be in this command area.

You have attempted to implement the Western Kosi canal and for this not only our area but Nepal too is grateful to the Government.

You have done a splendid job in flood control and you are implementing schemes about it. But the scheme will be effective from the year 1966-67. I want to know what will happen if there are floods in 1965-66. Hence immediate attention should be paid to it.

The Report says that by 1969 you will electrify 1 lakh villages in India. I request that this promise may be fulfilled.

Government should try to finish the work of Rural Electrification immediately and should consider the suggestions given by A.I.D. of America in this regard. I am of the opinion that all the villages of India should be electrified by October 1969.

I also suggest that this ministry should have a minister of Cabinet Rank. Our present minister is able and experienced therefore why he not be given the rank of a cabinet minister. I am also of the opinion that we should honour our those engineers who have done good work by awarding them Padma Vibhushan etc. and give them quick promotions.

श्री करुथिरमण (गोबीचेट्टियलयम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं माननीय सिंचाई और विद्युत् मन्त्री श्री राव की प्रशंसा करता हूं क्योंकि वह एक योग्य, अनुभवी तथा दक्ष व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि यह विभाग उनके हाथों में सुरक्षित है क्योंकि वह स्वयं तकनीकी व्यक्ति हैं। इसके बाद में मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

आप सिंचाई को लीजिए। हमारे देश में सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमें आशा थी कि तीसरी योजना में हमारे यहां 360 लाख एकड़ में सिंचाई होने लगेगी परन्तु व्यवस्था केवल 260 लाख एकड़ में सिंचाई की हुई। हमें प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस कमी को पूरा किया जा सके। अब जरा विद्युत् की ओर ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा देश विशाल है और कुछ स्थानों पर बिजली की बहुत कमी है। इसके लिए भी हमें कदम उठाना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि कहीं पर जैसे दक्षिण में सूखा पड़ रहा होता परन्तु उत्तर में बाढ़ से बचने के उपाय किए जा रहे होते हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने यहां बाढ़ के फालतू पानी का किस प्रकार उपयोग किया जाये। मुझें याद है कि स्वर्गीय श्रीनिवास आयंगार, डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर तथा एक अंग्रेज इंजीनियर ने गंगा को कावेरी से मिलाने का सुझाव दिया था। यदि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाये तो हमारी सिंचाई की बहुत ही समस्यायें दूर हो सकती हैं।

आज हमारे देश में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी तथा बिजली के लिए लड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक केन्द्रीय नदी बोर्ड बनाया जाये जो राज्यों के लिए नहीं अपितु समस्त देश के लिए सिंचाई की योजनायें बनाये। मेरा सुझाव है कि कम से कम चौथी योजना में एक योजना बनाई जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत गंगा से कावेरी को मिलाया जा सके। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हम सारे देश में गेहूं तथा चावल का उत्पादन कर सकेंगे।

विद्युत् परियोजनाओं के बारे में हमारा मद्रास राज्य अग्रणी है। हमारे राज्य के इंजीनियर सर्वोत्तम हैं और इसीलिए हम वहां पर सभी गांवों में बिजली लगा पाये हैं। हमारे राज्य में 20,000 गांव हैं जिनमें से 19,000 गांवों में बिजली आ चुकी है। इस बारे म मेरा माननीय मन्त्री से सुझाव हैकि एक रीजनल ग्रिड सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे यदि कहीं इतनी अधिक बिजली हो जिसका उपयोग उस स्थान पर करना सम्भव हो तो उसको कहीं अन्य स्थान पर काम में लाया जा सके। चौथी योजना में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है । हमारे यहां भी 75 प्रतिशत जनता खेती के काम में लगी हुई है । परन्तु यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जितनी बिजली देश में उत्पन्न होती है उसका 73 प्रतिशत उद्योगों में काम में आता है । इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तथा अधिकांश प्रतिशतता खेती के कामों के लिए दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त किसान को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है । जैसे उद्योग लगाने के लिए ऋण मांगने पर तुरन्त मिल जाता है परन्तु खेती के लिए ऋण मांगने पर किसान को बहुत दरवाजें खटखटाने पड़ते हैं तथा बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है ।

अब आप उत्पादन को लीजिए । यदि हम 1950 को आधार मान कर उसमें औद्योगिक उत्पादन 100 समझें तो इस समय यह आंकड़ें 150 हो जाते हैं । परन्तु यदि खेती के उत्पादन के आंकड़ें देखें तो मालूम होगा कि ये आंकड़े अब 125 हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहन खेती को भी दें तो निश्चित रूप से इतना अनाज होने लगेगा कि हमें अनाज का आयात नहीं करना पड़ेगा ।

हमारे देश में खेती को बड़ा क्षुद्र काम समझा जाता है । परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जबकि हमारे यहां अनाज की बहुत कमी है । हमें तो उन्हें अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित तथा बहुत सुविधायें देना चाहिए ।

हमें बताया गया है कि सिंचाई के लिए हमें अपने राज्य के सिंचाई विभाग से बातचीत करनी चाहिए । मैंने इसी कारण अपने यहां के इंजीनियर से बातचीत की । उसने मुझे बताया कि यदि 50 फीट की परिधि का 200 फिट गहरा कुआं बनाया जाये तो आपको अच्छा पानी मिल जायेगा । मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी सुविधायें हमें दें जिससे हम ऐसे कुएं खोद सकें तो उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया । मेरा सुझाव है प्रत्येक राज्य के विभाग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए तथा किसानों से 10 रुपये से 15 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई करने के लिए धन लेना चाहिए । कोई भी किसान सिंचाई के लिए धन देने से इंकार नहीं करेगा ऐसा में समझता हूं ।

आप कावेरी नदी के बेसिन को लीजिए । इस नदी का 97 प्रतिशत पानी तो काम में लिया जाता है तथा 3 प्रतिशत नागपरम तथा तिरुतुरापुन्डी के निकट बेकार हो जाता है । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी व्यवस्था इन नगरों के पास कर देनी चाहिए जिससे इस पानी का उपयोग हो सके ।

अन्त में मैं पीने के पानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमें प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम चौथी योजना में हम अपनी समस्त जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दे । मद्रास राज्य को 'ए' क्लास नगर घोषित कर दिया गया है । परन्तु अभी भी वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । डा० राव से मेरा अनुरोध है कि वह वहां पर इसकी व्यवस्था कर दें । मेरा सुझाव है कि सोमासिला परियोजना से वह पानी दिला सकते हैं । यदि उन्होंने ऐसा करा दिया तो तमिलनगर की जनता उनको शिव तथा भागीरथ की श्रेणी में रखना नहीं भूलेगी ।

मुझे मालूम हुआ है कि कलपक्कम में एक अणुशक्ति का केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को तीसरी योजना में ही पूरा कराने का प्रयत्न करें जिससे उचित मात्रा में बिजली तथा पानी की व्यवस्था यहां के लिए की जा सके ।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) : Mr. Deputy- Speaker, Sir, the problem of agriculture of the country depends upon this Ministry which is being discussed now. Apart from other works this Ministry has to provide irrigational and electricity facilities to the rural areas.

Most of the Members have praised Dr. Rao for the appreciable work that he has done not being a politician but being an engineer. I don't deny that he has done a very good work but I would like to ask him one question. He is an engineer, so I would ask him to explain us as to what are the reasons of water-logging in India ?

The problem of water-logging is also in Punjab as it is in Bihar and Eastern Uttar Pradesh. But I would like to discuss it in detail about Punjab. There is no doubt about it that for the last fifty or sixty years Punjab has been ahead of other States in the matter of canals but its eighty per cent land has become useless due to water-logging during the same period. Then there has arisen the problem of sub-soil water and thus most of the land has become waste. The same problem may also arise after fifty years at other places where new canals have been constructed now. We are spending crores of rupees on Bhakra dam and then we will also have to spend on the canals that might be taken from there and if after fifty years the same problem of water-logging will be there it is no good. Hence, the Minister should find out a solution for it. If this sort of things continue then we will never be able to solve our food problem.

During the time when Shri Lahri Singh was the Minister of Irrigation in Punjab an expert on water-logging from Germany had come to Punjab. Then apart from other solutions he had suggested that the canals should be *pucca* one then there will be less chances of water-logging. Bhakra canal or other canals which have now been constructed are *pucca* canals. But the old canals *i.e.* Western Jamuna Canal, Sutlej Canal etc. are not *pucca* canals. So unless they are made *pucca* this problem cannot be solved. Then he also suggested that the two-three mile long belt near the canals should be irrigated by tube-wells. In this way he had given a report containing all the suggestions which was also discussed in the Punjab Legislative Assembly when Shri Bhim Sen Sachhar was the Chief Minister.

Then after 1955 another sort of problem arose. It was regarding rain water .Even that water is lifted through tube-wells and then it is dried. But the problem of sub-soil water when it rises up has not been solved.

Punjab is considered to be the granary of India but this problem of Punjab has not been solved. So, the Government should pay the utmost consideration to this problem.

There is no doubt that much has been done to solve the prbolem of water-logging but it is not a permanent solution. So, something permanent should be done for it.

I would also request the Minister to tell us the reasons as to why it has not been possible for the Government to make the canals *pucca* and to construct tube wells. Why the Government is depending upon the temporary arrangements. I would like to know if there is some technical hitch behind it.

Then there is another case responsible for it and that is the lack of co-ordination. Before 1947 there were not so many roads, railway lines etc. But when new railway lines have been constructed, more roads and canals have been built the natural flow of water has been checked. Government has done absolutely nothing to regulate that flow by constructing new syphons and bridges.

The Minister, Dr. Rao, is no doubt a very good man. He has been praised for his work for the last two years. He may be having other problems too but I would request him that he should offer a concrete solution of the problem of water-logging also.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shyam Dhar Misra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, about seven or eight Members have spoken on the Demands for Grants relating to this Ministry and have touched the problems such as the electrification of the rural areas, flood problems and to some extent the irrigation problem.

As far as the question of electricity is concerned I want to submit that before Independence the power generation in the country was only two million kilowatts and at the end of the Third Five Year Plan we shall be producing 11 million kilowatts. In other words we shall be producing 11 million kilowatts in 70 years—since the time when first power station was set up and till the end of the Third Plan period. During the Fourth Plan period we hope to produce 11 million kilowatts *i.e.* equal to the power we have been able to produce in 70 years. That will mean that by the end of the Fourth Plan we will be able to produce 22 kilowatts. Before independence we had spent 200 crores during the three Plans we have spent 2000 crores and during the Fourth Plan an equal amount will spent.

In U. K. the *per capita* consumption of electricity is about three or four thousand units and in Japan the *per capita* consumption of electricity is one thousand units. But here in India it is only 17 or 18 units per head at present which would go up to 100 units during the Third Plan. The target for the fourth Plan would be 200 units and during the next 30 years it would be 1000 units.

As far as electrification of the villages is concerned we have five lakhs and sixty thousand villages in the country? Before the Plan period only three and and a half thousand villages had got electricity. By the end of the third Plan period fifty thousand villages will be electrified. It is correct that we are not complacent even with this and we ought not to be. That is why Dr. Rao has declared that by 1969 about one lakh villages would have got electricity. We have also a scheme by which seventeen to twenty thousand villages will be electrified every year.

The engineers have calculated that the prpportion of expenditure on the production of electricity and its transmission should by 5 : 4 . If we spend five rupees on the production of electricity then four rupees should be spent on its transmission line. But because it was a question of priority so we have spent two-third on the generation of power and one third on its transmission. The result is that we have not been able to proceed with our work as smoothly as we wanted.

Then the electricity was not supplied proportionally. In Madras fifty per cent villages had electricity, Kerala had 37 per cent, Punjab had 25 per cent while there were certain States which had only 2 per cent. Therefore we have now decided to remove this imbalance between the States. We have also decided to supply electricity to atleast twenty per cent of the villages in each State by the end of the Fourth Plan period. Where even ten per cent of the villages have not got electricity , proper assistance will be given to them. The electricty will be supplied for tube-wells as well as for pumping sets.

Mr. Mandal had perhaps complained that much electricity is not supplied to the villages. But he was not correct in saying so because it were the villagers who did not avail of this facility and not that we were short of electricity. The result was that the State Electricity Boards did not want to supply it because it had become uneconomical.

Wherever electrification has taken place. Government has given capital subsidy. The United States of America, Japan, Canada and many other European countries had given capital subsidy for the distribution of power. We are also trying to get loans from the Reserve Bank and P. L. 480 to do this work.

During the Second and Third Plan periods we had to spend about 75 thousand rupees to electrify a village. But now we have decided to use some cheaper material which will reduce the cost for rural electrification. Hence the cost on rural electrification during the Fourth Plan would be reduced from Rs. 75,000 to Rs. 34,000 . In this way we want to efectrify about one lakh villages in the Fourth Plan. For that we require Rs. 300 crores which we hope to get from the Planning Commission.

There was sufficient electricity available with Madras, Maharashtra and Bengal. If you see the physical quality then these States had the largest electricity. But in Bengal only 3 per cent, in Maharashtra only 9 per cent, and in Bengal only 8 per cent of the villages were electrified. So, there is a need of orientation there. In case we are able to get Rs. 300 crores we will electrify one lakh villages.

We also want to do improvements in the procedure of rural electrification and that is possible if there is a rural electrification wing with state Electricity Board which may think over the matter. The State Electricity Board should also have an Advisory Committee as there is in Maharashtra. The Committee there is doing a good job. Then another good thing of State electrify Board of Maharashtra is that the President's of the Land Mortgage Bank are the ex-officio Members of the Board.

We will also be doing our best to establish as many rural electrification Co-operatives during the Fourth Plan as possible. Such co-operatives have been successful in Sweden, U.S.A. etc. Hence we want to establish them here also.

There was one question that wherefrom we would be getting the engineers. So I want to say that we have plenty of engineers here in our country. They have won a good name for their work and many other coutries borrow the services of our engineers.

Now I want to say something about Flood Control. Every year we have to suffer a loss of Rs. 100 crores due to Floods. We have spent Rs. 130 crores on flood during the three Plans and want to spend Rs. 200 crores during the Fourth Plan period and during the three plan period we have saved 100 lakh acres of land.

Then there is a problem of water-logging. Shri Yudhvir Singh and Shri Iqubal Singh have also drwan the attention of the Government towards it. The problem of water-logging is acute in too, three States especially in Punjab. In Punjab it had affected thirty lakh acres of land . It is a question to save 37-38 lakh acres of land. We have been doing our best to save it. For that we have started seven pilot projects there. The Punjab Government has

also proposed drainage system. For that there is a requirement of Rs. 61 crores. I can assure that I will try to give for that as much amount as possible.

The Maharaja of Bikaner had mentioned the problem of Bikaner. It is really an acute problem in Rajasthan. It is a river which does not fall in the sea. We have chalked out a scheme for that. The scheme is to construct the drains and to lift the water from the river.

As far as the question of floods in Delhi is concerned we have also framed a scheme for that. We had floods this time in the river Sahibi. So, we are going to construct a dam on it. We are also going to broad even the Najafgarh drain.

The problem of floods is acute in Assam, Bihar, U.P. and Punjab. Dr. Rao has set up four or five committee for different areas which will go into the flood problem of those areas. When they give their suggestion we will try our best to implement them.

I do not like to take much time of the House. I can say this much that we have done our best to solve every problem, may be of floods, may be of rural electrification or any other problem. I can also say this much that we have made progress in every direction during the period of three plans.

श्री सं० प० पाटिल (बीजापुर-दक्षिण) : रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1964–65 के लिये सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं का काम निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुछ ही सन्तोषजनक हुआ है । रिपोर्ट को देखने से ही पता चलता है कि तीसरी योजना के अन्त तक हम 1 करोड़ 96 लाख 40 हजार एकड़ की सिंचाई क्षमता प्राप्त कर सकेंगे जबकि निर्धारित लक्ष्य 2 करोड़ 94 लाख 70 हजार एकड़ का है । यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है और मुझे विश्वास है कि मन्त्रालय तीसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न करेगा ।

रिपोर्ट में सिंचाई लक्ष्य पूरा न होने के कारणों का उल्लेख किया गया है । मुख्य कारण यह है है कि जल संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है । जो सिंचाई सुविधायें उपलब्ध की गई हैं उसका उपयोग न करने के भी विभिन्न कारण बताये गये हैं । मुख्य कारण यह है कि सरकार ने खेतों के लिये ठीक समय पर उप-नदियों की व्यवस्था नहीं की । पर्याप्त धन, ट्रैक्टरों, बुलडोजरों, तथा कृषि सम्बंधी अन्य भारी औजारों की व्यवस्था भी नहीं की जिससे कृषक भूमि को समतल कर सकते । इसलिये जब तक कृषकों को उत्साहित नहीं किया जाता निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

जब तक हमारे कृषक सिंचाई में रुचि न लेने लग जायें तब तक हमें सिंचित भूमि पर सुधार-शुल्क या अधिभार नहीं लगाना चाहिये । यदि हमें सुधार-शुल्क लगाना ही है तो वह अधिक उत्पादन पर ही लगना चाहिये ।

{ **श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए । **Shri Thirumala Rao** *in the Chair.* }

अब मैं चालू सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे विचार से ये परियोजनायें निर्धारित लक्ष्य से पीछे रह गई हैं और जितने लाभ का हमें अनुमान था उतना नहीं हुआ है । ऊपरी कृष्णा और मालाप्रभा परियोजनाओं के स्थान तथा डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये तथा वहां काम बहुत तेजी से होना चाहिये ऐसा न होने से न केवल राज्य को ही परन्तु सारे देश को हानि होगी ।

मैं एक अन्य बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुराचार परियोजनाओं की लागत का अधिक प्राक्कलन लगाना, ठेकेदारों को अधिक लाभ पहुंचना और मजदूरों को लाभ का न पहुंचना और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भ्रष्टाचार का होना आदि गम्भीर विषय हैं जिनके बारे में जांच की जानी चाहिये ।

मुझे अपने राज्य में कुछ सिंचाई योजनाओं का दौरा करने का अवसर मिला था। वहां से पता चला है कि विभिन्न योजनाओं पर काम करने वाले मजदूरों को मजूरी बहुत कम दी जाती है परन्तु ठेकेदार सरकार से कहीं अधिक वसूल करते हैं।

ठेकेदारों द्वारा अधिक लाभ कमाने तथा विभाग में भ्रष्टाचार का एक कारण लागत से अधिक प्राक्कलन है। बड़ी परियोजनाओं के प्राक्कलन मंजूर करते समय सरकार को विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए अन्यथा एक बड़ा भाग ठेकेदारों व अन्य व्यक्तियों की जेबों में चला जायेगा। अच्छा तो यह होगा कि मजदूरों की दशा सुधारने व ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाने को रोकने के उपाय व साधन सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये जिसके कुछ सदस्य गैर-सरकारी व्यक्ति भी हों। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में लाभ/लागत का अनुपात निकाला जाये। सरकार को यह देखना चाहिए कि आम जनता से करों द्वारा इकट्ठा किये धन का समूचे राष्ट्र की भलाई के लिये सर्वोत्तम उपयोग हो।

अब मैं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का उल्लेख करूंगा। मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्यतीकरण का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि गांवों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिये राज्यों व केन्द्र को राज्य विद्युत् बोर्डों को राजसहायता देनी चाहिये। कुछ राज्यों में जो, अधिकतम लाभ दर से काफी अधिक दर किसानों से ली जा रही है ।

मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि सहायता के अन्तर्गत जांच-पड़ताल के लिये कालीनदी परियोजना को शामिल कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल कर लिया जायेगा ।

अन्त में मैं कृष्णा-गोदावरी पानी विवाद के बारे में कहूंगा दोनों नदियों का 61 प्रतिशत भाग मैसूर राज्य में पड़ता है और मैसूर ने 1250 टी० एम० सी० फुट पानी देने की मांग की थी लेकिन उसको केवल 600 टी० एम० सी० फुट पानी नियत किया गया है। केन्द्र ने गुलाटी आयोग की सिफारिशों पर उचित रूप में विचार नहीं किया। मैसूर में सबसे कम सिंचाई सुविधायें, अर्थात्, 6 प्रतिशत है जबकि मद्रास में 36 प्रतिशत, आन्ध्र में 26 प्रतिशत, तथा महाराष्ट्र में 8 प्रतिशत हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि मैसूर को तुरन्त कृष्णा नदी के पानी का साम्यिक भाग देना चाहिये ।

Shri Bhajahari Mahato (Prulia) : There are very few Members or Ministers in this House who work in the fields. As such they fail to realise the vital importance of irrigation for an agriculturist in our country. It was hoped that after attaining independence there will be considerable imporovement in irrigation facilities resulting in increased production. It has been stated in the annual report that irrigatin facilities have been extended but the individual income during third Plan has not increased according to expectations. The agricultural production has declined due to lack of proper irrigation facilities. Paper planning, speeches, statistics alone will not help increase production.

[Shri Bhajahari Mahato]

Of course, we have constructed big dams on major rivers to provide water for cultivation. But it is disappointing to note that results achieved from these projects are not commensurate with the huge expenditure thereon to the tune of crores of rupeesr. Had proper emphasis been laid on minor and medium irrigation the small growers could produce much more. In fact, water is more vital than even fertilise. I know of conditions prevailing in Purulia district. Half of the funds allocated are vested and the other half is surrendered. The conditions there are such that the existing production can be doubled only if low cost and minor irrigation facilities are provided. I want to draw your attention to it.

Next, I want to invite your attention to a particular point. On the border of Purulia and Bankura District, one village has been fully submerged and 38 partly and some parts will be submerged by the Konsavati and Kumari River scheme. Two thousand people will thus be displaced but still it will not irrigate even an inch of land. Even the compensation is not being paid to them properly and they are being put to great hardship.

As regards rural electrification, in all 130 villages have been electrified in West Bengal during the past three years of Third Plan. In my district, Purulia, electric lines have been constructed in the rural areas but not even a single village has been elactrified so far. I will request that the procedure should be streamlined and due weightage should be given to the public opinion without any political considerations. Government should cooperate with the people coming forward to shoulder the responsibilities. I will refer to the view expressed by Shrimati Vijay Lakshmi Pandit, on 24th March that false assurances will not hold out and if timely action is not taken, people being dissatisfied may resort to the lost measure.

Shri R. S. Pandey (Guna) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate both the Ministers for the work of Ministry of Irrigation and Power. While referring to the all round development of the couuntry through river valley projects, the late Prime Minister had described the power stations and major river velley projects as the temples of modern India. Electricity gave the entire world a scientific outlook and inspired a determination to progress, and irrigation showed us way to increase production of foodgrains. I must compliment the Ministry for its activities to bring about the resources and economic potential available to us to-day in the country.

I will like to draw the attention of the Ministry to my state, Madhya Pradesh. There are many schemes which were included in the 1st, 2nd and 3rd Five Year Plans but they are yet to be launched. In case of three schemes, namely Narmada, Iravati and Savari estimated to cost 36 crores, Rs. 3·60 crores were provided in the last phase of Third Plan, which includes Rs. 1 crore allocated in the context of rehabilitation of East Pakistam refugees. All these schemes were started at the end of Second Plan.

To-day the govermnent has to abandon many irrigation projects for want of money and this causes disappointment to the people. The government should consider this aspect at the time of allocating funds for the purpose. I would therefore like the minister to assure us that the 19 irrigation projects and 3 multi-purpose projects will be completed in M.P. If all the projects in the area between Chhatisgarh and Bastar are completed we can produce enough rice to feed the whole nation and if the projects in wheat-growing areas of M.P. are completed then the half demands of wheat of the wlole of the country can

be met. If Narmada Valley Project is completed by the end of 4th Plan. the country will receive a tremendous philip in Agriculture and Power production and the power produced will be the cheapest in India. At present it costs us 4 or 5 paise per unit because the coal used has to be got from N.C.D.C. who maintain national cost of production and give us at this cost but if coal mines in the State s are handed over to the State Government then we will be able to expliot our coal-belt and make power available at cheaper rate.

I would draw the attention of the Minister to the feeling that M. P. is not receiving the treatment it deserves. For example whereas the average of irrigation for the whole country is 27·3%, that of M.P. is only 11%. Similarly agriculture has also been neglected. I would reqest that Narmada Valley Project should be linked wtih Iravati and Savari Projects.

One third of he population of M.P. comprises of Adivasis who are backward and live in jungles and need economic development very badly. For the sake of development, power and irrigation and industrialisation, I plead for all-round development of M.P. and increased attention of Central Government for the exploitation of limitless untapped wealth keeping in view purely the economic development aspect.

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad) : If irrigation and power had received due attention during the last 17 years of our 3 Plans, we could have very well averted the scarcity situation in foodgrains, raw-material and unemployment. The exodus from villages to cities continues with all its rapidity due to these two factors. Today power consumption indicates the progress of a nation. Whereas, in Delhi, West Bengal and Maharashtra the power consumption is well over 100 units, it is only 37 units in U.P. and by the end of 4th Plan U.P. will be the last in the list whereas it was fourth at the time of commencement of the 1st Plan. This is a very serious matter. We cannot allow backward undeveloped areas to remain to be so and regional imbalances to perpetuate. I would request the hon. Minister (Shri Rao) to look into it personally. U. P. being an agricultural State, it is very important that irrigation aand power facilities are extended there to the maximum. Only 8% of agricultural land of the country receives irrigation facilities and whereas certain parts of the counrty are hit by floods etc. others are dry. In all fairness we must conduct a scientific research and estimates the water resources to adequately tap them. This should have been done at the very out-set.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Compared to Pakistan, Japan and China, our irrigation potential is the lowest. In the 3rd Plan we will reach only halfway to tour target of 29·47 million acres. The more seriuos aspact is the available developed potential is not fully utilised. Matatila dam has not received water because the Dam has not been fitted with gates. What is the use of creating potential when after spending so much money, water is not released ? Where water is released the

[Shri S. N. Chaturvedi]

culverts and drains washed away. So much money goes down the gutter and the results are practically nil. The hon. Minister should see to it and stop the rot. Cement is sold in the blackmarket and sub-standard structures are set up which give way to slightest stress and strain.

Floods not only render agricultural land useless but cause wide spread damage to standing crops and leaves behind in their wake collasped houses, unhiegenic wells, pests and diseases, causing untold misery to poor villagers. He looks around for help which is never forthcoming.

Since this ministry is in the charge of an able engineer we, therefore, hope that the shortcomings will be removed and the available potential developed and regional imbalances removed.

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : डा० राव ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के पश्चात् कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिनके लिये वह बधाई के पात्र हैं । जो नीति निर्धारित की गई थी वह ठोस है परन्तु लगता है कि वह अपनायी नहीं गई और इसीलिये कई अच्छी परियोजनाएं अंधकार में पड़ी रहीं हैं, जिनमें से एक महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले की कल्लम्मावाडी परियोजना है, जिस पर 17 वर्ष पश्चात कार्य अब आरम्भ होने वाला है । मेरा निवेदन केवल यह है कि मंत्री महोदय 'वरना' परियोजना पर थोड़ा अधिक ध्यान दें और वह इस सम्बन्ध में सभा को आश्वासन दें । नई सिंचाई योजनाओं के लिये 75 अथवा 80 करोड़ रुपये का आवंटन बिलकुल अपर्याप्त है जब कि उनपर 720 करोड़ रुपये व्यय करने की आवश्यकता है ।

परियोजनाओं की तैयारी के सम्बन्ध में मुझे दो अथवा तीन सुझाव देने हैं । पहला यह कि परियोजनाओं का आयोजन तथा सूत्रपात इस प्रकार किया जाए कि सारे देश में बिजली के क्षेत्रीय जाल की भान्ति जलमार्ग फैल जाएं ।

यद्यपि लक्ष्य यह है कि गांधी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारे यहां एक लाख गांवों में बिजली आ जाए परन्तु जल बिजली से अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा होता यदि यह कार्यक्रम पहले आरम्भ किया जाता ।

नदी-संसाधनों के अधिकतम प्रयोगार्थ यह कार्य एकीकृत योजना के अनुसार होना चाहिये न कि परियोजना विशेष के आधार पर जो पृथक पृथक रूप से तैयार की जाती हैं और बहुदा परस्पर विरोधी होती हैं ।

मैं एक बार फिर मंत्री महोदय को वधाई देता हूं और उनकी मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The rate at which we are progressing in the field of providing irrigation, it will take 200 years to cover the whole area of 37·50 crore acres of land. It is regrettable that the progress is very unsatisfactory. Our food production can increase by 150% if we provide all the irrigation facilities, and thus it can save us crores of rupees, being spent on importing foodgrains at present.

It is high time that long-term irrigation schemes are launched. Except for certain State like Rajasthan and M. P., medium and small Scale irrigation projects are more useful and easy to accomplish than major ones. Out of the total revenue of Rs. 5,000 crores, nothing is being spent on the country's progress. We can cut down expenditure on administration and profitably utilise it on irrigation.

Electricity should be made available at cheaper rate in villages for tube-wells. Whereas power being supplied to Birla's Alluminium Factory from Rihand Dam is charged @ 3 paise per unit, the farmers are charged 19 paise per unit for the same power.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : I would say that if irrigation facilities are made available comprehensively and at cheap rates, we can become self-dependent in food. What a pity that one half of Bihar suffers from floods while the other half is hit by draught. It is satisfying to note that by the end of the current year the Kosi Flood-Control Scheme will be completed and people will heave a sigh of relief. Gandak Project, which was initiated by Dr. Rajendra Prasad, the then Agriculture Minister of Bihar, and which was postponed in favour of Kosi Project should be taken in hand and expedited Devaria, Gorakhpur and Tirhut Divisions of Bihar will be greatly benefited by this scheme. It should also be borne in mind that people in this region are entirely dependent on Agriculure and therefore they urgently need help for this project.

North Bihar, which is a backward area, needs power for progress. The allocation of power for Bihar is quite inadequate. Only 13,500 villages out of a total of 68,000 villages *i. e.* only 20 % will be electrified by the end of the 4th Plan. Power should be made available for Small-Scale and Cottage Industries in preference to Cinemas etc. Unless we make the villages feel the impact of our plan progress, we cannot claim to have made any real progress at all.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : The Minister in charge of this Ministry is an efficient engineer. I hope this Ministry will show good results. The work relating to Rajasthan canal is being transferred to this Ministry. It is expected that it will be completed expeditiously.

The counrty is passing through a critical phase in regard to the production of food-grains. If the Rajasthan Canal is constructed at an early date, it can go a long way in easing the situation. About 50 lakh acres of land will be irrigated by this canal. I request the hon. Minister to pay special attention to this project. Top priority should be given to irrigation schemes and power projects. Our farmers are very hard-working. If they are provided with all the necessary facilities, they can produce record crops. Our Government has entered into an agreement with Government of Pakistan on the supply of water. It is at the cost of our own interests. We are not able to provide the requisite quantity of water to our own farmers. Government should make more power connections available, so that the number of tubewells can be increased. By doing so agricultural production can be increased. It is heartening to know that Government is taking measures to control flood waters of Ghaggar river. Water is very scarce in Rajasthan. Central Government should give some assistance to the State Government in this regard. There is too much surplus land is available for cultivation in Rajasthan. People from other parts of the country can be settled there. It will be helpful for the integration of our country. I find that electricity is wasted in government offices. We should be careful to see that national property is used properly.

श्री प्र० के० देब (कालाहांडी): श्रीमान, मैं केवल इंद्रिरावती पनबिजली तथा सिंचाई परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं । इंदिरावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है । यह उड़ीसा राज्य के कालाहांडी ज़िले से निकलती है ।

[श्री प्र० के० देव]

कृष्णा-गोदावरी आयोग या गलाटी आयोग ने भी इस नदी के पानी का उड़ीसा में प्रयोग करने को कहा था। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाये तो 567 मेगावाट बिलजी तैयार हो सकती है और लगभग 3 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है। इस पर व्यय का अनुमान लगभग 60.59 करोड़ रुपये होगा। इस परियोजना के पूरे हो जाने पर बहुत अधिक लाभ होगा। उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे। वहां पर कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में है। उस को प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें तो पता चलता है कि वहां अब केवल धान की फसल होती है। हां, कुछ और वस्तुएं भी बोई जाती हैं परन्तु उन की मात्रा बहुत कम है। इस का कारण है कि वहां पर सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाये और इंदिरावती नदी के पानी का पूरा उपयोग उठाया जाये।

श्री गजराज सिंह (गुड़गांव) : मैं सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। गुड़गांव नहर पर कार्य आरम्भ हो गया है। उस के लिये मैं धन्यवाद करता हूं। झज्जर और गुड़गांव को बाढ़ से बचाने के लिये साहबी नदी पर बांध बनाने का आश्वासन दिया गया है। इस निर्णय के लिये मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं। आगरा नहर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस का प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में है। हमें केवल बरसात के मौसम ही में पानी दिया जाता है उस समय इस की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इस के अतिरिक्त दर भी दुगने होते हैं। केन्द्रीय सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। दण्डूहा नाले पर बांध ऊंचा किया जाना चाहिये। इस से राजस्थान और गुड़गांव जिला दोनों बाढ़ से बच जायेंगे। यह राज्यों का विषय है परन्तु इस में एक से अधिक राज्यों के हित हैं। इस लिये मैं इसे यहां कह रहा हूं। माननीय मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और वह स्थिति से भली प्रकार परिचित हैं।

पंजाब में सेम की समस्या एक बड़ी समस्या है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में तो पानी है ही नहीं। सरकार को फालतू पानी का उपयोग करने के लिये योजना बनानी चाहिये। बिजली सस्ते दामों पर उपलब्ध करायी जानी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं और देश को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है। भाखड़ा-नंगल परियोजना से बहुत अधिक बिजली दिल्ली को दी जा रही है। इस का उपयोग पंजाब और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना था। परन्तु यह बड़े बड़े नगरों में ही किया जा रहा है।

इलैक्ट्रिशियनों और फिटर्स के लिये गांवों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहियें। आजकल गांव वालों को छोटे छोटे कामों के लिये नगरों में आना पड़ता है। इस के लिये मंत्रालय को कोई कार्यवाही करनी चाहिये। सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। खेद की बात है विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं है। बिजली के कनेकशन की बात हो अथवा सिंचाई की परियोजना हो, सभी सम्बन्धित विषयों को इसी मंत्रालय को देखना चाहिये। इस पर ध्यान दिया जाये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : There are big electricity projects in Rajasthan like Chambal dam, Gandhi Sagar Dam and Rana Pratap Sagar Dam. Inspite of alll these adequate electricity is not available in that state. I would like the hon. Minister to look into this and do something. The rates of electricity are very high in Rajasthan. Only 28 lakh acres of land of this state is being irrigated by the above three dams. About 20 lakh acres are still in need of irrigational facilities. It is reported that it will take one more

year in making available the required water. There is great shortage of water in Rajasthan. The supplies of water to Pakistan under Indus Water treaty should have been stopped on 2nd April 1965. This water should be utilised in Rajasthan. and Punjab. I want to know why the period of treaty has been extended by one year ? We should meet our own demands first and thereafter think of others. Punjab is also suffering on account of this. About 7 lakh acres of land are lying waste in that state.

It is regrattable that even after spending about Rs. 70 crores, adequate power is not available in Rajasthan. I would request that more power should be made available to Rajasthan.

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैंने इस मंत्रालय की मांगों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। केरल को इस मंत्रालय ने बहुत कम महत्व दिया है। इस राज्य में इडीकी और साबारीगिरी परियोजनाओं में ठीक प्रकार कार्य नहीं हो रहा है। केरल में बिजली बहुत कम है इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में समुद्र द्वारा भूमि कटाव का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है। जब से डा० राव मंत्री बने हैं हमें आशा है वह इस बारे में कोई योजना बना रहे हैं। वहां के लोगों को इस समस्या से बहुत चिन्ता है। सरकार को इस समस्या के समाधान के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। समुद्र द्वारा भूमि कटाव की समस्या को केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय समस्या समझनी चाहिये और केवल राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिये।

श्री चा० कां० भट्टाचार्य (रायगंज): इस समय हमारे देश के सामने दो मुख्य समस्याएं ये हैं : एक तो अनाज की कमी और दूसरे बाढ़ द्वारा बरबादी।

मंत्री महोदय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि फराका बांध मुख्यत: कलकत्ता के लिये है। मेरे विचार में यह एक ऐसी परियोजना है जिसका सम्बन्ध 5 या 6 मंत्रालयों से है। जब श्री अजित प्रसाद जैन खाद्य मंत्री थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि बंगाल और आसाम की अनाज की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें इसे बरास्ता मुगल सराय भेजना पड़ा था। उस समय यह कठिनाई थी। इसके अतिरिक्त यह एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है, और इसलिये इसका राजनयिक महत्व भी है, जैसा कि बजट अनुदानों की टिप्पणियों में निर्दिष्ट किया गया है। परियोजना की क्रियान्विति में देरी का कारण यह है कि इसके लिये समय पर विदेशी मुद्रा नहीं दी गई थी। यदि समय पर विदेशी मुद्रा दी गई होती तो आज इस परियोजना का काम काफी प्रगति पर होता।

जहां तक दामोदर घाटी परियोजना का सम्बन्ध है इसके पुनर्गठन का कार्य यथा संभव शीघ्र किया जाना चाहिये। उत्तर की ओर जो नहर है उसको बहुत शीघ्र प्रयोग के योग्य बनाया जाना चाहिये।

उत्तर बंगाल में जो काशद्दि नदी है वह बड़ा विनाश करती है और इसका पानी राजपथ संख्या 31 के परे तक फैल जाता है और सड़क के दोनों ओर के क्षेत्रों को हानि पहुंचाता है।

बाढ़ नियंत्रण की जो समस्या पश्चिमी बंगाल के सामने है वही पूर्वी बंगाल के लोगों के सामने है। दोनों की समस्या एक ही है। इस मामले में हमें पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब करनफुली बांध बनाया गया था तो हमारी ओर के गांव बाढ़ ग्रस्त हो गये थे। हमारी सरकार के अनुरोध पर भी उन्होंने उसे नहीं रोका। काश्मीर में मंगला बांध के बारे में भी वही कठिनाई है। कहा जाता है कि इसे 200 फुट ऊंचा उठाया जा रहा है। इससे फिर भारत की ओर हानि होगी। क्या पाकिस्तान इसमें सहयोग देगा? मेरा यही प्रश्न है।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : आज आसाम के सामने बड़ी समस्या बाढ़ की है। गत 15 वर्षों में आसाम में एक भी नदी घाटी परियोजना नहीं बनाई गई है। क्योंकि आसाम में एक ही नदी है जो बड़ा विनाश करती है। वह है ब्रह्मपुत्र। इसको नियंत्रण में लाने के लिये हमें एक बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजना बनानी चाहिये। इसके वित्तपोषण के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने मित्रों की सहायता लेनी चाहिये और इस नदी की बाढ़ की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली ऐसी छोटी नदियों का सर्वेक्षण किया जाये जो लगभग सारा वर्ष बहती हैं। उनके ऊपर के भागों का अध्ययन किया जाना चाहिये ताकि वहां पर बांध बनाये जा सकें और इस प्रकार बाढ़ को रोका जा सके और बिजली पैदा की जा सके।

अब मैं बैरक नदी परियोजना को लेता हूं। माननीय मंत्री ने गत वर्ष कहा था कि इस पर 35 करोड़ रु० खर्च होगा। उन्होंने कहा था कि इंजीनियर यह देख रहे हैं कि यदि इसके व्यय को 15–20 करोड़ रु० तक लाया जा सका तो वह इसको मंजूर कर लेंगे। मुझे आशा है कि नरसांदाबार के नये स्थान पर जांच प्रतिवेदन अच्छी होगी। यह मामला 11 वर्षों से पड़ा है। यदि अब भी क्रियान्वित न किया गया तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी।

राज्य में अन्य पहलुओं में विकास के लिये बिजली की उपलब्धता का प्रश्न पैदा होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य में सभी संसाधनों को औद्योगिक क्षेत्र में जुटाना चाहिये ताकि यहां पर प्रगति का स्तर अखिल भारतीय स्तर तक आ जाये।

समय के अभाव के कारण मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम की समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाये।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (**डा० कु० ल० राव**) : मैं बंगाल से आये माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि फराका बांध के बारे में हम बहुत कार्य कर रहे हैं। हम ने इस पर काफी काम कर लिया है और इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। योजना के प्रथम दो वर्षों में केवल 1 करोड़ रु० व्यय किया गया था। उसके विपरीत इस वर्ष 17 करोड़ रु० व्यय किये गये हैं और 1965–66 में हम 20 करोड़ रु० व्यय करने जा रहे हैं।

मुझे इससे बड़ी खुशी हुई है कि इस सभा में सिंचाई के महत्व पर बड़ा जोर दिया गया है।

इस समय हम अपने देश में 2800 लाख एकड़ भूमि को खाद्य उत्पादन में प्रयोग में ला रहे हैं। इसमें से 1100 लाख एकड़ में चावल उगाया जाता है और 1700 लाख एकड़ भूमि में अनाज और दालें बोई जाती हैं। चावल की फसल की भूमि में 36 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है और अनाज और दालों की भूमि में केवल 7 प्रतिशत

से कम में सिंचाई की जाती है । इतनी कम सिंचाई के होते हुए यदि हमारा उत्पादन कम है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । हमारे देश में संसार के 15 प्रतिशत लोग हैं। और इस हिसाब से हमारा खाद्य उत्पादन 1500 लाख टन होना चाहिये जब कि यह 850 या 900 लाख टन है ।

माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है कि इतने वर्षों के नियोजन के बाद भी हम केवल 160 लाख एकड़ भमि में सिंचाई की व्यवस्था कर सके हैं। उनका कहना ठीक है। कारण यह है कि हमने 502 परियोजनाएं आरम्भ कर रखी हैं और वे सब अभी अधूरी हैं । जब वे पूरी हो जायेंगी तो हम अपने 440 लाख एकड़ भमि में सिंचाई व्यवस्था करने के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे । मुझे आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक हम 190 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई व्यवस्था कर पायेंगे ।

एक वर्ष में 30 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई व्यवस्था करना काफी बड़ी बात है । अब तक हम प्रतिवर्ष 10 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करते आ रहे हैं । जिन परियोजनाओं के पूरा होने में थोड़ा सा काम रह गया है हम पहले उनको पूरा करना चाहते हैं ताकि एक वर्ष में ही हम अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर सकें। अगले वर्ष तक 190 लाख एकड़ के लक्ष्य को पूरा करना ही काफी कठिन कार्य है। हमने 9 परियोजनाओं को चुना है और उनका काम देखने के लिये मैं अधिकारियों की एक पुनर्विलोकन समिति बिठा रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार और योजना आयोग की यह नीति है कि जो परियोजनाएं सरकार के हाथ में है अगली योजना में हैं उनको पूरा करने पर सब से अधिक महत्व दिया जाये । यह ठीक है परन्तु इसमें एक खतरा है और वह यह कि यदि हम नई परियोजनाओं का काम आरम्भ नहीं करेंगे तो हमारा विकास रुक जायेगा । राष्ट्र के विकास के लिये परियोजनाओं का चलते रहना बड़ा आवश्यक है ।

कोल्हापुर के माननीय सदस्य ने दूधगंगा परियोजना का जिक्र किया । मैं वहां मौके पर गया था । वहां के लोग बड़ी कठिन परिस्थितियों में सिंचाई करते हैं। मुझे खेद है कि हम उन लोगों के लिये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम उस परियोजना को हाथ में लेते हैं तो चौथी योजना के कार्यक्रम को बदलना पड़ेगा । हमें किसी न किसी तरह कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि कुछ नई परियोजनाओं को लिया जा सके। परन्तु इसके साथ पहले आरम्भ की गई परियोजनओं की पूर्ति पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये ।

बीकानेर के माननीय सदस्य ने राजस्थान की गंगनहर का जिक्र किया । मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि इस परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । अब चूंकि राजस्थान नहर 40 मील तक बन गई है इसलिये इसको रोकना अवश्यक नहीं है । दो लाख एकड़ में हमें उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये । मुझे खुशी है कि इस परियोजना को राजस्थान नहर के पुनरीक्षित अनुमान में शामिल कर लिया गया है । में राजस्थान सरकार को लिखूंगा कि यह इस परियोजना को केन्द्र के पास विचार के लिये भेजे ।

घग्गर का भी जिक्र किया गया था । इस परियोजना को मंजूर कर लिया गया है और अगले दो वर्षों में इससे फायदा उठाया जा सकेगा । वित्त मंत्रालय ने इस क्षेत्र में व्यय के लिये 1 1/2 करोड़ रुपया देना मंजूर कर लिया है ।

अगला प्रश्न पंजाब में जललग्न के बारे में है । इसके अनेक कारण हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

यह अधिक सिंचाई और अधिक वर्षा के कारण हो जाता है । पहले पंजाब में 20–25" वर्षा होती थी और अब 35–45" वर्षा होती है । इससे कठिनाई और बढ़ गई है । अब तक यह नीति रही है कि पंजाब को जमना में पानी न डालने दिया जाये क्योंकि इससे दिल्ली को कठिनाई पदा हो जायेगी । दूसरी नदी केवल घग्गर है । इसमें भी हम पानी नहीं डालने देते क्योंकि इसका अर्थ है राजस्थान के लिये कठिनाई । अब चूंकि घग्गर परियोजना का काम आरम्भ कर दिया गया है जो कि दो वर्षों में पूरी हो जायेगी हम पंजाब को घग्गर नदी में पानी डालने की अनुमति दे सकते हैं । फिर भी नालियों के निर्माण से जल-लग्न क्षेत्र को 46 लाख एकड़ से घटा कर 26 लाख एकड़ लाया गया है । यदि कुछ और नालियां बना ली जायें तो मुझे विश्वास है कि जललग्न की समस्या इतनी गंभीर न रहेगी ।

बिहार के एक और माननीय सदस्य ने पश्चिमी कोसी नहर के बारे में कुछ कहा । इसके आसपास का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है और वहां की आबादी भी घनी है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इसका कार्य यथासंभव शीघ्र किया जाना चाहिये । नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है और मुझे आशा है कि इस महीने उद्घाटन हो जायेगा

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बहुत दरिद्रता है और सरकार को इन क्षेत्रों की ओर विशेष महत्व देना चाहिये । इन क्षेत्रों की दो समस्याएं हैं । एक तो बाढ़ है । रापती एक छोटी सी नदी है । परन्तु इसमें बाढ़ आने से बड़ी हानि होती है । हमारा एक विचार था बांध बनाने का । परन्तु बांध नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वह नेपाल के क्षेत्र में है । और उपाय कुछ स्पष्ट नहीं है । इसलिये मैं ने एक समिति को जांच करने के लिये कहा है । यह एक कठिन समस्या है । फिर भी मैं आश्वासन देता कि हम कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ।

उस क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि वर्षा ऋतु में तो बहुत अधिक वर्षा होती है और दूसरी ऋतुओं में वर्षा नहीं होती है । इसलिये कम से कम रबी की फसल के लिये हमें सिंचाई व्यवस्था करनी चाहिये । सरजू नहर के संबंध में उत्तर प्रदेश के इंजी-नियरों की एक बड़ी अच्छी योजना है । ज्योंही वह हमें मिल जायेगी उसका कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा और मेरे विचार में चौथी योजना में पूरी कर दी जायेगी ।

अब मैं सिंधु नदी के जल के संबंध में कहता हूं । इस विषय पर कुछ गलत फहमी रही है । हमने पाकिस्तान के साथ जो संधि की है उसके कारण उनको विकल्प है । प्रथम

चरण 1 अप्रैल, 1965 को समाप्त नहीं हो रहा है, परन्तु यह 1 अप्रैल, 1965 और 1 अप्रैल, 1966 के बीच कभी भी समाप्त हो सकता है। केवल एक शर्त है और वह यह कि यदि त्रिमू इसलाम लिंक पूरी हो जाती है और पानी पाकिस्तान में उनकी नदियों से चला जाता है तो उस दिन पहला चरण पूरा समझा जायेगा। अपने अधिकारियों द्वारा हम इसकी निगरानी रख रहे हैं। आशा है कि अगले तीन महीनों में पहले चरण का कार्य पूरा हो जायेगा। हमें लगभग 1,500 से 4,000 क्यूसेक्स तक अधिक पानी मिल जायेगा।

पोंग बांध के संबंध में स्थिति यह है कि यद्यपि नींव रखने के लिये हिमालय के पहाड़ बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर भी हमारे इंजीनियर लगे हुए हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। पांच में से 2 सुरंग पूरी कर ली गई हैं। सुरंगों के पूरा होने के पश्चात् पानी का रुख पलट दिया जायेगा और बांध का काम आरम्भ कर दिया जायेगा। मुझे आशा है कि 1970–71 तक बांध पूरा हो जायेगा।

आंकड़ों के अनुसार यह बिलकुल सच है कि पानी की जो क्षमता बनाई गई है उसे केवल 80 प्रतिशत भूमि में ही उपयोग में लिया जाता है। 20 प्रतिशत को उपयोग में नहीं लिया जाता। इस प्रकार 200 लाख एकड़ का 20 प्रतिशत 40 लाख एकड़ भूमि है जो कि काफी बड़ी है। इसको उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है।

इस उपयोग के प्रश्न पर अनेक समितियां बिठाई गई हैं। इसकी बजाये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर बराबर निगरानी रखने के लिये कुछ अधिकारियों को यह काम सौंपा जाये।

श्री नि० रं० लासकर : आसाम की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा रहा है।

डा० कु० ल० राव : भूमि के कटाव और बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से आसाम की समस्या सब से कठिन है क्योंकि देश की सब से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र इस राज्य में से बिना रोक टोक के बहती है। इस नदी का हमें कोई फायदा नहीं है और इसके विपरीत भारी मात्रा में हानी पहुंचती है। डिबरूगढ़ के महत्व को देखते हुए उसकी रक्षा करने के लिये हमें करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े थे। परन्तु सभी क्षेत्रों के लिये ऐसा करना संभव नहीं है।

भूमि के कटाव की समस्या को हल करना बहुत कठिन है। इसकी जांच करने के लिये मैंने एक पृथक समिति नियुक्त की है। इसके लिये हम संसार के सभी भागों से विशेषज्ञों को बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस विषय की ओर हम सब से अधिक ध्यान दे रहे हैं।

बिजली के बारे में माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक है कि हम अब तक केवल 83 लाख किलो वाट बिजली पैदा कर सके हैं। हमारा लक्ष्य 127 लाख किलो वाट बिजली पैदा करने का है। तीसरी योजना के अन्त तक हम 110 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने लग जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें एक वर्ष में 30 लाख किलोवाट बिजली पैदा करनी होगी।

इसके लिये मंत्रालय और इंजीनियरों को इस वर्ष बहुत काम करना होगा। अगले 2 या 3 महीनों में कई योजना पूरी होने वाली हैं, अतः आशा है कि अगले 1 या 2 महीनों में

5 लाख किलोवाट और बिजली पैदा होने लगेगी। 110 लाख किलोवाट के लक्ष्य को प्राप्त करना भी बड़ा कठिन है। इसकी प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये मैंने एक पृथक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की है।

बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग सब से कम आन्ध्र प्रदेश में है और दूसरे दर्जे पर उत्तर प्रदेश में। यदि हम राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पिछड़े क्षेत्रों में बिजली पहुंचानी होगी।

इस संबंध में उत्तर बिहार की हालत भी काफी खराब है। परन्तु वहां पर बरौनी में दो पचास पचास मेगावाट के एकक स्थापित किये जा रहे हैं। वहां की एक मुख्य कठिनाई यह है कि वहां बिजली को ले जाने की लाइनें नहीं हैं। इसकी ओर ध्यान देने के लिये मैंने राज्य सरकार से कहा है। यदि योजना आयोग इसके लिये कुछ पैसा दे दे तो अच्छा होगा, क्योंकि बिजली तो हमारे पास है हमें केवल कुछ लाइनें स्थापित करनी होंगी। केवल इतना ही नहीं बरौनी को गया से भी मिलाने का हमारा विचार है और इस प्रकार उत्तर बिहार को यह शिकायत न होगी कि उसे कम बिजली मिली है। उत्तर बिहार में प्रशुल्क में अन्तर के बारे में स्थिति यह है कि उत्तर बिहार की 14 उपडिवीजनों में से 7 में, जो कि बरौनी के साथ संलग्न है वही प्रशुल्क है जो कि दक्षिण बिहार में है। शेष को डीजल द्वारा तैयार की गई बिजली दी जाता है। मैंने राज्य बिजली बोर्ड से कहा है कि बिजली ले जाने वाली लाइनें चाहे कैसी भी हों सारे बिहार में समान दर रखने का प्रयत्न करना चाहिये।

बिजली को दूर दूर तक ले जाने के लिये लाइनों का होना बहुत आवश्यक है। इस मामले में हम कुछ पीछे हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। अब तक हमने 175,000 मील लम्बे तार लगा लिये हैं। परन्तु देश के आकार को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। तीसरी योजना में इस के बारे में कुछ गलती हो गई है। परन्तु चौथी योजना में अधिक उपबन्ध किया जा रहा है।

राजस्थान में गांधी सागर बांध में से पानी की निकासी पर रोक के कारण बिजली की भारी कमी थी। अक्तूबर, 1964 में हमने इस मामले पर एक बैठक में विचार किया था और मैंने सुझाव दिया था कि हमें रतनागढ़ को जयपुर से मिला देना चाहिये। केवल 86 दिनों में 132 के०वी० लाइनों का निर्माण किया गया। यह एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा हम अब तक नहीं कर पाये हैं। इसके परिणामस्वरूप हमें वहां पर भाखड़ा से 17 मेगावाट बिजली मिल सकेगी।

हमारा उद्देश्य यह है कि सारे बिजलीघरों को आपस में मिलाया जाये और सारे भारत की एक ग्रिड लाइन बनाई जाये। इससे बिजली को जमा किया जा सकेगा और ऐसे कामों को जिनमें बिजली की अधिक खपत होती है कम बिजली द्वारा किया जा सकेगा। इसके लिये हमने स्थानीय बोर्ड स्थापित किये हैं। सारे देश में ऐसे पांच बोर्ड हैं। इन बोर्डों को आपस में मिलाने वाली लाइनें बनाई जायेंगी। अभी तक हम ने 220 किलो वाट की लाइनें बनाई हैं। चतुर्थ योजना में 400 किलो वाट की लाइनें बनाई जायेंगी। इस प्रकार बहुतायत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को बिजली ले जायी जा सकेगी।

गांवों में बिजली लगाने के काम को हम सब से अधिक महत्व देते हैं। अमरीका में 1500 व्यक्ति से कम जन संख्या वाले स्थान को गांव कहा जाता है। वहां पर गांवों में जितनी बिजली की खपत है उतनी यहां पर सारे भारत की है। इससे पता चलता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तो वहां के लिये कितनी बिजली की जरूरत होगी ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (अडोनी): कुछ राज्यों में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के होने के कारण उनके लिये गांवों में बिजली पहुंचाना बहुत सुविधाजनक है और उनको इस पर कुछ व्यय नहीं करना पड़ता है जब कि दूसरे राज्यों को इसपर काफी खर्च करना पड़ता है। इस असन्तुलन को आप किस प्रकार दूर कर रहे हैं?

डा० कु० ल० राव: हमें इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। हमारा उद्देश्य तो सारे देश को यथा शीघ्र ऊपर उठाने का होना चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: किस प्रकार ऊंचा उठायें?

डा० कु० ल० राव: प्रथमतया हमें एक ऐसी धारणा बनानी चाहिये जैसी कि हमने सिंचाई के बारे में बनाई है। सभा को यह धारणा बनानी चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे ग्रामों के लोगों का शहरों में आना रुक जायेगा। अमरीका में आजकल ग्रामों की आबादी बढ़ रही है और कुछ ग्रामों में आबादी 20,000 तक हो गई है। यदि हम ग्रामों में बिजली पहुंचायेंगे तो सदैव यही होगा। उत्तरी बिहार में तो बिलकुल भी बिजली नहीं है। वहां लोग दिन के कुछ घंटों तक ही काम कर सकते हैं। यदि हम वहां बिजली पहुंचायेंगे तो उनके काम के घंटे बढ़ जायेंगे। इस का अर्थ यह हुआ कि हम राष्ट्र को सशक्त बना रहे हैं, राष्ट्र को सक्रिय बना रहे हैं और राष्ट्र के लिये काम के घंटे बढ़ा रहे। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।

मुझे खेद है कि मैं कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों के बारे में अधिक नहीं कह सकूंगा। सदस्यों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिस प्रकार हम उद्योगों को बिजली के सम्बन्ध में रिआयत देते हैं, उसी प्रकार हमें कृषि को भी रिआयत देनी चाहिये। यह एक ठीक तर्क है। परन्तु अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी बातों और अन्य बातों के कारण इस बारे में अधिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस बारे में केवल यही रिआयत दी गई कि गुजरात, उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों में जहां बिजली की दरें नौ पैसे से अधिक होंगी, राज-सहायता दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि विदेशों में चल रही बिजली की दरों तथा इस देश की बिजली की दरों में अन्तर क्यों है। उदाहरणार्थ इस देश में घरों में प्रयोग होने वाली बिजली की दर इंगलैंड में बिजली की दरों से आधी है, जापान और भारत में एक-सी दरें हैं तथा अमरीका की तुलना में भारत में दुगनी दरें हैं। इन आंकड़ों से अधिक अर्थ नहीं निकलता क्योंकि उन देशों में जीवन स्तर ऊंचा है। मैं मानता हूं कि हमें सस्ते दरों पर बिजली का उत्पादन करना चाहिये । परन्तु इस उद्देश्य की पूरा करने के लिये हमें इस देश में ही बिजली उत्पादन करने की मशीनें आदि बनानी होंगी।

आज भारत एक ऐसे समय से गुज़र रहा है जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था तथा जीवन-स्तर ऊंचा होने के कारण अनिवार्यतया बहुत प्रकार की कमियां पैदा हो गई हैं। हमें इस स्थिति का सामना करना है। देश में जहां कहीं भी हम जायें आज हमें अच्छी-अच्छी परियोजनायें

नज़र आयेंगी। यदि हम दृढ़-संकल्प होकर तथा संतोष और दूरदर्शिता से काम करें तो बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। हमने तीस लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई का प्रबन्ध करना है तथा तीस लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करना है। इस बारे में कठिनाइयां हैं और हमें उनका सामना करना है। इस सम्बन्ध में मैं विभिन्न राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस वर्ष इस ओर विशेष ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि इन सभी परियोजनाओं को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये। मुझे विश्वास है कि य विभिन्न इंजीनियरों द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं में किये जा रहे उत्तम कार्य तथा केन्द्री जल तथा विद्युत् आयोग के सभापति और सदस्यों एवं अधिकारियों की प्रशंसा करने में सभा मुझे सहयोग देगी।

एक बार मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिये नींव स्थापित करने का कार्य उत्तम तथा महान है और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय द्वारा यह कार्य पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती-प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे ये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and Negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिये रखीं गईं तथा स्वीकृत हुई :—

The Following demands in respect of the ministry of Irrigation and Power were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
72	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . .	25,47,000
73	बहुप्रयोजनी नदी योजनायें	1,75,31,000
74	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,84,79,000
135	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	21,27,53,000
136	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	8,56,77,000

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

(2) भारत और पकिस्तान सीमा को बन्द किया जाना

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिये भारत–पूर्वी पाकिस्तान सीमा को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति"।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रथा के आधार पर सभा में इस बारे में लगभग निर्णय हो चुका है कि जब सभा

का सत्र हो रहा हो तो सरकार को नीति सम्बन्धी निर्णयों की घोषणा सभा से बाहर नहीं करनी चाहिये। प्राक्कलन समिति ने भी इस बात का समर्थन किया है। माननीय मंत्री ने एक गलत काम किया है और इससे सभा का अपमान हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में आप से एक विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है हालांकि यह कई बार कहा गया है कि यह उचित तथा वांछनीय है कि ऐसी सभी घोषणायें सभा में की जायें और मैं इसे अब भी दोहराता हूं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : सरकार सभा के प्रति कोई सौजन्य नहीं दिखा रही है।

अध्यक्ष महोदय : जब सभा का सत्र चल रहा हो तो सौजन्य के तौर पर ऐसी घोषणायें सभा में की जानी चाहियें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह लगभग एक प्रथा बन गई है कि जब सभा का सत्र चल रहा हो, सरकार नीति सम्बन्धी बड़े-बड़े निर्णयों के सम्बन्ध में घोषणा पहले सभा से बाहर करती है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री इस बारे में उत्तर दें।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : ऐसे शरणार्थियों के लिये जो यहां आश्रय चाहते हैं, चाहे उनके पास यहां आने के लिये ठीक प्रमाणपत्र हों अथवा न हों, हमारी सीमाएं खोलने की नीति भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा तथा वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा, जब वह वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, और गृह-कार्य मंत्री द्वारा बनाई गई थी। सरकार को सभा को यह बताना चाहिये कि उन्होंने अब इस नीति में परिवर्तन क्यों किया।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस बार सरकार को ऐसी ग़लती करने के लिये धमकाया जाये।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): वास्तविकता यह है कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। बहुत सी कठिनाइयां थीं; उदाहरणार्थ वहां लोगों की हत्या की जा रही थी। इस आपात काल में यह निर्णय किया गया कि उन्हें भारत आने की स्वतंत्रता है। फिर वहां शान्तिपूर्ण स्थिति स्थापित हो गई परन्तु फिर भी लोगों को भय था। पाकिस्तान की सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विश्वास दिलाने के लिये कोई निश्चयात्मक उपाय नहीं किये। वहां यह स्थिति थी, भारत आने के लिये प्रमाणपत्रों की आवश्यकता थी। इसलिये इसमें छूट दी गई। उस समय प्रमाणपत्रों के लिये हज़ारों प्रार्थनापत्र निलम्बित पड़े थे परन्तु सभा को यह जान कर आश्चर्य होगा कि आज कोई भी प्रार्थनापत्र निलम्बित नहीं पड़ा है। आज तक लगभग केवल कहने मात्र से ही भारत आने के लिये प्रमाणपत्र दिये जाते रहे हैं। लगभग 4,70,000 प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं। जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, वहां स्थिति अब और भी बुरी है। इस बारे में कुछ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार की पूर्व नीति में कुछ परिवर्तन किया गया और 1 अप्रैल को उसकी घोषणा सभा से बाहर की गई जबकि यह घोषणा सभा में की जानी चाहिये थी।

श्री त्यागी : इस बारे में निर्णय पहले ही किया गया था। एक अप्रैल को यह निर्णय लागू होना था।

श्री नि० चं० चटर्जी : पिछले कुछ दिनों के दौरान शरणार्थियों को पीछे ढकेल दिया गया है और पाकिस्तान उन्हें शत्रु समझ रहा है और यह इसलिये किया जा रहा है कि नीति में परिवर्तन किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि संसद् से परामर्श किये बिना ऐसा क्यों किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को यह समझना चाहिये कि यहां सीमित प्रश्न यही है कि क्या 1 अप्रैल को नीति सम्बन्धी किसी निर्णय की घोषणा की गई थी।

श्री त्यागी : इस बारे में मार्च के पहले सप्ताह में निर्णय किया गया था और इसे 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में संसद् द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया था और न ही तो सभा के निर्णय में कोई परिवर्तन किया गया है। यह निर्णय किया गया था कि 1 अप्रैल से प्रमाणपत्रों के बिना किसी को भी भारत में नहीं आने दिया जायेगा। यह बताया गया था कि यह निर्णय 1 अप्रैल से लागू होगा। यदि मंत्रालय द्वारा कोई गलती हूई है तो मैं सभा से क्षमा मांगता हूं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि एक अप्रैल से पूर्वी पाकिस्तान से केवल उन्हीं व्यक्तियों को आने दिया जायेगा जिनके पास इस सम्बन्ध में मान्य प्रमाणपत्र होंगे।

जनवरी, 1964 की घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप हुए साम्प्रदायिक दंगों तथा पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं को पीड़ित किये जाने के कारण मानवता के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि शरणार्थियों को बिना किसी रुकावट के पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने दिया जाये।

अब कुछ समय से पाकिस्तान में ऐसे साम्यप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं जिन्हें असामान्य कहा जा सके। इसलिये भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के लिये सामान्य सुविधाओं का दिया जाना जारी रखा जाये परन्तु वहां से लोगों को यात्रा प्रमाणपत्रों के बिना भारी संख्या में न आने दिया जाये। इस निर्णय का दूसरा कारण यह था कि यदि हम वहां से लोगों को बिना यात्रा प्रमाण-पत्र के आने दें तो इससे इस सुविधा का दुरुपयोग होता है। यह निर्णय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान में वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अब भी ढाका स्थित भारत के उप उच्च आयुक्त से भारत आने के लिये यात्रा प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता मिलती रहेगी।

भारत आने वाले शरणार्थियों के लिये ढाका स्थित हमारे उप उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा अतिशीघ्र भारत आने के लिये प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं। जनवरी, 1964 से फरवरी, 1965 तक इस सम्बन्ध में 473,578 व्यक्तियों के लिये यात्रा प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : भारत आने वाले शरणार्थियों की दैनिक औसत जनवरी के महीने में 1,230 थी और फरवरी तथा मार्च में यह संख्या बढ़ी है। इससे ज्ञात होता है कि वहां अभी भी असुरक्षितता की स्थिति है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस समय यह निर्णय क्यों लागू किया।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने अभी बताया, सरकार यह निर्णय लागू करने के लिये इसलिये बाध्य हुई कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा था और दूसरा कारण यह है कि भारत आने के लिये यात्रा प्रमाणपत्र उदारतापूर्वक दिये जा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: पाकिस्तान में अभी भी असुरक्षितता की स्थिति है। प्राक्कलन समिति ने भी यही विचार व्यक्त किया है। इसलिये क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस प्रतिबन्ध को कठोरता से लागू करेगी या लोगों को कठिनाईइयों से बचाने के लिये इसमें छूट देगी।

श्री स्वर्ण सिंह : प्राक्कलन समिति ने भी यही कहा है कि जहां लोगों को वास्तविक कठिनाइयां हो रही हैं और जो यहां आना चाहते हैं, उन्हें आने दिया जाना चाहिये। यह किस प्रकार हो सकता है ? इसका एक तरीका यह हो सकता है कि वे उप उच्चायुक्त से भारत आने के लिये प्रमाणपत्र ले सकते हैं और यहां आ सकते हैं। यह कहना गलत है कि यहां आने के लिये रोक लगा दी गई है। केवल इस पर नियंत्रण रखा गया है।

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले पांच या छः महीनों में 29,000 शरणार्थी भारत आये हैं और इनमें से अधिकांश स्त्रियां तथा बच्चे हैं ? क्या यह भी सच है कि अधिकांश शरणार्थियों को भिन्न-भिन्न केन्द्रों से पीछे ढकेला जा रहा है और उनसे पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है ? क्या सरकार पश्चिमी बंगाल विधान सभा की इस मांग को स्वीकार करेगी कि ठीक तौर पर छानबीन की जाये और भारत में आने वाले व्यक्तियों के लिये यात्रा प्रमाणपत्र दिये जाने के लिये, पूर्वी पाकिस्तान में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थापित किये जायें ?

श्री त्यागी : 32.55 प्रतिशत लोग भारत में बिना किसी प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेजों के आते हैं। इनमें 60 प्रतिशत अपनी सम्पति की देखभाल के लिये अपने परिवार पीछे छोड़ आते हैं। इनमें से कई वापस भी चले जाते हैं। पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा की गई मांग की ओर सरकार अवश्य ध्यान देगी। आज ही शायद गृह-कार्य मंत्री ने सम्बन्धित मंत्रियों को ये हिदायतें दी हैं कि कठिन मामलों में वे स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उचित दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश रोकने का निर्णय पहली मार्च को रोक दिया गया था और उसे पहली अप्रैल से लागू किया जाना था। यह निर्णय सीमा पर हाल ही की घटनाओं से पहले किया गया था। इन घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय स्थगित क्यों नहीं किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : स्थिति में परिवर्तन के अनुसार समय समय पर नीति में परिवर्तन किया जाता है। मैं उस समय कलकत्ता में गया था और प्रतिबन्ध ढीले कर दिये गये थे। फिर भी लोग प्रमाणपत्रों के बिना आ रहे थे क्योंकि उन परिस्थितियों में इस पर आग्रह करना संभव नहीं था। यद्यपि इस नीति का उद्देश्य सुरक्षा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तथापि इसे इस प्रकार लागू किया जा सकता है कि यहां आने वालों को कठिनाई न हो।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विस्थापित व्यक्तियों के भारत आने के कारणों की जांच करने वाले आयोग ने अभी तक अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत नहीं की हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जांच समिति ठीक स्थिति का पता लगाने के लिए एक कैम्प से दूसरे कैम्प में जा रही है, किन कारणों से सरकार को यह योजना तुरन्त लागू करनी पड़ी जबकि राजशाही में कार्यालय बन्द कर दिया गया था ? जब 1964 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी नियम ढीले कर दिये थे । अब भी पूर्वी पाकिस्तान में वैसी ही स्थिति है ।

श्री स्वर्ण सिंह : गृह-कार्य मंत्री पहले ही सभा को आश्वासन दे चुके हैं कि स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन पर ध्यान दिया जायेगा । परन्तु इस समय यह अनुभव किया जाता है कि लगाये गये प्रतिबन्ध उचित हैं और इससे उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी जो वास्तव में सहायता के पात्र हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम यह समझें कि पाकिस्तान में गम्भीर स्थिति की बात गलत है ? यदि ऐसा नहीं है तो इस प्रकार का आदेश क्यों दिया गया है ? उन स्त्रियों तथा बच्चों का क्या होगा जिन्हें हमारी पुलिस पाकिस्तान भेज रही है ?

श्री नन्दा : मैंने बताया है कि ऐसा कोई विचार नहीं है परन्तु केवल जांच द्वारा ही हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि यहां आने वाले कौन से लोग सुरक्षा की दृष्टि से अवांछनीय

(अन्तर्बाधायें)

श्री स० मो० बनर्जी : उनके चित्र देखे जा सकते हैं ..... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री नन्दा : इस प्रकार बाधा डालना मैं पसन्द नहीं करता । यह अनुचित व्यवहार है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात आपत्तिजनक है । हमारा नहीं बल्कि मंत्री जी का व्यवहार अनुचित है ..... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Bagri (Hissar) : The Minister has no right to say like that. He should resign.

Mr. Speaker : When I tell anything to any hon. member Shri Bagri interrupts. It is not good that other members should not be able to speak.

Shri Madhu Limaye : Figures cannot tell the sufferings of the people. I want to know whether the Minister will hold an impartial inquiry regarding these incidents ? Would he stop the inhuman work of driving the people out by the police ?

श्री नन्दा : हमने हिदायतें पहले ही जारी कर दी हैं । हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को कोई कठिनाई न हो ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है कि जब वे लोग आयें तो छानबीन के लिये उन्हें कैम्पों में रखा जाये ?

श्री नन्दा : जिन घटनाओं के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है, उन पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह निर्णय करने से पहले पश्चिम बंगाल, असम, मनीपुर और त्रिपुरा की सरकारों से परामर्श किया गया था । और क्या भारत में आने और कैम्पों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों ने यह कहा है कि धर्म परिवर्तन के डर के कारण वे भारत आ गये हैं ?

श्री त्यागी : हमने इन तीनों मुख्य मंत्रियों से न केवल इस अवसर पर बल्कि पिछले अवसरों पर भी परामर्श किया है ।

धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं परन्तु वह इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है और इस बात का पता लगा लिया गया है ।

कैम्पों के दस्तावेजों वाले वास्तविक आव्रजकों को छानबीन के बाद रहने की अनुमति दे दी जायेगी । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जायेगा । परन्तु 8,20,000 गैर-शरणार्थी भारत में घुस आये हैं और वे अल्पसंख्यक जातियों में से नहीं हैं । सुरक्षा के कारणों से सीमा को खुला नहीं रखा जा सकता । भारत में आने वाले सभी लोगों के पास दस्तावेज होने चाहियें ।

श्री अ० चं० गुह : क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि उन लोगों के वापिस ठकेलने के बजाये उन पर मुकदमा चलाया जाये और जेल में डाल दिया जाये ताकि उन्हें कम से कम आश्रय तो मिल सके ।

श्री नन्दा : जब हमें इस बात का पता लग जायेगा कि वे लोग कठिनाइयों के कारण भारत में आये हैं, तो हम उन्हें यहां रहने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 7 अप्रैल, 1965/17 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 7, 1965/Chaitra 17, 1887 (Saka)

GMGIPND—LS III—672 (Ai)LS—20-7-65—600